रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102023-249560 CG-DL-E-19102023-249560

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707] No. 707] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

अध्यादेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2023

(केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 29, को खंड 39 को इसकी प्रथम संविधि के साथ पढ़ा जाए।)

फा. सं. 27021/2022-स्था./ के.सं.वि./अध्यादेश.—केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अपने 12 परिसरों और नई दिल्ली मुख्यालय सिहत, "केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 - संख्या 5" के तहत संसद द्वारा पारित व भारत के राजपत्र में अधिसूचित सीजी-डीएल-ई-25032020-218961, दिनांक 25 मार्च, 2020 और उसके शुद्धिपत्र सीजी-डीएल-ई-24042020-219135, दिनांक 24 अप्रैल, को एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह अधिनियम 30 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-17042020-219068 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के माध्यम से लागू हुआ।

- 1. (1) इन अध्यादेशों को अब से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के अध्यादेश कहा जाएगा।
 - (2) कार्यकारी परिषद के पूर्व अनुमोदन के साथ कुलपित द्वारा प्रथम अध्यादेशों का निर्माण किया जायेगा और संविधि द्वारा निर्धारित विधि से कार्यकारी परिषद द्वारा किसी भी समय इस प्रकार निर्मित अध्यादेशों में भी संशोधन, निरसन य संयोजन किया जा सकता है।
 - (3) कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाये गये प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
- 2. अधिनियम में उल्लिखित सभी परिभाषाओं का उसी प्रकार पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि संदर्भ न हो अन्यथा आवश्यकता हो।

6621 GI/2023 (1)

अनुक्रमणिका अध्यादेश

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	छात्रों का नामांकन एवं प्रवेश	4
2.	छात्रावास	7
3.	परीक्षा मण्डल	9
4.	अनुसंधान मण्डल	11
5.	परीक्षकों की नियुक्ति	13
7.	विद्यास्थानों के अधिष्ठाता/संकायाध्यक्ष	14
9.	विभागाध्यक्ष	15
10.	केन्द्रीय पुस्तकालय समिति	17
11.	अध्ययन परिषद	19
12.	कुलपति की परिलब्धियाँ, सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कार्य	21
13.	विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों में प्रवेश हेतु लिए जाने वाले शुल्क।	25
14.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य पुस्तकालय कर्मचारी	28
15.	निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा	29
16.	सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों की नियुक्ति	30
17.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर उन्नयन योजना के अन्तर्गत सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक अधिकारियों की पदोन्नति	31
19.	अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना	32
20.	दीक्षांत समारोह	33
21.	उपाधियाँ (मानद उपाधियों सहित), डिप्लोमा, विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र प्रदान करना	35
22.	विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों हेतु अध्ययन- पाठ्यक्रम/कार्यक्रम	37
23.	परीक्षा/डिग्रियों की मान्यता हेतु समकक्षता समिति	38
24.	छात्र-अनुशासन	39
25.	क्रीड़ा और खेल समिति	42
26.	अन्य विश्वविद्यालय/प्राधिकरण/संस्थान के साथ सहयोग/ सौजन्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना	43
27.	मुक्तस्वाध्यापीठम् (एमएसपी) - मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान	46
28.	अधिष्ठाता (शोध)	48
29.	अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले	50
31.	आधिष्ठाता परिषद	52

32.	कुलानुशासक	53
33.	सम्मानित आचार्य	54
35.	नियुक्तियों का लिखित अनुबंध	55
36.	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यायिक क्षेत्रों के अन्तर्गत छात्र प्रताड़ना पर अंकुश लगाना।	58
37.	सहायक संकाय सदस्यों की नियुक्ति	59
38.	अतिथि सदस्य (विजिटिंग फेलो)	60
39.	प्रथमा (मिडिल प्रमाणपत्र), पूर्व मध्यमा (पूर्व माध्यमिक प्रमाणपत्र), उत्तर मध्यमा/ प्राक् शास्त्री (विरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र), शास्त्री (स्नातक उपाधि) आचार्य (स्नातकोत्तर उपाधि) अथवा अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा अनुसंधान उपाधि कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त परीक्षाओं की वार्षिक/सत्रार्द्ध प्रणाली का अनुसरण करने वाले कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के संचालन और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के निर्देश का माध्यम	61
40.	विद्यास्थान तथा विद्याशाखा	78

छात्रों का नामांकन एवं प्रवेश

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6(1)(xix), 6(2)(i), 6(2)(ii), एवं 29(1) खंड 30(7) को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. उक्त विषयान्तर्गत, कोई व्यक्ति इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्राक्-शास्त्री (इंटरमीडिएट) स्तर और उससे उच्च स्तर पर प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने किसी विश्वविद्यालय की सेकेण्डरी या सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या इस विश्वविद्यालय की विद्वत्परिषद द्वारा इन परीक्षाओं में से किसी एक के समकक्ष मान्यता प्राप्त मण्डल या परीक्षा, और समय-समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित ऐसी अतिरिक्त योग्यताएं रखता हो। इसके अलावा, स्कूल स्तर पर प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की विद्वत्परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानदंडों और नियमों के अनुसार संबंधित कक्षाओं में प्रवेश के लिए पात्र होगा।
- 2. किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र इस विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, जो इस विश्वविद्यालय की विद्वत्परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता और अन्य नियमों के अनुसार होगा।
- 3. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या सम्बद्ध किसी विद्याशाखा या केंद्र या संस्थान या विद्यास्थान अथवा पोषित या सम्बद्ध संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र को, उसके द्वारा नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित किया जाएगा;

बशर्ते कि नामांकन के लिए आवेदन इस विश्वविद्यालय की विद्वत्परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दस्तावेजों के अनुसार होना चाहिए और उन्हें एक यूनिक एनरोलमेंट नम्बर दिया जायेगा।

- 4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र समय-समय पर विश्वविद्यालय की विद्वत्परिषद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- 5. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या विद्वत्परिषद द्वारा समय-समय पर लागू विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- 6. छात्रों का प्रवेश अखिल-भारतीय आधार पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से या अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, शैक्षणिक निकायों/प्राधिकरणों के संयोजन में; या योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और जहां भी लागू हो, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/समूह चर्चा/व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से या इनके संयोजन के माध्यम से ऐसे पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्र के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करना है, जैसा कि विद्वत्परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो।

बशर्ते कि इस विश्वविद्यालय के स्थानीय परिसर या उससे संबद्ध कोई निकाय, विश्वविद्यालय की विद्वत्परिषद की अनुमित पर समय-समय पर निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए अपने लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।

- 7. प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मुख्यालय और/या अन्य स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।
- 8. किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/समूहचर्चा/ व्यक्तिगत साक्षात्कार या इनके मिश्रित स्वरूप और उसकी प्रक्रिया के संचालन के लिए समय-समय पर निर्धारित विनियम/निर्देश/दिशानिर्देश पूर्णतया लागू होंगे।
- 9. अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित स्तर पर इस उद्देश्य के लिए गठित प्रवेश समितियों द्वारा किया जाएगा।
- 10. प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, अवधि तथा मूल्यांकन योजना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 11. विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यताएं विद्वत्परिषद द्वारा समय-समय पर लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।
- 12. प्रवेश के प्रयोजन के लिए भारत सरकार/यूजीसी द्वारा विभिन्न श्रेणियों/वर्गों/जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण नीति को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया जाएगा।

बशर्ते कि इस खंड में कोई भी बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, बच्चों/युद्ध में विकलांग/मारे गए सशस्त्र बलों के किमेंयों की विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों या आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिवास रखने वाले व्यक्ति या निर्देश/शिक्षा की पारंपरिक धारा में अध्ययन करने वाले व्यक्ति या खिलाड़ी के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी।

- 13. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश से अधिक 10% सीटें विदेशी राष्ट्रीयता/अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए होंगी।
- 14. व्यावसायिक कार्यक्रमों को छोड़कर, कुलपति द्वारा ऐसी परिस्थितियों में, जहां वह आवश्यक समझे, प्रवेश से अधिक 20% सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- 15. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा, सभी पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाओं की शुरुआत, उपाधि प्रदान करने के लिए निर्देश के समय-समय पर जारी और संशोधित न्यूनतम मानकों से सम्बद्ध यूजीसी मानदंडों द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
- 16. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम और अधिकतम अविध राष्ट्रीय विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्वत्परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 17. यदि, किसी भी समय, यह पता चलता है कि किसी उम्मीदवार ने असत्य या गलत विवरण दिया है या प्रवेश हासिल करने के लिए अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का इस्तेमाल किया है, तो विश्वविद्यालय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।
- 18. उपरोक्त खंडों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या समस्याएं होने पर, कुलपित के पास मामलों का समाधान करने की शक्ति होगी।

अध्यादेश सं. 02

छात्रावास

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 29(1)(h) के खंड 12(2)(xvi) और 12(2)(xi) को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

1. छात्रावास के उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) विश्वविद्यालय के छात्रों को रहने के लिए अनुकूल स्थान प्रदान करना, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें;

- (ii) यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को एक साथ रहने, सहयोग और सद्भावना की भावना को आत्मसात करने और व्यापक सामाजिक स्वरूप बनाने का अवसर मिले;
- (iii) अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास और उनकी कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने के लिए सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के अवसर प्रदान करना; और
- (iv) छात्रों में अपने मामलों का समाधान करने की क्षमता विकसित करना।

2. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण - केन्द्रीय छात्रावास समिति

- (i) केन्द्रीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
 - (अ) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

अध्यक्ष

सदस्य

- (बी) तीन कैम्पस निदेशक (कुलपति द्वारा नामित सदस्य)-
- (सी) मुख्य वार्डन (कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य)- सदस्य
- (डी) वार्डन दो (उनमें एक महिला) कुलपति द्वारा नामित सदस्य
- (ई) उप निदेशक/ सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा एवं खेल)- सदस्य (कुलपति द्वारा नामित-एक)
- (च) रजिस्ट्रार या उसका नामांकित व्यक्ति सदस्य
- (जी) उप निदेशक/उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) सदस्य-सचिव
- (ii) छात्रावास संबंधी केन्द्रीय समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:-
 - (क) सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति के साथ, छात्रावासों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए एक आचार संहिता तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी।
 - (ख) विश्वविद्यालय को उनके प्रबंधन से संबंधित नीति, अनुशासन, रखरखाव आदि के मामलों पर सलाह देना।
 - (ग) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।
- (iii) केन्द्रीय समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार सम्भव हो, बैठक करेगी। छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा बैठकें बुलाई जाएंगी और उनकी अध्यक्षता की जाएगी और इसके 50% सदस्यों से कोरम पूरा होगा। अधिष्ठाता, छात्र कल्याण समिति के निर्णय को कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

3. परिसर में छात्रावास :-

- (i) विश्वविद्यालय ऐसे छात्रावास बनाए रखेगा जो निवास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।
- (ii) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को समय-समय पर छात्रावासों पर केन्द्रीय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iii) प्रत्येक छात्रावास एक वार्डन के प्रभार में होगा। वार्डन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए मुख्य वार्डन के प्रति जिम्मेदार होंगे।

4. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण - परिसरीय छात्रावास समिति

(i) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) परिसर के निदेशक - अध्यक्ष

(ख) मुख्य वार्डन - सदस्य

(ग) वार्डन - सदस्य

(घ) परिसर के सबसे वरिष्ठ संकाय सदस्य - सदस्य

(ड़) एक संकाय सदस्य (महिला) - सदस्य

परिसर के निदेशक द्वारा मनोनीत

- (च) दो छात्र प्रतिनिधि परिसर के निदेशक द्वारा मनोनीत- सदस्य
- (छ) सहायक रजिस्ट्रार/अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) सचिव
- (ii) समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:-
 - (क) विश्वविद्यालयीय छात्रावासों में प्रबंधन, चयन और छात्रों का प्रवेश।
 - (ख) छात्रावासों का पर्यवेक्षण।
 - (ग) निवासी छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना।
 - (घ) किसी छात्र का एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानांतरण।
 - (ड़) ऐसे अन्य कर्त्तव्य, जो निदेशक द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
- (iii) सिमिति किसी छात्र को कदाचार के लिए चेतावनी देने, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाने और/या छात्रावास से निकालने की अनुशंसा कर सकती है।
- (iv) समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार सम्भव हो, और प्रत्येक सत्रार्द्ध में कम से कम दो बार बैठक करेगी। बैठकें परिसर के निदेशक द्वारा बुलाई जाएंगी और इसके चार सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

परिसर के निदेशक छात्रावासों के सुचारू संचालन/रखरखाव के लिए अपने स्तर पर समस्याओं को निपटाने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। हालाँकि, नीतिगत मामलों और प्रमुख विवादों आदि से संबंधित समस्याओं को निदेशक द्वारा आवश्यक कार्रवाई और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छात्रावासों पर केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. उपरोक्त खंडों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या समस्याओं पर, कुलपित के पास मामलों को हल करने की शक्ति होगी।

अध्यादेश सं. 03

परीक्षा मण्डल

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 धारा 29(1)(c) व (g) एवं 46 को खंड18(3)(a) और 12(2)(xiv) को प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय में एक परीक्षा मण्डल होगा।
- 2. मण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-
 - (i) कुलपति या उनके नामांकित व्यक्ति अध्यक्ष
 - (ii) कुलसचिव सदस्य
 - (iii) अध्ययन परिषद के तीन अधिष्ठाता पारंपरिक शास्त्रों

में से एक-एक, शिक्षा शास्त्र, आधुनिक विषय एवं भाषाओं

से कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा - सदस्य

- (iv) विद्वत्परिषद् से एक आचार्य
 - अध्ययन परिषद के अधिष्ठाता के अतिरिक्त
 - कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा सदस्य
- (v) कार्यकारी परिषद से एक सदस्य
 - कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा- सदस्य
- (vi) विभिन्न क्षेत्र/ज़ोन से परिसरों के तीन निदेशक

- कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा

सदस्य

(vii) परीक्षा नियंत्रक

सदस्य-सचिव

- 3. पदेन सदस्यों के अलावा सभी नामित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे और कुलपित के विवेक पर पुन: नामांकन/पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- 4. परीक्षा मण्डल की बैठक के लिए छह सदस्यों से कोरम बनेगा, जिसमें कम से कम एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होगा।
- मण्डल विभिन्न परीक्षक बोर्डों द्वारा अग्रेषित समेकित परिणामों पर विचार करेगा, उसे मंजूरी देगा और विश्वविद्यालय में सभी परीक्षा परिणामों की घोषणा की व्यवस्था करेगा।
- 6. परीक्षा मण्डल के पास इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार असाधारण और योग्य मामलों में विद्वत्परिषद को अनुग्रह अंक/ग्रेड की अनुशंसा करने की शक्ति होगी। यह परीक्षाओं से संबंधित सभी मामलों पर एक अपीलीय मण्डल के रूप में भी काम करेगा।
- 7. परीक्षा मण्डल हर साल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कामकाज पर विद्वत्परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रभावी सुधार के लिए सिफारिशें करेगा।
- 8. परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले या किसी भी तरह से परीक्षाओं के संचालन के नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मण्डल अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें भी करेगा।
- 9. यह ऐसे अन्य कर्तव्यों और कार्यों का पालन करेगा जो विद्वत्परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएंगे। बशर्ते कि परीक्षा मण्डल ऊपर उल्लिखित अपनी किसी भी या सभी शक्तियों को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को सौंप सकता है।
- 10. यह ऐसे सभी अन्य कर्तव्य और कार्य भी करेगा जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 11. उपरोक्त खंडों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या मुद्दों पर, कुलपित के पास मामलों को हल करने की शक्ति होगी।

अध्यादेश सं. 04

अनुसंधान मण्डल

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 धारा 29(1)(c) व (g) एवं 46 को खंड18(3)(a) और 12(2)(xiv) को प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान मण्डल होगा और विश्वविद्यालय के संबंधित परिसरों में कुलपित द्वारा गठित स्थानीय अनुसंधान समितियां भी होंगी। ये स्थानीय अनुसंधान समितियाँ विश्वविद्यालय के अनुसंधान मण्डल की देखरेख में कार्य करेंगी।
- 2. अनुसंधान मण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

(i) कुलपति		-	अध्यक्ष
(ii) अध्ययन परिषद के सभ	नी अधिष्ठाता -		सदस्य
(iii) अध्ययन परिषद के र्आ	धेष्ठाताओं के अलावा पांच प्र	ग्रोफेसर	
- कुलपति द्वारा नामित	र । -		सदस्य
(iv) अन्य विश्वविद्यालयों/सं	स्थाओं से पांच बाह्य विशेषः	ज्ञ	
- कुलपति द्वारा नामित	1	-	सदस्य

(v) परीक्षा नियंत्रक - सदस्य

(vi) निदेशक (कुलपति द्वारा नामित एक) - सदस्य

(vii) कुलसचिव - सदस्य

(viii) निदेशक, शैक्षणिक मामलें, के.सं.वि., दिल्ली - सदस्य सचिव

- 3. पदेन सदस्यों के अलावा सभी नामित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।
- 4. विद्वत्परिषद के समग्र मार्गदर्शन के अधीन, अनुसंधान मण्डल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-
 - (i) विश्वविद्यालय के अनुसंधान-नीति का दस्तावेज तैयार करना।
 - (ii) अनुसंधान का दायरा तैयार करना, जिसमें प्रमुख और छोटी परियोजनाएं, परामर्श या विद्वत्परिषद द्वारा सौंपी गई कोई अन्य अनुसंधान गतिविधियां शामिल होंगी।
 - (iii) शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना और शोध के विषय को अंतिम रूप देना।
 - (iv) इसके दायरे में आने वाले विषयों में अनुसंधान और अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्रों, यदि कोई हो, का परिप्रेक्ष्य तैयार करना:
 - (v) विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण के लिए संस्थागत अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना;
 - (vi) अंतर्विषयक और बहुविषयक अनुसंधान कार्यों/कार्यक्रमों का संचालन और संवर्धन करना और विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वित्तपोषण का लाभ उठाना एवं व्यवस्था करना।
 - (vii) प्रत्येक विभाग में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और अनुसंधान के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था और प्रगति का मूल्यांकन करना और समय-समय पर प्रगति की आलोचनात्मक जांच करना;
 - (viii) विशेष रूप से विश्वविद्यालय की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में विद्याशाखाओं में अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को इंगित करना और विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखना और सुविधाएं बनाना। संबंधित विद्याशाखाओं के लिए स्वीकृत प्रमुख क्षेत्रों और विद्यास्थानों के सदस्यों के व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखना एवं सुविधाएँ प्रदान करना;
 - (ix) ऐसे अन्य कार्य करना जो विद्वत्परिषद द्वारा उसे सौंपे जाएं।
 - (x) यदि अनुसंधानकर्ता की प्रगति असंतोषजनक है, तो अनुसंधान मण्डल इसके कारणों को दर्ज करेगा और सुधारात्मक उपाय सुझाएगा। यदि, अनुसंधानकर्ता इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो अनुसंधान मण्डल अनुसंधानकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने के लिए विशिष्ट कारणों के साथ परिसर को अनुशंसा कर सकता है।
- 5. अनुसंधान मण्डल की वर्ष में कम से कम दो बार नियमित बैठक होगी। अनुसंधान मण्डल की बैठक के लिए सात सदस्य कोरम बनाएंगे।
- 6. विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना।
- 7. उपर्युक्त खंडों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या मुद्दों पर, कुलपित के पास मामलों को हल करने की शक्ति होगी।

अध्यादेश सं. 05

परीक्षकों की नियुक्ति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 29 (1) (जी) को खंड 18(3)(ए) को इसके प्रथम संविधियों के साथ 12(2)(14) पढ़ा जाए।)

(1) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए

विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए, प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षकों की नियुक्ति कुलपित द्वारा की जायेगी। इसके अलावा परिसर/संबद्ध संस्थान, स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षकों की नियुक्ति, कुलपित के अनुमोदन से परिसर के निदेशक/संबद्ध संस्थान के प्रमुख द्वारा की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा नियमित परीक्षाएं, अन्तिम सत्रार्द्ध परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। जहां भी आवश्यक हो, परीक्षा का प्रारुप परीक्षा मण्डल में सम्बन्धित विद्या-शाखा के संकायाध्यक्ष के परामर्श के बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्रश्न पत्र तैयार करने और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ/परीक्षकों के पैनल का चयन शैक्षणिक परिसर द्वारा किया जाएगा और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कुलपति को अपने पैनल से विशेषज्ञों/परीक्षकों का चयन करने का अधिकार होगा।

(3) विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान करने हेतु-

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के लिए परीक्षक, नियमानुसार सम्बन्धित संकाय द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपित द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्यादेश सं. 07

विद्यास्थानों के अधिष्ठाता/संकायाध्यक्ष

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा-9 (3) एवं 12 को खंड - 4 एवं 39 को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- (1) विश्वविद्यालय में विद्यास्थानों के अधिष्ठाता होंगे।
- (2) विद्यास्थान के प्रत्येक अधिष्ठाता की नियुक्ति वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम के आधार पर आचार्यों में से 3 वर्ष के लिए कुलपित द्वारा की जाएगी।

यदि विद्यास्थान में केवल एक आचार्य या कोई आचार्य नहीं हो तो अधिष्ठाता को कुछ समय के लिए आचार्यों में से, यदि कोई हो तो और विद्यास्थान में सह-आचार्य में से वरिष्ठता चक्रानुसार नियुक्त किया जाएगा।

अधिष्ठाता के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संकाय सम्बन्धित समस्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

- (3) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अधिष्ठाता अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के दायित्वों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन वरिष्ठतम आचार्य द्वारा किया जाएगा।
- (4) विद्यास्थान का प्रमुख, अधिष्ठाता ही होगा, और विद्यास्थान में शिक्षण, अनुसन्धान के मानकों के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त/अन्य कार्यों का संयोजन करेगा।
- (5) अधिष्ठाता को विद्यास्थानों के अध्ययन परिषद या समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, किन्तु सदस्यता न होने पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (6) विद्यास्थान के अधिष्ठाता अध्ययन परिषद के अधिष्ठाता के रूप में प्रदत्त विषय से सम्बन्धित गति-विधियों के लिए, कुलपित, शैक्षणिक परिसर और कार्यकारी परिषद के प्रति जवाबदेह होंगे। जिस परिसर में वह कार्यरत हैं वहाँ शिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए वह परिसर निदेशक के प्रति जिम्मेदार होगा।
- (7) विद्यास्थान के शैक्षणिक अधिष्ठाता अपने विद्यास्थान के संकायाध्यक्ष के साथ समन्वय बनाएं रखेंगे।
- (8) विद्यास्थानों के संकायाध्यक्ष अन्य सभी कर्तव्यों और सभी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे, और अधिनियम और कानून में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- (9) कुलपित कठिनाइयों को दूर करने एवं किसी अन्य असाधारण विषय का समाधान करने के लिए इस अध्यादेश में किसी बात के न होने पर भी उचित निर्णय ले सकते हैं।

अध्यादेश सं. 09

विभागाध्यक्ष

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 29(1) (ओ) तथा खंड 13(1) (सी) और 39 को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाये)

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में परिसर स्तर पर सम्बन्धित विषयों के संयोजक होंगे।

- (2) विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपित द्वारा सम्बन्धित विभागों के आचार्यों में से 3 वर्ष की अविध के लिए वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी।
- (3) वह करेगा/करेगी
 - (i) सभी शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यास्थान के, सम्बन्धित अधिष्ठाता के प्रति जिम्मेदार होगा।
 - (ii) विभाग का शैक्षणिक प्रमुख होगा और कुलपित के अनुमोदन से विभाग और अध्ययन परिषद की बैठकें आयोजित करेगा और उनकी अध्यक्षता करेगा।
 - (iii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विभाग के शिक्षकों के माध्यम से अनुशासन बनाये रखेगा।
 - (iv) विभाग में शिक्षकों को ऐसे कार्यभार प्रदत्त करेगा जो विभाग को सुचारु रूप से चलाने हेतु आवश्यक हो।
 - (v) विभाग में शिक्षण और अनुसन्धान के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।
 - (vi) विभाग का बजट संचालित करना, विभाग से सम्बन्धित अधिनियम/कानून/अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और
 - (vii) ऐसे अन्य शैक्षणिक कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे शैक्षणिक परिषद, कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा सौपें जाएगें।
- (4) परिसर स्तर पर- परिसर स्तर पर विभागों के संयोजकों की नियुक्ति निदेशक द्वारा कुलपित के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। उन्हें सम्बन्धित विभागों/विषयों में वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम के आधार पर आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा।
- (5) यदि परिसर के सम्बन्धित विभागों/विषयों में कोई आचार्य नहीं है, तो सह-आचार्य को सम्बन्धित विभागों/विषयों के संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि सम्बन्धित विभागों/विषयों में सह आचार्य भी उपलब्ध नहीं है, तो विभागों/विषयों में सहायक आचार्य को संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (6) तथापि एन.सी.टी.ई मानदण्डों की पूर्ति में परिसर स्तर पर शिक्षाशास्त्र विभाग में आचार्यों/सह आचार्यों, में से एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसे विश्वविद्यालय के कुलपित द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर परिसर निदेशक द्वारा प्रदान की गई वरिष्ठता के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- (7) प्रत्येक परिसर में स्कूल स्तर पर एक प्रमुख होगा जो परिसर स्तर पर विभागों और विषयों की सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा। वह परिसर स्तर पर सम्बन्धित स्कूल का वरिष्ठ संकाय होगा। उन्हें आचार्यों/सह आचार्यों के बीच चक्रानुक्रम के आधार पर तीन साल की अविध के लिए कुलपित के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सभी विभागों/विषयों के संयोजक सम्बन्धित विद्यास्थान के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- (8) वह करेगा/करेगी
 - (i) विभागों/विषयों की बैठकें बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना, जो परिसर निदेशक के अनुमोदन से एक सत्रार्द्ध में कम से कम दो बार आयोजित की जाएँगी।
 - (ii) परिसर निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा और उनकी पर्यवेक्षण में निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करेगा-
 - (क) विभाग में शिक्षण और अनुसन्धान गतिविधियों का आयोजन और निरीक्षण करना।
 - (ख) विभाग द्वारा किए गए शिक्षण कार्य के आवांटन के अनुरूप समय-सारिणी तैयार करना।
 - (ग) शिक्षकों के माध्यम से कक्षा और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाएं रखना।
 - (घ) विभाग के समुचित संचालनार्थ विभागीय प्राध्यापकों के मध्य कार्यावंटन करना।
 - (ड़) विभाग में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मध्य विभागीय कार्यावंटन।
 - (च) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे समय-समय पर परिसर निदेशक द्वारा सौंपे जाए।
- (9) इस अध्यादेश में किसी बात के न होने पर भी कुलपित विभागीय समस्याओं के समाधानार्थ किसी अन्य असाधारण विषय को हल करने के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।

केन्द्रीय पुस्तकालय समिति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 17, 29 (1) (b) तथा (46) को खंड 8 की प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाये।)

- (1) विश्वविद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय समिति होगी जिसका गठन कुलपति द्वारा किया जाएगा। यह समिति विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की देखरेख में कार्य करेगी।
- (2) केन्द्रीय पुस्तकालय समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
 - (i) कुलपति अध्यक्ष
 - (ii) कुलपति द्वारा नामित एक अधिष्ठाता सदस्य
 - (iii) परिसर निदेशक सदस्य
 - (iv) कुलपति द्वारा नामित तीन बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
 - (v) कुलसचिव सदस्य
 - (vi) कुलपति द्वारा नामित परिसर पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष-सदस्य
 - (vii) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य सचिव
- (3) सभी नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बनें रहेंगे। और कुलपित के विशेषाधिकार पर पुनः नामित/पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (4) शैक्षणिक परिषद के समग्र मार्गदर्शन के अन्तर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय समिति अन्य गतिविधियों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगी:-
 - (i) मुख्यालय और परिसर पुस्तकालयों में पुस्तकों, पाण्डुलिपियों, शोधपत्रिका, पत्रिकाओं और अन्य पठन सामग्री का रख-रखाव करना।
 - (ii) माइक्रोफिल्म के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पाण्डुलिपि और शोधपत्रिकाओं का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करना।
 - (iii) पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और शोध पत्रिकाओं की क्रय विक्रय और नीतियों के कार्यान्वयन/निरीक्षण के लिए एक नीति तैयार करना।
 - (iv) दुर्लभ पुस्तकों, शोध-थीसिस और शोध पत्रिकाओं के डिजिटलीकरण के लिए नीति तैयार करना और नीतियों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना।
 - (v) मुख्यालय और परिसर पुस्तकालयों सम्बन्धी कार्यों के लिए नीति और नियम तैयार करना।
 - (vi) मुख्यालय और परिसर पुस्तकालयों के सुचारु संचालनार्थ वार्षिक आधार पर आवश्यक बजटीय प्रावधान पर चर्चा करना और अनुशंसा करना।
 - (vii) समय-समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्देशित अन्य गतिविधियों को गति देना।
 - (viii) ई-लाईब्रेरी एवं लाईब्रेरी पोर्टल आदि का रख-रखाव करना।
- (5) केन्द्रीय पुस्तकालय समिति वर्ष में कम से कम दो बार नियमित रूप से बैठक करेगी।
- (6) केन्द्रीय पुस्तकालय समिति की बैठक के लिए आठ सदस्य कोरम बनाएगें जिसमें कम से कम एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होगा।
- (7) विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य सभी दायित्वों एवं कार्यों का निर्वहन करना।

(8) उपरोक्त खण्डों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या मुद्दों के निस्तारण सम्बन्धी अधिकार कुलपति के पास होंगे।

अध्यादेश सं. 11

अध्ययन परिषद

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 19 (iv) 2,3,29 (1) (f) को खंड 18 की इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. प्रत्येक विभाग में अध्ययन परिषद होगा। अपितु अध्ययन परिषद, अन्तर्विषयक/बहुविषयक केंद्रों में, आवश्यकता के अनुसार कुलपित द्वारा विशेष अध्ययन परिषद का गठन किया जा सकता है।
- 2. अध्ययन परिषद का संविधान अध्ययन परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे।
 - (i) विभागाध्यक्ष/ विशेष अध्ययन केन्द्र के प्रमुख, अन्तर्विषयक/बहुविषयक सम्बन्धित केन्द्र के प्रमुख - अध्यक्ष
 - (ii) कुलपति द्वारा नामित/ विभाग/ केन्द्र/स्कूल के दो से पांच आचार्य - सदस्य
 - (iii) कुलपति द्वारा नामित दो या तीन विशेषज्ञ सदस्य
 - (iv) कुलपित के द्वारा नामित निदेशक (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में से पूर्व छात्र और सम्बद्ध विषय से सम्बन्धित कोई दो विशेषज्ञ होंगे। - सदस्य
 - (v) दो विश्वविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ कुलपित द्वारा नामित होंगे और जब भी अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम लागू होंगे, आमंत्रित किया जायेगा
 - (vi) चक्रानुक्रम में वरिष्ठ दो सह-आचार्य सदस्य
 - (vii) चक्रानुक्रम में वरिष्ठ, विभाग के दो सहायक आचार्य सदस्य
 - (viii) अध्ययन परिषद के सदस्यों में से सदस्य

संयोजक नामित किया जा सकता है। - सदस्य

(ix) माननीय अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से

आमन्त्रित प्रतिनिधि छात्र - आमंत्रित सदस्य

(x) निदेशक अधिष्ठाता को सुझाव हेतु आमन्त्रित

किया जा सकता है। - आमंत्रित सदस्य

3. अध्ययन परिषद का कार्यकाल

- (I) अध्ययन परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- (II) किसी भी आकस्मिक रिक्ति को शेष अवधि के लिए भरा जा सकता है।

4. अध्ययन परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य

शैक्षणिक परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन अध्ययन परिषद के कार्य विभिन्न उपाधि और अनुसंधान उपाधि की अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान के लिए विषयों को स्वीकृति देना और निर्धारित तरीके से संबंधित स्कूल मण्डल को अनुशंसा करना होगा।

सदस्य

- (i) सभी उपाधि, डिप्लोमा आदि (शोध उपाधि को छोड़कर) के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।
- (ii) अनुसंधान हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।
- (iii) शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय
- (iv) किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप और सामग्री निर्धारित करना।

अध्ययन परिषद के उपरोक्त कार्य, अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत बाद, तीन वर्षों की अवधि तक विभाग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

5. अध्ययन परिषद

- (i) अध्ययन परिषद की बैठक प्रत्येक सत्रार्ध में कम से कम एक बार, वर्ष में दो बार एवं विशेष अवसरों पर कुलपित द्वारा निर्धारित बैठक करेगा।
- (ii) अध्ययन मण्डल की बैठक के लिए, कुल सदस्यों के 50% सदस्यों की बैठक से होगा। जबिक बैठक में अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम की शुरूआत पर चर्चा की जाएगी कोरम बनाने के लिए कम से कम एक बाह्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (iii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- (iv) यदि अध्यक्ष की दृष्टि में, किसी भी विषय पर विचार करने के लिए अध्ययन परिषद की बैठक बुलाना आवश्यक या समीचीन नहीं है और यदि वह मानता है कि किसी मामले को सदस्यों के बीच परिचालित करके निपटाया जा सकता है। अध्ययन परिषद इस आशय में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।
- 6. उपरोक्त खंडों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या मुद्दों पर, कुलपति के पास मामलों के समाधानार्थ विशेषाधिकार होगा।

अध्यादेश सं. 12

कुलपति की परिलब्धियाँ, सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कार्य

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 9 (2) और 11 को खंड 2, 3 और 39 को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. कुलपित की परिलब्धियां, सेवा के नियम, शर्तें तथा शक्तियां और कार्य अधिनियम और संविधियों में निर्धारित अनुसार होंगे।
- 2. कुलपित समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे, जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप होगा । भारत सरकार के नियमों और पात्रता भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होगी।
- 3. कुलपित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी भी अनुमोदित अस्पताल/नर्सिंग होम के निजी ओ.पी.डी./निजी वार्ड के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।
- 4. कुलपित अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने गृह नगर से कर्तव्य स्थल तक और कार्यभार ग्रहण करने एवं छोड़ने और उनके कार्यकाल की समाप्ति पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता के खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

अवकाश:

- (i) कुलपित , अपने कार्यालय का प्रभार छोड़ने के समय उन्हें देय पूर्ण वेतन पर अवकाश के दिनों की संख्या के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर दिनों की संख्या के लिए हकदार होंगे । अधिकतम 300 दिनों के अधीन . जिसमें अन्यत्र से लिया गया नकदीकरण लाभ भी शामिल है ।
- (ii) कुलपित सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिनों की दर से आधे वेतन अवकाश के भी हकदार होंगे। चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्द्ध-वेतन अवकाश का लाभ परिवर्तित अवकाश के रूप में भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि जब इस तरह के रूपांतरित अवकाश का लाभ उठाया जाता है, तो अर्द्ध-वेतन अवकाश की दोगुनी राशि देय अर्द्ध-वेतन अवकाश के विरुद्ध डेबिट की जाएगी।

- (iii) कुलपति चिकित्सा आधार पर या अन्यथा पांच साल की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन महीने के लिए बिना वेतन के असाधारण अवकाश का लाभ उठाने के भी हकदार होंगे।
- 5. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक सेवा, या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाने के कारण कुलपति की अनुपस्थिति के मामले में , बिताई गई अवधि को ड्यूटी पर माना जाएगा ।
- 6. जहां विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को कुलपित के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसे कुलपित के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले अपने खाते में किसी भी अवकाश का लाभ उठाने की अनुमित दी जाएगी। इसी प्रकार, कुलपित का पद छोड़ने पर और अपने पुराने पद पर पुनः शामिल होने की स्थिति में, वह अपने खाते में ली गई अवकाश को नए पद में वापस ले जाने का हकदार होगा।
- 7. इसके अलावा, उसे किसी भी भविष्य निधि में योगदान करने की अनुमित दी जा सकती है, जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से योगदान करेगा जिस दर पर उस व्यक्ति ने किया था। जिसमें वे कुलपित के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले योगदान दे रहे थे।
- 8. यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर कुलपित नियुक्त किया जाता है, तो वह उस संस्थान के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्ते, अवकाश और अवकाश वेतन के हकदार होंगे जहां वह इससे पूर्व लाभ ग्रहण कर रहे थे। कुलपित के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले और जब तक वह इस पद पर अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखते हैं, तब तक हकदार हैं। विश्वविद्यालय संस्थान को अवकाश वेतन, भविष्य निधि, पेंशन अंशदान का भी भुगतान करेगा। जहां वह स्थायी रूप से कार्यरत है, जैसा कि नियमों के तहत स्वीकार्य है।

सुविधाएं

- (i) कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित फर्नीचर के साथ पानी, बिजली और किराया मुक्त सुसज्जित आवास पाने का हकदार होगा। उनके आवास परिसर का रख-रखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (ii) कुलपित निःशुल्क सरकारी कार की सुविधा के हकदार होंगे । उसे अपने निवास पर वाई-फाई/इंटरनेट सुविधा के साथ-साथ मोबाइल फोन और मुफ्त टेलीफोन (एस.टी.डी. और आई.एस.ओ. के साथ) सेवा का भी अधिकार होगा ।
- (iii) कुलपति कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित निवास और निवास कार्यालय में कर्मचारियों की सेवाओं के हकदार होंगे ।

शक्तियाँ और कार्य

कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक प्रमुख होता है । अधिनियम और संविधियों में निर्धारित शक्तियों और कार्यों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा: -

- 1. यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाता है;
- 2. दिन-प्रतिदिन के काम के लिए अपनी शक्तियां अधिष्ठाता, विभागाध्यक्षों और अन्य कार्यालयों को सौंपना , जिन्हें इस संबंध में निर्धारित स्पष्ट नियमों के आधार पर कार्य करना चाहिए;
- 3. अल्प अवधि के लिए अस्थायी पदों के सृजन एवं अवकाश की स्वीकृति आदि के संबंध में नियमित मदों को सुनिश्चित करना जो सामान्यतः कार्यकारी परिषद को नहीं भेजा जाना चाहिए;
- 4. परिसरों/अन्य विभागों के निदेशकों, अधिष्ठाता, प्रमुख, प्रॉक्टर, छात्र कल्याण अधिष्ठाता और वार्डन आदि की नियुक्ति करना।
- 5. किसी प्राधिकारी के किसी भी निर्णय पर कार्रवाई न करने की शक्ति, यदि उसकी राय है कि यह अधिनियम या प्रतिमानों या अध्यादेशों के प्रावधानों के दायरे से बाहर है या ऐसा निर्णय उसके सर्वोत्तम हित में नहीं है। विश्वविद्यालय, यदि दोनों मामलों में, वह संबंधित प्राधिकारी से निर्णय की समीक्षा करने के लिए कह सकता है और यदि मतभेद बने रहते हैं, तो मामले को तुरंत विजिटर के पास भेजा जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा और कुलपति पर बाध्यकारी होगा।

- 6. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों और समितियों के अध्यक्ष के रूप में, उन्हें कार्यवाही में बाधा डालने या रोकने या अशोभनीय व्यवहार करने के लिए प्राधिकरण, निकाय या समिति की बैठक से किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार होना चाहिए।
- 7. कर्मचारियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक शक्तियाँ कुलपित में निहित होंगी। उसके पास किसी कर्मचारी को निलंबित करने और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां होंगी। हालाँकि, कुलपित इन शक्तियों को अन्य अधिकारियों को सौंप सकता है।
- 8. वह निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं को ठीक से आयोजित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किए जाएं और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र उचित तिथियों पर शुरू और समाप्त हो।
- 9. वह जिम्मेदारियों को आवंटित करने और अपेक्षित मानकों के अनुरूप अधिकारियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के प्रदर्शन का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 10. लोगों (छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों सिहत) को इस तरह से प्रबंधित करना, जिससे बड़े पैमाने पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और कार्य विकास आदि की समग्र योजनाओं के अनुसार हों।
- 11. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थानों योजना सिहत केन्द्र पोषित योजनाओं का पर्यवेक्षण करना। संस्थानों को दिशानिर्देशों के अनुसार और उनसे संबंधित किसी भी मामले पर उचित निर्णय लेना होगा।
- 12. संविधियों/अध्यादेश में परिभाषित सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना।
- 13. वह ऐसे आदेश पारित करेगा और ऐसे उपाय करेगा जो उपरोक्त में से किसी को भी लागू करने के लिए आवश्यक हों।
- 14. इस अध्यादेश में किसी भी बात के होते हुए, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों में प्रवेश हेतु लिए जाने वाले शल्क।

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (xx) और 29 (1) (ई) को खंड 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद, समय -समय पर छात्रों द्वारा देय शुल्क निर्धारित करेगी।
- 2. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले जमा करना होगा।
- 3. यदि कोई छात्र समय पर शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए कुल देय शुल्क पर जुर्माना लगाया जाएगा।
 - (i) कुलपित, या उनकी ओर से कोई अन्य अधिकारी, जिसे उनकी शक्तियां सौंपी गई हैं, छात्र कल्याण अधिष्ठाता की सिफारिशों पर विशेष मामलों में शुल्क के भुगतान की किसी भी शर्त में छूट दे सकते हैं। बशर्ते संबंधित छात्र शुल्क के विलंब से भुगतान के कारणों को बताते हुए संबंधित निदेशक/संस्था के प्रमुख के माध्यम से एक लिखित आवेदन जमा करें। ऐसे आवेदन नियत तिथियों से काफी पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
 - (ii) यदि कोई छात्र नियत तिथि से पहले निर्धारित शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो उसका नाम अधिसूचित किया जाएगा और उसके बाद अगले महीने के पहले दिन से विश्वविद्यालय के रोल से काट दिया जाएगा।
 - (iii) एक छात्र जिसका नाम विश्वविद्यालय के रोल से काट दिया गया है, उसे छात्र कल्याण के अधिष्ठाता की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क और पूर्ण बकाया शुल्क और अन्य देय राशि के भुगतान के साथ फिर से प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसा पुनः प्रवेश एक महीने की अविध के भीतर और विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

- (iv) जब भी कोई छात्र विश्वविद्यालय से हटने का प्रस्ताव करता है, तो उसे अपनी वापसी की तिथि की सूचना देने के लिए संबंधित परिसर विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित निदेशक/संस्था के प्रमुख को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका नाम अधिकतम एक महीने की अविध के लिए विश्वविद्यालय के रोल पर रखा जाता रहेगा। उसे परिसर/संस्थान में उसकी अविध के दौरान देय सभी शुल्क/प्रभारों का भगतान करने की भी आवश्यकता होगी।
- 4. विश्वविद्यालय समय-समय पर भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किसी भी श्रेणी के पात्र छात्रों को दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार नि:शुल्क और शुल्क रियायतें प्रदान करेगा।
- 5. एक बार जमा किया गया शुल्क समय-समय पर निर्धारित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सुरक्षा जमा/सुरक्षा राशि के रूप में जमा की गई राशि को छोड़कर वापस नहीं की जाएगी।
- 6. विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के शुल्क, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, छात्रों द्वारा देय होगी।
- 7. छात्रों को हॉल टिकट जारी नहीं किए जाएंगे या परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक कि उन्होंने अपना बकाया जमा नहीं कर दिया हो और परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया हो ।
- 8. परीक्षा परिणाम की दोबारा जांच के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसार होगा। इस शर्त के साथ कि यदि परिणामों की दोबारा जाँच करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परिणामों में कोई त्रुटि या चूक पाई जाती है तो उम्मीदवार को शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
- 9. प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक परीक्षा के लिए अंकों के विवरण को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अंकों के विवरण की दूसरी प्रति/सही प्रति भी प्रदान की जाएगी।
- 10. निम्नलिखित दस्तावेजों को जारी करने और उनकी दूसरी प्रतियों के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा:
 - (क) प्रवासन प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र या उसकी दूसरी प्रति;
 - (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने का अनंतिम प्रमाण पत्र/उसकी दूसरी प्रति;
 - (ग) उपाधि/डिप्लोमा प्रमाणपत्र या उपाधि/डिप्लोमा प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति (एफ.आई.आर. प्रस्तुत करने पर);
 - (घ) अध्ययन प्रमाणपत्र;
 - (ड़) वास्तविक प्रमाण पत्र;
 - (च) अनुलिपि;
 - (छ) उत्तर पुस्तिका/कुंजी की प्रति;
 - (ज) कोई अन्य दस्तावेज़/प्रमाणपत्र या उसकी दूसरी प्रतिलिपि।
- 11. एक छात्र या उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय रजिस्टरों में मूल रूप से दर्ज अपना नाम जोड़ना या बदलना चाहता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा । आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय नामांकन रजिस्टर में उपनाम के रूप में उसके मूल नाम में ऐसा जोड़ या बदलाव किया जाएगा।
- 12. जो छात्र विश्वविद्यालय रजिस्टरों में दर्ज और नियमों के तहत अनुमत किसी अन्य रिकॉर्ड में किसी भी परिवर्तन/सुधार/जोड़ के लिए आवेदन करता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए बिना जन्म तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- 13. विश्वविद्यालय विशेष परिस्थितियों में जरूरतमंद छात्रों के संबंध में भुगतान किए जाने वाले शुल्क/शुल्क में अन्य रियायतें/छूट प्रदान कर सकता है और उसके लिए दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।

14. इस अध्यादेश में किसी भी बात के होते हुए, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 14

उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य पुस्तकालय कर्मचारी

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 9 (8) को खंड 12 (2) (iv) और 39 को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय को ऐसे अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है जिन्हें संविधियों द्वारा उसके अधिकारी घोषित किया जा सकता है।
- 2. भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियमों और मानदंडों के अनुसार पुस्तकालय स्टाफ पर स्टाफिंग पैटर्न, वेतन संरचना, पात्रता, सेवा शर्तें, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लागू होंगी।
- 3. सी.ए.एस./एम.ए.सी.पी. के तहत पदोन्नति, जैसा भी लागू हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालय विनियमों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानदंडों के अनुसार लागू की जाएगी।
- 4. इस अध्यादेश में किसी भी बात के होते हुए बिना, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 15

निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 9 (8), खण्ड 12(2) (Ⅳ) तथा 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है जिन्हें विधि द्वारा इसके अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।
- 2. स्टाफिंग पैटर्न (नियुक्ति प्रणाली), वेतन संरचना, पात्रता, सेवा शर्तें, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ समय-समय पर भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा जारी यूजीसी विनियमों और मानदंडों के अनुसार शारीरिक शिक्षा पर लागू होंगी।
- कैरियर प्रोन्नित योजना के तहत पदोन्नित यूजीसी विनियमों तथा समय पर दिए गये संशोधनों के अनुसार लागू की जाएगी।
- 4. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 16

सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों की नियुक्ति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (viii) और 29 (2) को खंड 12(2) (i) और (ii), 20 और 39 की प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय को सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों की नियुक्ति करने का अधिकार है।
- 2. सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया और मानदंड समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3. स्टार्फिंग पैटर्न (नियुक्ति प्रणाली), वेतन संरचना, पात्रता, सेवा शर्ते, कर्तव्य और जिम्मेदारियां समय-समय पर सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय के विनियमों और सरकार द्वारा जारी मानदंडो के अनुसार लागू होंगी।

4. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 17

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर उन्नयन योजना के अन्तर्गत सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक अधिकारियों की पदोन्नति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 29 (2) को खंड 24 और 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर उन्नयन योजना के तहत सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, विरष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नित करने का अधिकार है।
- 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर प्रोन्नति योजना के तहत सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, विरष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसार की जाएगी।
- 3. वेतन संरचना, पात्रता, सेवा शर्ते, कर्तव्य और जिम्मेदारियां भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये यूजीसी नियमों और मानदंडो के अनुसार सहायकाचार्य, सहाचार्य, आचार्य, विरष्ठ आचार्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागृ होगी।
- 4. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 19

अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6(1)(xiv) और 29 (1) (एफ) को खंड 39 के प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय को अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति,पदक और पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार है।
- 2. विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति और नि:शुल्कता प्रदान करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमोदित योजना के तहत मेधावी और योग्य छात्रों को अध्ययन के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधानों में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहनार्थ पदक और पुरस्कार भी प्रदान करेगा।
- 3. सरकार से धनराशि की उपलब्धता के अधीन विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रत्येक विषय में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। भारत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृत योजना को इस पुरस्कार के लिए नियमों को विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
- 4. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों और शुल्कमुक्ति का प्रबंधन विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपित द्वारा गठित एक सिमिति द्वारा किया जाएगा।
- 5. विश्वविद्यालय की केन्द्रीय योजना के तहत अखिल भारतीय आधार पर अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा, जिसकी प्रक्रिया, मात्रा और संख्या अनुदान सहायता समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के तहत अनुमोदित धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अध्ययन या अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय में अध्येतावृत्ति स्थापित की जाएंगी।
- विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं /प्रतियोगिताओं में उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए पदक/पुरस्कार देने की योजना होगी।
- 8. विश्वविद्यालय के पास केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के अनुसार समय-समय पर अक्षयिनिधि को स्थापित करने की शक्ति होगी। कुलपित प्रत्येक अक्षयिनिधि के प्रशासन और अक्षयिनिधि की वस्तुओं को क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन करेंगे।

9. इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 20

दीक्षांत समारोह

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6(1)(ii), 10(2) और 29 (1) (ओ) को खंड 3(1), 31 और 39 को प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

1. विश्वविद्यालय उपाधियों/डिप्लोमा प्रदान करने के उद्देश्य से उस तिथि और स्थान पर दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा जो कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि एक विशेष दीक्षांत समारोह ऐसे समय पर आयोजित किया जा सकता है जो प्रक्रिया के अनुसार मानद उपाधियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से या विद्वत परिषद की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों में अन्य उपाधियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

- 2. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधि प्रदान करने की तिथि उस तिथि से 180 दिनों के भीतर होगी जब तक छात्रों को इसके लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद है।
- 3. कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, तो उपाधियों/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- 4. कुलपित, कुलाधिपित के परामर्श से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।
- 5. दीक्षांत समारोह में कुलपति विश्वविद्यालय की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- दीक्षांत समारोह के लिए संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों की बैठकों के लिए रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।
- संबंधित अधिकारी, नोटिस के साथ, दीक्षांत समारोह के प्रत्येक सदस्य को वहां अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का एक कार्यक्रम जारी करेगा।
- वे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले दीक्षांत समारोह के बाद के वर्षों में अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, वे दीक्षांत समारोह में प्रवेश के पात्र होंगे।

बशर्ते कि यदि किसी विशेष वर्ष में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो कुलपित उस वर्ष में सफल उम्मीदवारों को उनकी अनुपस्थिति में उनकी संबंधित उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश को अधिकृत करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपाधि/डिप्लोमा जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

- 9. उपाधि/डिप्लोमा के लिए उम्मीदवार को दीक्षांत समारोह में उपाधि में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि से पहले या उससे पहले निर्धारित शुल्क के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी को अपना आवेदन जमा करना होगा।
- 10. ऐसे अभ्यर्थी जो दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उन्हें कुलपित द्वारा उनकी अनुपस्थिति में, उपाधि प्रदान की जाएगी और उनकी उपाधि उनके अनुरोध पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी की जाएगी।
- 11. दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से और अनुपस्थिति में उपाधि को प्राप्त करने के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 12. मानद उपाधि/उपाधि दीक्षांत समारोह/विशेष दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी और इसे व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में लिया जा सकता है।
- 13. दीक्षांत समारोह में जिन व्यक्तियों को मानद उपाधि/उपाधि प्रदान की जानी है, उनकी प्रस्तुति कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- 14. दीक्षांत समारोह के लिए औपचारिक पोशाक:-

- (i) विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह आदि जैसे विशेष अवसरों के लिए निर्धारित औपचारिक पोशाकों के लिए हथकरघा कपड़ों का उपयोग करेगा।
- (ii) दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान किए जाने वाले उम्मीदवारों को अपनी संबंधित उपाधि के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक पोशाक पहननी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को जो निर्धारित पोशाक में नहीं होगा, दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 15. दीक्षांत समारोह में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया कुलपति द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- 16. उत्तीर्ण छात्रों की उपाधियों पर कुलपित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और मानद उपाधि/उपाधि पर कुलाधिपित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 17. विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन करेगा।
- 18. इस अध्यादेश में किसी बात के बावजूद, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

उपाधियों (मानद उपाधियों सहित), डिप्लोमा, विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र प्रदान करना

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6(1)(iv) और 29 (1) (बी) को खंड 28 और 39 को प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- विश्वविद्यालय को संस्कृत अध्ययन के माध्यमिक, प्राथमिक और प्रारंभिक स्तरों के लिए अपनी उपाधि (मानद उपाधि सहित), डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार है।
- संबंधित उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले अध्ययन के सभी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संबंधित स्कूलों/ विभागों/बोर्डों द्वारा संचालित किए जाएंगे।
- 3. विश्वविद्यालय समय-समय पर अकादिमक परिषद द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, उन छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है, जिन्होंने अध्ययन का प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
- कार्यक्रमों की समयावधि-
 - (i) तीन वर्ष की स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की अवधि छह सत्रार्द्ध में तीन वर्ष की होगी, जिसका समयविस्तार छह सत्रार्द्ध होगा।
 - (ii) दस सत्रार्द्ध में फैले एकीकृत कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रमों की अवधि पांच साल होगी, जिसमें तीन साल (छह सत्रार्द्ध) के बाद निर्गमन के विकल्प के साथ स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
 - (iii) चार साल की स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए एकीकृत कार्यक्रमों की अवधि आठ सत्रार्द्ध में चार साल की होगी।
 - (iv) प्रमाणपत्र/डिप्लोमा कार्यक्रमों की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी और समय-समय पर अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित और निर्धारित की जाएगी।
 - (v) स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की अवधि चार सत्रार्द्ध में दो वर्ष की होगी।
 - (vi) स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की अवधि विस्तार दो सत्रार्द्ध में एक वर्ष होगी।
 - (vii) विद्या वारिधि (पीएचडी)/विद्या वाचस्पति (डी.लिट.) कार्यक्रम समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के अनुसार शासित होंगे।
 - (viii) एक छात्र को स्कूल/विभाग/संस्थान की संतुष्टि के अनुसार प्रत्येक विषय में वास्तव में आयोजित कक्षाओं में से कम से कम 75% और ऐसे सेमिनार, सत्र और व्यावहारिक अभ्यास में उपस्थित होना आवश्यक होगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(ix) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार सभी कार्यक्रमों के लिए निर्गमन विकल्प खुला रहेगा।

बशर्ते, कि विश्वविद्यालय के कुलपति, अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/संस्था के प्रमुख की सिफारिशों पर समय-समय पर विद्वत परिषद द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उपस्थिति में कमी को माफ किया जा सकता है।

बशर्ते, अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त छात्रों को, यदि आवश्यक हो, तो ऊपर बताएं अनुसार पाठ्येतर-कार्यक्रमों में उपस्थिति की विशेष छूट दी जाएगी। इस प्रकार की छूट छात्र कल्याण अधिष्ठाता की पूर्व अनुमित से यात्रा समय सिहत कार्यक्रम में वास्तविक उपस्थिति के दिनों के लिए उपलब्ध होंगी।

5. मानद उपाधियाँ/पदवी प्रदान करना

(i) कार्यकारी परिषद, विद्वत् परिषद की अनुशंसा पर कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा कुलाध्यक्ष को मानद उपाधियाँ प्रदान कर सकती है:

बशर्ते कि आपातकालीन स्थिति में कार्यकारी परिषद स्वविवेक से ऐसे प्रस्ताव बना सकती है।

- (ii) कार्यकारी परिषद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमित से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी मानद उपाधि को वापस ले सकती है।
- (iii) निर्णय के अनुसार मानद उपाधियाँ किसी व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान की जा सकती हैं कि वह प्रतिष्ठित पद और उपलब्धियों के कारण या संस्कृत/संबद्ध विषयों की शिक्षा या प्रख्यात/प्रतिष्ठित सेवाओं के प्रचार-प्रसार में अपने योगदान के आधार पर हो। एक ऐसा उपयुक्त और उचित व्यक्ति, जिसने शिक्षा या समाज के हित में योगदान दिया हो, वह ऐसी उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो सकता है।
- 6. विश्वविद्यालय किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, संस्कृत की सेवा की हो उसे किसी भी उपाधि से सम्मानित करेगा।
- 7. मानद उपाधियों/उपाधियों सहित पदवी, दीक्षांत समारोह/विशेष दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएंगी और व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में ली जा सकती है।
- इस अध्यादेश में किसी भी बात के बावजूद, कुलपित किठनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 22

विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों हेतु अध्ययन-पाठ्यक्रम/कार्यक्रम

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (i), 6 (1) (vi) और 29 (1) (बी), के खंड 39 को प्रथम संविधियों साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमित, अंशकालिक, ऑनलाइन एवं दूरस्थ प्रणाली के द्वारा विभिन्न विद्याशाखाओं में उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों को प्रदान करने हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार शासित होंगे, इस शर्त के साथ कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के तहत निर्दिष्ट उपाधि के अनुरूप होगी, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो।
- 2. विद्यालयीय स्तर पर भी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/सक्षम निकाय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय संचालित करेगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्वत् परिषद के पास अध्ययन परिषद की संस्तुतियों पर किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने, संशोधित करने अथवा बंद करने की शक्ति होगी।

- 4. न्यूनतम पात्रता अर्हता और आवंटित सीट के अनुरूप अंकों का प्रतिशत समय-समय पर विद्वत् परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 5. उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें वही होंगी, जो अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों द्वारा निर्धारित हैं. जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- 6. उपाधि/डिप्लोमा विद्याशाखा के अधीन प्रदान किए जाएंगे।
- 7. इस अध्यादेश में समाविष्ट बिन्दुओं के होते हुए भी कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

परीक्षा/डिग्रियों की मान्यता हेतु समकक्षता समिति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6(1) (xxviii) और 29 (1) (ओ), को उपधारा 39 प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. एक समकक्षता समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:
 - i. अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले)

- अध्यक्ष

ii. कुलपति द्वारा मनोनीत दो विद्याशाखाओं के अधिष्ठाता

- सदस्य

iii . कुलपति द्वारा मनोनीत एक बाह्य विशेषज्ञ

- सदस्य

iv. विद्वत् परिषद द्वारा इसके सदस्यों में से नामित

एक व्यक्ति (तीन वर्ष की अवधि हेत्)

- सदस्य

v. परीक्षा नियंत्रक -

- सचिव

- इस समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:
 - विदेशी विश्वविद्यालयों सहित समय-समय पर संदर्भित की जाने वाली ऐसी परीक्षाओं/डिग्रियों का परीक्षण करके उनकी समकक्षता हेतु विद्वत् परिषद को संस्तुति करना।
 - अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को दिए जाने वाले महत्व का अभिज्ञान एवं निर्धारण करना।
 - iii. प्रवेश के प्रयोजन के लिए समय-समय पर संदर्भित ऐसी परीक्षाओं और योग्यताओं की समकक्षता सुनिश्चित करना; और
 - iv. किसी भी परीक्षा/उपाधि को ऐसे कारणों और ऐसे समय के लिए रोकने, निलंबित करने या रद्द करने/मान्यता देने की जांच करते हुए विद्वत् परिषद को संस्तुति करना।
 - प. विशेष मामलों में, यदि कुलपित संतुष्ट हैं, तो वह एक वर्ष की अविध के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों
 की किसी भी परीक्षा/योग्यता के लिए समकक्षता/मान्यता प्रदान कर सकते हैं और की गई कार्रवाई की
 रिपोर्ट समिति को दी जाएगी, जो इसे जारी रखे जाने अथवा न रखे जाने पर विचार करेगी।
 - vi. सिमिति अपने कार्य में सहयोग हेतु जहां भी आवश्यक हो, एक क्षेत्र-विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।
 - vii. सिमिति अपने कार्यकरण हेतु प्रक्रिया-निर्धारण कर सकती है। यह विद्वत् परिषद के अनुमोदन से समकक्षता निर्धारित करने और/या परीक्षाओं/योग्यताओं के अनुसार मान्यता के उद्देश्य से दिशानिर्देश तैयार करेगी।
 - viii. विद्वत परिषद इस संबंध में अपनी कोई भी शक्ति समकक्षता समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।
- 3. इस अध्यादेश में समाविष्ट बिन्दुओं के होते हुए बिना भी कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

छात्र अनुशासन

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (xxiii) और 29 (1) (ओ), को उपधारा 30 और 39 प्रथम संविधियों के साथ पठित)

- विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुशासन का पालन करना होगा जिसमें अच्छे आचरण और व्यवस्थित व्यवहार का अनुपालन सम्मिलित है।
- विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए निम्नांकित और ऐसे अन्य नियमों का विश्वविद्यालय के छात्रों को सख्ती से अनुपालन करना होगा।
 - (i) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र अनुशासन बनाए रखेगा और सभी स्थानों पर शिष्ट व्यवहार करना अपना कर्तव्य समझेगा:
 - (ii) कोई भी छात्र विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए "सीमा से बाहर" घोषित स्थानों या क्षेत्रों का दौरा नहीं करेगा;
 - (iii) प्रत्येक छात्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना पहचान पत्र हमेशा साथ रखना होगा;
 - (iv) प्रत्येक छात्र, जिसे पहचान पत्र जारी किया गया है, को विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा या समर्पण करना होगा;
 - (v) कोई भी छात्र प्रतिरूपण या गलत नाम देने का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी;
 - (vi) पहचान पत्र के खो जाने पर, जब भी ऐसा हो, तुरंत सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा; और
 - (vii) यदि कोई छात्र एक या अधिक कक्षाओं में 15 दिनों की अवधि के लिए बिना सूचना के निरन्तर कक्षाओं से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसका नाम निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, निर्धारित पुनःप्रवेश शुल्क और अन्य देय राशि आदि के भुगतान पर विश्वविद्यालय द्वारा अगले पखवाड़े के भीतर उसे पुनःप्रवेश दिया जा सकता है।
 - (viii) कुलपति विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त निर्धारित अवधि के बाद भी पुनःप्रवेश पर विचार कर सकते हैं, जो एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3. अनुशासनहीनता में निम्नांकित समाविष्ट होंगे:
- (i) उपस्थिति में अनियमितता, लगातार आलस्य या लापरवाही या सौंपे गए कार्य के प्रति उदासीनता;
- (ii) किसी कक्षा या कार्यालय या पुस्तकालय, सभागार और क्रीड़ांगण आदि में व्यवधान उत्पन्न करना ;
- (iii) शिक्षकों या अधिकारियों के निर्देशों की अवज्ञा करना;
- (iv) छात्र निकायों के चुनाव के समय या बैठकों में या विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या या पाठ्येतर गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकृति का कदाचार या दुर्व्यवहार;
- (v) परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार ;
- (vi) किसी शिक्षक या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी आगंतुक या सुरक्षा कर्मियों के प्रति किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार ;
- (vii) विश्वविद्यालय की संपत्ति/उपकरण को नुकसान पहुंचाना, खराब करना या विकृत करना;
- (viii) दूसरों को उपर्युक्त कोई भी कार्य करने के लिए उकसाना;
- (ix) छात्रों के बीच भ्रामक जानकारी या अफवाह का प्रचार करना ;
- (x) छात्रावास के अन्त:वासियों द्वारा की गई शरारतें, दुर्व्यवहार और/या उपद्रव;
- (xi) छात्रों के लिए 'सीमा से बाहर' घोषित स्थानों या क्षेत्रों का दौरा करना;

- (xii) प्रॉक्टर द्वारा जारी पहचान पत्र नहीं रखना;
- (xiii) विश्वविद्यालय के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने या सरेंडर करने से इनकार करना:
- (xiv) जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर यौन उत्पीड़न, रैगिंग या भेदभाव का कोई भी कार्य और रूप ;
- (xv) गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होना जिसमें प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता, सक्षम अधिकारियों की उचित अनुमित के बिना बैठकें और जुलूस आयोजित करना शामिल है; और
- (xvi) कहीं भी कोई अन्य आचरण जो किसी छात्र के लिए अशोभनीय माना जाए।
- 4. अनुशासन के उल्लंघन का दोषी पाए गए छात्र समुचित और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दंड के भागी होंगे। तथापि, किसी गलती करने वाले छात्र को ऐसी कोई सज़ा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे अपना बचाव करने का उचित मौका न दिया जाए। इससे कुलपित को किसी दोषी छात्र को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निलंबित करने से नहीं रोका जा सकेगा।
- 5. छात्र के सन्दर्भ में अनुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपित में निहित होंगी। तथापि, कुलपित एतत्सम्बन्धी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को, जैसा वह उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी या अनुशासन सिमित, जैसा भी मामला हो, या विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी को सौंप सकता है।
- 6. (i) उपबन्ध 30 के अनुसार, प्रत्येक परिसर/संस्थान में एक अनुशासन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:
 - (क) वरिष्ठतम शिक्षक(निदेशक/संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित) अध्यक्ष
 - (ख) अधिष्ठाता छात्र कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
 - (ग) परिसर/संस्था के संबंधित विभाग के अध्यक्ष सदस्य
 - (घ) निदेशक/संस्थाध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक महिला शिक्षिका- सदस्य
 - (ड.) निदेशक/संस्थाध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक

एससी/एसटी/ ओबीसी प्रतिनिधि - सदस्य

(च) वार्डन (जब छात्रावास के किसी हॉल से

समबन्धित बिन्दु विचारार्थ रखा जाए) - विशेष आमंत्रित

- छ) सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) सदस्य/सचिव
- (ii) अधिनियम और संविधियों द्वारा कुलपित को प्रदत्त किसी भी शक्ति के अधीन, सिमिति विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन और व्यवहार के उचित मानकों से संबंधित सभी मामलों का संज्ञान लेगी और उसके पास दोषी को दंडित करने की शक्तियाँ होंगी. जैसा वह उचित समझे।
 - (क) उक्त समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसे नियम बनाएगी जो वह उचित समझे और ये नियम और उनके अधीन कोई भी अन्य आदेश विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए बाध्यकारी होंगे।
 - (ख) अनुशासन समिति की संस्तुतियाँ कुलपित को प्रस्तुत की जाएंगी जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। तथापि, यदि कुलपित का मन्तव्य है कि मामला समीक्षा के योग्य है, तो वे मामले को पुनर्विचार के लिए अनुशासन समिति को वापस भेज सकते हैं।
 - (ग) कुलपित के निर्णय के विरूद्ध अपील पर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन होगा।
 - (घ) उक्त समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों में से आधे की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी।
- 7. इस अध्यादेश में समाविष्ट बिन्दुओं के होते हुए बिना भी कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

क्रीड़ा और खेल समिति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (xxviii) और 29 (1) (o) को खंड 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए)

- 1. क. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर/संस्था में क्रीडा और खेल समितियां होंगी जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
 - (i) एक वरिष्ठ शिक्षण संकाय
 - निदेशक/संस्था प्रमुख द्वारा नामित

- अध्यक्ष
- (ii) अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति- सदस्य
- (iii) एक महिला शिक्षण संकाय
 - संस्था के निदेशक/प्रमुख द्वारा नामित
- . सदस्य

पदेन सचिव

- (iv) निदेशक द्वारा नामित छात्रों में से एक उत्कृष्ट खिलाड़ी सदस्य
- (v) खेल शिक्षक
- ख. क्र. सं. (iv) पर उल्लेखित सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। क्र. सं. (iv) उल्लेखित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष के लिए रहेगा।
- 2. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:
 - (i) विश्वविद्यालय की क्रीड़ाओं और खेलों की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षण करना और इस संबंध में विनियम तैयार करना।
 - (ii) क्रीड़ा और खेल- प्रतियोगिताओं के लिए बजट तैयार करना।
 - (iii) परिसर/संस्थान और विश्वविद्यालय के खेल मैदानों, व्यायामशालाओं का रख-रखाव करना।
 - (iv) प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाओं, टूर्नामेंटों, एथलेटिक बैठक आदि का आयोजन करना।
 - (v) कुलपति को प्रवेश के लिए नामित किए जाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा करना।
 - (vi) ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करना, जो उसे समय-समय पर विद्वत परिषद द्वारा सौंपे जाएं; और
 - (vii) विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उपाय करना।
- 3. समिति निदेशक/संस्था प्रमुख के मार्गदर्शन में छह महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी।
- 4. सिमति की बैठक के लिए कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति से कोरम का गठन होगा।
- 5. इस अध्यादेश में उल्लिखित किसी विषय के होते हुए भी, कुलपित ऐसे उपाय कर सकेंगे, जो किन्हीं बाधाओं को दूर करने और किन्हीं अन्य असाधारण विचाराधीन विषयों के समाधान के लिए आवश्यक हो।

अध्यादेश सं. 26

अन्य विश्वविद्यालय/प्राधिकरण/संस्थान के साथ सहयोग/सौजन्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना (केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (xii) और 29 (1) (k) को खंड 39 को इसके प्रथम संविधियों को साथ पढ़ा जाए।)

1. अधिनियम और संविधियों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रहों के बिना, विश्वविद्यालय के पास उच्चिशिक्षा की अन्य संस्थाओं को मान्यता देने और उनके साथ सहयोग करने की शक्ति होगी, जिन (संस्थाओं) के पास ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में मुख्य क्षमता है, तािक ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा और शोध को समृद्ध और सम्वर्धित किया जा सके, तथा जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विश्वविद्यालय के लिए लाभपूर्ण हैं और यह भी कि संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे सहयोग के लिए सभी मानदंडों और पात्रता को पूरा करती है।

2. मान्यता के लिए पात्रता

(i) शिक्षा और शोध में ऐसी संस्थाएं जिनके पास प्रामाणिक उत्कृष्टता और अकादमिक क्षमता है और जिनकी क्षमताओं की सतत परम्परा है, वे संस्थाएं विश्वविद्यालय के साथ सहयोग हेतु मान्यता प्राप्त करने के पात्र होंगें।

बशर्ते, कि ऐसे संस्थाएं भारत और विदेशों में कहीं भी स्थित हो सकती हैं और ऐसे निकायों को सरकार या निजी अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है।

- (ii) प्रामाणिक उत्कृष्टता और शैक्षणिक क्षमता को अन्य विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित आधार ध्यातव्य है:
 - क. संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य शीर्ष निकायों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार इस तरह के सहयोग के लिए सभी मानदंडों और पात्रता को संस्थाएं पुरा करेंगी।
 - ख. संस्थाओं का अपना भवन होगा, जिसमें अनुसंधानार्थ अपेक्षित प्रयोगशाला, सुविधाएं एवं पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में शोधपत्रिकाएं, सन्दर्भ पुस्तकें, उन्नत पाठ्यपुस्तकों के साथ इंटरनेट सुविधा, अथवा देश-विदेश के उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों में उपयोग किए जाने वाले ऐसे आधुनिक उपकरण/सुविधाएं होंगी।
 - ग. संस्थाओं के पास शोध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होंगे।
- मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया और प्रदत्त मान्यता का नवीकरण
 - (i) कोई भी ऐसी संस्था जो विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होना चाहती है, वह उपर्युक्त पैरा (ii) के प्रमाण में सहायक अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय को लिखित रूप में एतदर्थ अपना संकल्प व्यक्त करेगी।
 - (ii) ऐसे सभी आवेदन कुलसचिव द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और मान्यता समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे और सामान्य रूप से आवेदन वर्ष में दो बार विचार किये जाएंगे: -

अ. कुलपति - अध्यक्ष

ब. सभी विद्यास्थानों के अधिष्ठाता - सदस्य

स. जिस विद्याक्षेत्र के साथ सहयोग प्रस्तावित है,उस विद्याशाखा के अध्यक्ष और सभी आचार्य - सदस्य

द. कुलसचिव - सदस्य सचिव

उपवेशनार्थ उक्त समिति के 50% सदस्य से एक कोरम का गठन होगा।

उपस्थित सदस्यों के कम से कम 75% की सामान्य सहमति से सभी निर्णय लिए जाएंगे।

- (i) उपर्युक्त सिमिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और कुलपित को मान्यता के लिए अनुशंसा करेगी, जिससे प्रस्तावित तथ्यों का भौतिक निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा तीन सदस्यीय सिमिति नामित की जाएंगी।
- (ii) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोग करके सिमिति संस्था का पर्यवेक्षण करेगी और उपर्युक्त पैरा (ii) के आधार पर मान्यता के लिए विचारणीय विषयों का आकलन करने के लिए संस्थान का भौतिक सत्यापन करेगी। इसके पश्चात् सिमिति अपने प्रतिवेदन को मान्यता सिमिति को प्रस्तुत करेगी, और तदर्थ कुलपित को उचित अनुशंसा करेगी। सिमिति अपने परामर्शों के साथ, इसे विचाराधीन विषय में निर्णय हेतु कार्य-परिषद के समक्ष रखेंगी।
- (iii) प्रदत्त मान्यता सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और एक मध्यावधि समीक्षा के अधीन होगी, जिसकी प्रक्रिया और समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (iv) मान्यता पांच वर्ष के बाद पांच-पांच वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
 - क. बशर्ते, कि निरंतर अनुदेशन और शोध कार्यप्रणाली को केवल मान्यता की अवधि की समाप्ति के कारण बाधित नहीं किया जाएगा।

- ख. बशर्ते, कि सामान्यतया मान्यता की अवधि के अंतिम छह महीनों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा शोध या अनदेशात्मक सत्रार्द्ध के प्रारम्भ के लिए कोई नया पंजीकरण शुरू नहीं किया जाएगा।
- (v) पुनः मान्यता के लिए प्रक्रिया/मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन अवधि की समाप्ति तिथि से कम से कम छह माह पूर्व प्राप्त किया जाएगा और पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार इसका परीक्षण किया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय तत्काल प्रभाव से ऐसी मान्यता का रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा, यदि पश्चात्वर्ती चरण में तथ्यों में कोई अनुचितता का पता चलता है या ऐसा कोई तथ्य ज्ञात होता है, जो शैक्षणिक संदर्भ में संस्था की विश्वसनीयता या आचरण के लिए हानिकारक हो।
- (vii) सभी कानूनी विवाद नई दिल्ली में अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
- 4. सहयोग/सौजन्य हेतु प्रक्रिया और अन्य विवरण
 - (i) विश्वविद्यालय अनुदेशन या शोध या दोनों प्रयोजनों के लिए एक संस्था के साथ सहयोग करना निर्धारित कर सकता है।
 - (ii) बशर्ते, कि पूर्वोक्त किसी एक के विषय में, वर्तमान नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा ली जाएगी।
 - (iii) विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क निर्धारित और एकत्रित किया जाएगा, जिसे पारस्परिक समझौते के बाद संस्था द्वारा समान रूप से साझा किया जा सकता है।
 - (iv) अनुसन्धान पर्यवेक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय संशोधित अपने नियमों और विनियमों के अनुसार नियुक्ति/मान्यता प्रदान की जाएगी।
 - (v) अध्ययन के पाठ्यक्रम के एक भाग या प्रश्नपत्र के लिए भी सहयोग हो सकता है।
 - (vi) कुलपित के अनुमोदनोपरान्त सम्बद्ध विद्याशाखा के अध्यक्ष द्वारा संस्था में छात्रों/शोधार्थियों के समूह के निवास का समय निर्धारित किया जाएगा।
 - (vii) उपर्युक्त प्रावधानों में विशेष रूप से सम्मिलित नहीं किए गए किसी भी विचाराधीन विषय को विश्वविद्यालय के यथासमय संशोधित नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 5. इस अध्यादेश में निहित किसी भी विषय के होते हुए भी, कुलपति ऐसे उपाय कर सकता है जो कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण विचाराधीन विषय के समाधान के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

मुक्तस्वाध्यापीठम् (एमएसपी) - मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (v) और 29 को खंड 39 और 42 प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वविद्यालय का लक्ष्य, आधुनिक विद्वता के साथ-साथ संस्कृत सीखने के वैश्विक पिरप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करना और संस्कृत आधारित ज्ञान प्रणाली में बेहतर समझ पैदा करना एवं नवीन विषयों को विकसित करने के लिए इस प्रणाली को बड़े स्तर पर जनता के लिए उपलब्ध कराना है। साथ ही संस्कृत अध्ययन और आधुनिक समाज की उन्नति के लिए सीखने की क्षमता को विकसित करना है। संस्कृत ज्ञान का भण्डार प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली विकसित करना, दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न पारंपरिक पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति, जो विश्वविद्यालय द्वारा नियमित माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, भारत और विदेश के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने का भी प्रयास करता है। यह पद्धति विश्वविद्यालय के अधिदेशों को प्राप्त करने, मल्टीमीडिया/आईसीटी के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए है।
- 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन और कार्यक्रम 2020 के नियमों और समय-समय पर संशोधित के अनुसार, विश्वविद्यालय मुक्तस्वाध्यायपीठम् (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान) के दूरस्थ माध्यम से संस्कृत के इच्छुक शिक्षार्थियों को संस्कृत में उच्च शिक्षा जारी रखने की सुविधा प्रदान करेगा। दूरस्थ

- शिक्षा माध्यम के अन्तर्गत किसी भी पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए, विश्वविद्यालय को यूजीसी के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की अनुमति लेनी होगी।
- 3. योग्यता की शर्तें, शुल्क, पाठ्यक्रम का नामकरण और अवधि, पाठ्यक्रम संचालित करने की प्रक्रिया आदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुरूप समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 4. मुक्तस्वाध्यायपीठम् का एक निदेशक होगा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कुलपित द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- 5. मुक्तस्वाध्यायपीठम् के कार्यों की देखभाल के लिए एक अभिकल्प समिति (शासी परिषद) होगी।
- 6. समिति (शासी परिषद) की संरचना, उसकी अवधि, बैठकों का संचालन, कर्त्तव्य और दायित्व आदि विश्वविद्यालय में मुक्तस्वाध्यायपीठम् के विनियमों में निर्धारित होंगे।
- 7. मुक्तस्वाध्यायपीठम् और इसके अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय के मुख्यालय और इसके परिसरों दोनों में स्थित होंगे। मुक्तस्वाध्यायपीठम् का निदेशालय नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में होगा।
- 8. मुक्तस्वाध्यायपीठम् और अध्ययन केंद्रों की संगठनात्मक संरचना और उसमें जनशक्ति का प्रावधान विश्वविद्यालय में मुक्तस्वाध्यायपीठम् के विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 9. मुक्तस्वाध्यायपीठम् के सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट प्रणाली को अपनाएगा, जो समय-समय पर उस प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन के अनुसार होगा।
- 10. मुक्तस्वाध्यायपीठम् के कामकाज के लिए धन की व्यवस्था, उसके संग्रहण और संचालन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय में मुक्तस्वाध्यायपीठम् के लिए विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- 11. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम में कार्यक्रमों के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (CIQA) स्थापित किया जाएगा। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA) और उसके सहायक घटकों के उद्देश्य, कार्य और गतिविधियां आदि विश्वविद्यालय में मुक्तस्वाध्यायपीठम् के विनियमों के अनुसार होंगी।
- 12. इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम और अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से संस्कृत शिक्षण कार्यक्रम चलाना जारी रखेगा। प्रवेश की प्रक्रिया, शुल्क, अविध आदि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।
- 13. इस अध्यादेश में समाविष्ट नियमों के अतिरिक्त कठिनाइयों को दूर करने और अन्य किसी असाधारण समस्याओं का समाधान करने के लिए कुलपति आवश्यक उपाय कर सकते है ।

अधिष्ठाता (शोध)

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (i), 6 (1) (xxviii) और 29 (1) (o) को खंड 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए)

- 1. कुलपति द्वारा आचार्यों में से अधिष्ठाता (शोध) की तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी।
- अधिष्ठाता (शोध) कुलपित के प्रति उत्तरदायी होगा और आचार्यों के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के अतिरिक्त अपने अधिष्ठाता के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सुविधाओं का अधिकारी होगा।

बशर्ते, कि यदि अधिष्ठाता (शोध) के अवकाश पर या कार्यदायित्व पर अनुपस्थित है, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो कुलपित विश्वविद्यालय के आचार्य या अधिकारी को कार्यालयी कर्तव्यों को निर्धारित कर सकता है।

- 3. अधिष्ठाता (शोध) अधोलिखित कार्य करेंगे:-
 - (i) विश्वविद्यालय के शोध प्रयासों और पहलों को सम्वर्धित करने की दिशा में गतिविधियों के समन्वयार्थ प्रयत्नों की अनुशंसा करना;
 - (ii) वित्तपोषक एजेंसियों द्वारा शोध परियोजनाओं को प्रस्तुति, और संकाय समूहों एवं व्यक्तिगत संकाय सदस्यों द्वारा परामर्श परियोजनाओं (Consultancy Project) के उपक्रम के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने में कुलपति को

- अनुशंसा देना, और ऐसे कार्यों को निष्पदित करना जो कुलपति द्वारा संस्थागत सहायता के संबंध में निर्धारित किये जा सकते हैं, और ऐसी शोध और परामर्श परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग कर सकता है;
- (iii) शोध और परामर्श परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता और सुविधाओं की प्रस्तुति के लिए शैक्षणिक और शोध संस्थानों, शासकीय, औद्योगिक और व्यावसायिक चिंताओं के साथ-साथ शोध संगठनों के मध्य सम्पर्क करना/सम्बन्ध रखना, और उनके समर्थन के साथ विश्वविद्यालय में शोध सुविधाओं का उन्नयन करने सिहत सहयोगी और प्रायोजित कार्यक्रमों को निष्पादित करना:
- (iv) पेटेंट करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण और संरक्षण करने के अन्य पक्षों में संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को परामर्श और सहायता प्रदान करना:
- (v) प्रौद्योगिकी विकास मिशन परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहलों को बढ़ावा देने और उनके लाभ के लिए विशेष कार्यशालाओं और उद्यमिता विकास पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रयास करना:
- (vi) सामान्य रूप में विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों के सम्वर्धनार्थ परामर्श और सहायता प्रदान करना।
- 4. इस अध्यादेश में निहित किसी भी विषय के होते हुए भी, कुलपित ऐसे उपाय कर सकता है जो बाधाओं को दूर करने और किसी अन्य असाधारण विचाराधीन विषय के समाधान हेतु आवश्यक हो सकते हैं।

अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा अनुभाग 6 (1) (28), 9(8) (0) खण्डों 12(2) (22) और 39 को प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए

- 1. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामले के एक अधिष्ठाता होंगे।
- 2. विश्वविद्यालय के कुलपित द्वारा पारम्परिक विषयों के किसी आचार्य को शैक्षणिक मामले के एक अधिष्ठाता की नियुक्ति करेंगे। शैक्षणिक मामले के अधिष्ठाता पद पर नियुक्त आचार्य अपने आचार्य पद के अनुरूप कर्तव्यों के अतिरिक्त शैक्षणिक मामले के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे।
- अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले के कार्यकाल का निर्धारण कुलपित द्वारा किया जायेगा, किन्तु यह तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है और वह दोबारा नियुक्त किया जा सकेगा।
- 4. शैक्षिक गतिविधि के अधिष्ठाता शैक्षिक मामलों में कुलपित की सहायता करेंगे जो समय समय पर कुलपित द्वारा निर्दिष्ट किये जा सकते हैं एवं कुलपित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो कुलपित द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
- 5. शैक्षिक गतिविधि के अधिष्ठाता की शक्तियां एवं दायित्व:-
 - क) शैक्षिक गतिविधि के अधिष्ठाता स्कूल बोर्ड एवं अध्ययन परिषद की किसी भी बैठक में उपस्थित एवं उसको सम्बोधित कर सकेंगे। किन्तु वह उस बैठक में वोट नहीं दे सकेंगे जब तक वह उस निकाय के सदस्य न हो।
 - ख) शैक्षणिक गतिविधि के अधिष्ठाता विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण के साथ ही नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों को विद्यास्थान एवं विद्याशाखाओं के समन्वयन में नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रारूप निरूपण के साथ शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण भी कर सकेंगे। वह ऑनलाइन कार्यक्रमों का समुचित सञ्चालन भी कर सकेंगे। वह शैक्षणिक दिनदर्शिका का प्रकाशन कर सकेंगे।
 - ग) शैक्षणिक अधिष्ठाता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विविध पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश का निरीक्षण कर सकेंगे। प्रवेश-प्रक्रिया के समय वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक छात्र से इस आशय युक्त घोषणा हो कि वह स्वयं को कुलपित और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन करता है। संदर्भ संविधि 30(7)
 - घ) शैक्षणिक अधिष्ठाता द्वारा अतिथि-व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, पाठ्यक्रम, सह पाठ्यचर्या, पाठ्येतर गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर सकेंगे।

- ङ) शैक्षणिक मामले के अधिष्ठाता विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, प्रकाशन, शोध-अनुभाग का पर्यवेक्षण कर सकता है।
- च) वह छात्रों के लिये छात्रवृत्ति और योग्यता पुरस्कार का प्रबन्धन कर सकेंगे।
- 6. जब शैक्षणिक गतिविधि के अधिष्ठाता का कार्यालय रिक्त हो या अवकाश पर हो अथवा जब शैक्षणिक गतिविधि के अधिष्ठाता अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित हो और किसी अन्य कारण से अपने दायित्वों का निर्वहन अपने कार्यालय में करने में असमर्थ है, तब शैक्षणिक मामले के अधिष्ठाता कार्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा जिनकी नियक्ति कलपति के द्वारा की गई हो।
- 7. अधिष्ठाता ऐसे अन्य भी कार्यों का दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जो समय-समय पर कुलपित द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
- 8. इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट किसी अन्य विषय के अतिरिक्त कुलपित अन्य बाधाओं के निवारण करने और किसी अन्य विशिष्ट विषय का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

आधिष्ठाता परिषद

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2020 धारा 29(1) (0) एवं 47 खंड 12 (2) (22) और 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय एक अधिष्ठाता एक परिषद का गठन करेगा जिसको अधिष्ठाता परिषद के नाम द्वारा जाना जायेगा।
- 2. अधिष्ठाता परिषद में निम्न सदस्य होंगे:
 - (i) कुलपति
- अध्यक्ष
- (ii) समस्त अधिष्ठाता
- सदस्य
- (iii) अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामले
- सदस्य सचिव

- 3. परिषद के कार्य होंगे;
 - क. विद्यास्थान और विद्याशाखाओं के कार्य से सम्बन्धित सभी शैक्षणिक मामलों पर विचार करना।
 - ख. ऐसे मामलों पर विचार करना जो अत्यन्त आवश्यक हो सकते हैं, जैसे परीक्षाएँ, परिणामों का मानक आदि तैयार करना |
 - ग. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की अनुशंसा करना और ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो
 - घ. कार्यकारी परिषद द्वारा उसे प्रदान करें अथवा जिसे कुलपति द्वारा संदर्भित किया जा सके।
- 4. परिषद के कोरम की कुल संख्या का दो तिहाई हो।
- 5. विद्वत परिषद की स्थायी समिति के रूप में अधिष्ठाता परिषद कार्य करेगी। जिनके प्रस्तावों के अनुसमर्थन के लिए विद्वत परिषद के पहले रखा जाएगा।
- 6. बैठकें आयोजित करने के नियम/प्रक्रिया वही होंगे जो समय-समय पर निर्धारित किये जा सकेंगे।
- 7. इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट किसी अन्य विषय के अतिरिक्त कुलपित अन्य बाधाओं के निवारण करने और किसी अन्य विशिष्ट विषय का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 32

कुलानुशासक

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2020 धारा 29(1) (0) एवं 47, के खण्ड 30 (2) 30(3) और 39 को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्विद्यालय में एक कुलानुशासक होंगे।
- 2. विश्विद्यालय में कुलानुशासक के रूप में उन्हें ही नियुक्त किया जा सकेगा जो आचार्य अथवा सह आचार्य जो कि न्युनातिन्युन 2 वर्ष से सह आचार्य हो। कुलपति द्वारा प्रदत्त इस कार्य के अतिरिक्त अपनी ड्युटी के निर्वहन के साथ

शिक्षक के रूप में भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे भत्तों और सुविधाओं का हकदार होगा जो कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

- 3. कुलानुशासक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- 4. जब कुलानुशासक का कार्यालय रिक्त हो या अवकाश पर हो अथवा जब अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित हो और किसी अन्य कारण से अपने दायित्वों का निर्वहन अपने कार्यालय में करने में असमर्थ है, तब कुलानुशासक कार्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा जिनकी नियुक्ति कुलपित द्वारा की गई।
- 5. विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलानुशासक उत्तरदायी होंगे।
- 6. कुलानुशासक होंगे-
 - क. छात्र-समुदाय के बीच अनुशासन की देख-रेख करेंगे।
 - ख. व्यक्तिगत या सामूहिक अनुशासनहीनता को रोकने के उद्देश्य से कुछ कार्य जैसे नोटिस, चेतावनियाँ, निर्देश और अन्य व्यवस्थाएँ करने जैसे निवारक कदम उठा सकेंगे ।
 - ग. अनुशासनहीनता की घटनाओं के साक्ष्यों का सङ्कलन, साक्ष्यों का आकलन और दोषी छात्रों पर आरोपित दण्ड के विषय में कुलपति के पास सूचना पहुंचायेंगे।
- 7. कुलानुशासक ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो कुलपति समय-समय पर निर्देशित करेंगे।
- 8. इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट किसी अन्य विषय के अतिरिक्त कुलपित अन्य बाधाओं के निवारण करने और किसी अन्य विशिष्ट विषय का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 33

सम्मानित आचार्य

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (xvii) को खंड 12 (2) (xviii) और 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय को सम्मानित आचार्य नियुक्त करने का आधिकार है।
- 2. एक सम्मानित आचार्य को अपने क्षेत्र का प्रख्यात विद्वान होना चाहिए। आमतौर पर एक व्यक्ति जो किसी शोध संस्थान या समकक्ष के आचार्य/निदेशक का पद सम्भाल चुका है या सम्भाल रहा है या ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर विशिष्टता प्राप्त की है। उसे सम्मानित आचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- 3. सम्मानित आचार्य की नियुक्त विश्वविद्यालय में आचार्य की कुल स्वीकृत संख्या के भीतर कुलपित द्वारा की जाएगी।
- 4. सम्मानित आचार्य का अधिकतम कार्यकाल दो वर्ष तथा न्यूनतम अविध तीन महीने से कम नहीं होगी।
- 5. विश्वविद्यालय 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को सम्मानित आचार्य नियुक्त कर सकता है।
- 6. किसी आचार्य को उसी विश्वविद्यालय में सम्मानित आचार्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । जिसमें वह सेवा निवृत्त से ठीक पहले या बाद में पद पर रहा हो ।
- 7. यह अपेक्षा की जाती है कि जब किसी व्यक्ति को सम्मानित आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो मूल विश्वविद्यालय उसे बिना वेतन के कार्य अवकाश देगा।
- 8. यदि स्थायी आधार पर विदेश में काम करने वाले किसी व्यक्ति को सम्मानित आचार्य के रूप में आमन्त्रित किया जाता है तो विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का भुगतान कर सकता है । नियुक्त सम्मानित आचार्य को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार भारत में भी यात्रा व्यय का भुगतान किया जा सकता है।
- 9. विश्वविद्यालय द्वारा आवास की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जायेगी । किन्तु भोजनादि की सुविधाओं का भुगतान सम्मानित आचार्य द्वारा किया जाएगा ।

- 10. सम्मानित आचार्य के संबंध में कार्यकाल और मानदेय का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार कुलपति का द्वारा किया जाएगा।
- 11. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

नियुक्तियों का लिखित अनुबंध

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 34 को खण्ड 24, 25 और 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित अनुबंध पर की जाएगी।
- 2. किये जाने वाले अनुबंध का निर्धारित प्रारूप निम्नानुसार होगा-

गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप कर एक मुल प्रति तथा दो छायाप्रतियां जमा करें।

गरन	न्यायिक स्टाम्प पपर पर टाइप कर एक मूल प्रांत तथा दा छायाप्रांतया जमा कर ।
	सेवा अनुबंध
	बंध के अनुच्छेद का अनुपालन वर्ष, ासी (प्रथम पक्षकार) तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली (दूसरा पक्षकार)
के म	ध्य माह के दिन, वर्ष को सम्पन्न हुआ ।
	के केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के रूप में सन्दर्भित है।) प्रथम भाग के पक्षकार और अर्थे (पदनाम) के रूप में नियुक्त किया गया और प्रथम भाग के पक्षकार इसके पश्चात् मेर्दिष्ट नियम और शर्तों के आधार पर सेवा के लिए सहमति प्रदान की -
	प्रथम पक्षकार; विश्वविद्यालय और उन प्राधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करेगा । जिनके अधीन वह समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा रखा जा सकता है तथाको इसमें शामिल होने वाली सेवा - शर्तों व नियमों के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांकसे प्रारम्भ होने वाली सेवा में रहेगा।
	प्रथम भाग का पक्षकार अपना पूरा ध्यान तथा समय कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित करेगा, तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचरण-नियमावली का अनुपालन करेगा और विश्वविद्यालय की जिस शाखा से वह सम्बद्ध है उसके द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कर्तव्यों/कार्यों का पालन उसके लिए अनिवार्य होगा।
	प्रथम भाग का पक्षकार शिक्षक/अधिकारी रैंक का होगा और उसकी स्थिति (पदनाम) नियुक्त की तिथि के अनुसार विभाग/केन्द्र/परिसर में होगी ।
	प्रथम भाग के पक्षकार को इस दस्तावेज के लागू होने की तिथि से नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित वेतनमान में वेतन प्रदान किया जाएगा । वह विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य सामान्य भत्ते के लिए भी पात्र होगा ।
5.	प्रथम पक्षकार को इस अनुबंध की अवधि के दौरान उस पर लागू नियमों के अनुसार अवकाश अर्जित करने

- प्रथम पक्षकार को इस अनुबंध की अविधि के दौरान उस पर लागू नियमों के अनुसार अवकाश अर्जित करने होंगे।
- 6. यदि प्रथम भाग के पक्षकार को विश्वविद्यालय सेवा के हित में यात्रा करना आवश्यक हो; वह विश्वविद्यालय में अपने समकक्ष रैंक के अधिकारियों के लिए लागू पैमाने पर यात्रा भत्ता का हकदार होगा।
- 7. इस अनुबंध को सेवा निवृत्ति की आयु की उक्त अविध के भीतर किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी पक्ष नोटिस के बदले में दूसरे पक्ष को उस अविध के वेतन के बराबर राशि दे सकता है, जो कि तीन महीने से कम हो सकती है।

- 8. प्रथम भाग का पक्षकार लागू नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि/पेन्शन/नई पेन्शन योजना के लाभ का पात्र होगा।
- 9. प्रथम भाग का पक्षकार समय समय पर अधिसूचित और संशोधित यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/स्वमूल्यांकन पी.बी.ए.एस. पद्धति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।
- 10. प्रथम भाग का पक्षकार यह समझता है कि विश्वविद्यालय में सेवा अखिल भारतीय कैडर (स्तर) की है और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इसके किसी भी परिसर/केन्द्र में स्थानान्तरित की जा सकती है, प्रथम पक्षकार स्थानान्तरण के ऐसे किसी भी आदेश का अनुपालन करने का वचन देता है।
- 11. किसी ऐसे मामले के सन्दर्भ में जिसके संबंध में इस अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 ब और 313 के तहत बनाए गये या माने गये नियमों का प्रावधान, किसी अधिनियम के प्रावधान या विश्वविद्यालय सेवा में शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियम उस सीमा तक लागू होगे जिस सीमा तक वे इस अनुबंध के तहत पहले भाग के पक्षकार की सेवा पर लागू होते हैं और उनकी प्रयोज्यता के रूप में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य में	प्रथम भाग	के पक्षकार	और कार्यकारी	परिषद के	निर्देश के	तहत
उसकी ओर से कार्य करने वाले कुलसचिव		दिन, .		माह,		वर्ष
को अपनी-अपनी सहमति प्रदान की ।						
प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित :	-					
की उपस्थिति में						
साक्षी-						
01.						
	क्र	त्रसचिव				

02.

3. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

अध्यादेश सं. 36

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यायिक क्षेत्रों के अन्तर्गत छात्र प्रताड़ना पर अंकुश लगाना। (केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 6(1)(xxii), 29(1) (O) को खण्ड 12 (2) (xxii) और (39) को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी और संशोधित "उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्र प्रताड़ना (रैंगिंग) के खतरे पर अंकुश लगाने (2009) अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के तहत छात्र प्रताड़ना (रैगिंग) निषिद्ध और दण्डनीय है।
- 2. विश्वविद्यालय इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र प्रताड़ना के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- 3. विश्वविद्यालय और परिसर स्तर पर छात्र प्रताइना निषेध सिमितियां होंगी। कुलानुशासक विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र प्रताइना निषेध सिमिति के अध्यक्ष होंगे तथा परिसर स्तर पर निदेशक छात्र प्रताइना सिमिति के अध्यक्ष होंगे।
- 4. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद, कुलपित कठिनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

सहायक संकाय सदस्यों की नियुक्ति

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (x), (xvii) और 29 (1) (o) को खंड 39 की इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. समय-समय पर प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित समिति के सुझावों के आधार पर, कुलपित विभिन्न केंद्रों और पाठशालाओं में सहायक संकाय सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, जो सेवारत या सेवानिवृत्त शिक्षाविद्, पेशेवर, विशेषज्ञ, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता या सिविल सेवक हैं। अनुसंधान, शिक्षण और सेवा-संबंधित गतिविधियों में अंतःविषयक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों/संगठनों/विभागों, पीएसयू, वैधानिक निकायों आदि से संबंधित होंगें।
- 2. ऐसे संकाय के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /संबंधित वैधानिक परिषदों द्वारा समय-समय पर बनाए गए संबंधित विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए या स्नातकोत्तर या पीएचडी योग्यता के साथ या उसके बिना प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा संकाय अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक निपुण विद्वान भी होगा।
- 3. सहायक संकाय सदस्यों के पैनल में शामिल होने की अवधि छह महीने से तीन साल तक अलग-अलग होगी।
- 4. पैनल में शामिल सहायक संकाय समय-समय पर प्रकाशित संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों में निर्धारित भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के अनुरूप भूमिका निभाएगा।
- 5. इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा व्यय, आवास और मानदेय का भुगतान सूचित किया जाएगा।
- 6. विश्वविद्यालय पैनल में शामिल सहायक संकाय को छात्रों और साथियों के साथ उनके कामकाज और बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त कार्यालय-स्थान प्रदान करेगा।
- 7. कार्य समाप्ति के अनन्तर प्रत्येक सहायक संकाय विश्वविद्यालय को एक 'कार्य-प्रतिवेदन' प्रस्तुत करेगा/करेगी और उसकी एक प्रति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। 'कार्य-प्रतिवेदन' के आधार पर उनके अगले कार्यकाल की निरंतरता/नवीनीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।
- 8. इस अध्यादेश में समाविष्ट नियमों के अतिरिक्त कठिनाइयों को दूर करने और अन्य किसी असाधारण समस्याओं का समाधान करने के लिए कुलपति आवश्यक उपाय कर सकते है ।

अध्यादेश सं. 38

अतिथि सदस्य (विजिटिंग फेलो)

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6 (1) (xvii) इसके प्रथम और खंड 12 (2) (xviii) और 39 को इसकी प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय किसी प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान को अतिथि सदस्य (विजिटिंग फेलो) के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- 2. 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी विजिटिंग फेलो के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। विजिटिंग फेलो का न्यूनतम कार्यकाल एक सप्ताह से कम और तीन महिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3. विजिटिंग फेलो का मानदेय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 4. यात्रा व्यय विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वहन किया जा सकता है।
- 5. मूल संस्थान विजिटिंग फेलो के रूप में नियुक्ति की अवधि के लिए वेतन और सामान्य भत्ते के साथ शैक्षणिक अवकाश प्रदान करेगा।
- 6. विश्वविद्यालय विजिटिंग फेलो को परिसर के गेस्ट हाउस में आवास, उपलब्धता के आधार पर, निःशुल्क प्रदान करेगा; लेकिन भोजन शुल्क का भुगतान विजिटिंग फेलो द्वारा किया जाएगा।

- 7. एक ही व्यक्ति को, एक ही विश्वविद्यालय में, एक से अधिक बार विजिटिंग फेलो के रूप में आमंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तीन महीने की अवधि को विश्वविद्यालय की इच्छानुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाजित किया जा सकता है।
- 8. इस अध्यादेश में सन्निविष्ट नियमों के अतिरिक्त कठिनाइयों को दूर करने और अन्य किसी असाधारण समस्याओं का समाधान करने के लिए कुलपति आवश्यक उपाय कर सकते है ।

प्रथमा (मिडिल प्रमाणपत्र), पूर्व मध्यमा (पूर्व माध्यमिक प्रमाणपत्र), उत्तर मध्यमा/ प्राक् शास्त्री (वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र), शास्त्री (स्नातक उपाधि) आचार्य (स्नातकोत्तर उपाधि) अथवा अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा अनुसंधान उपाधि कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त परीक्षाओं की वार्षिक/सत्रार्द्ध प्रणाली का अनुसरण करने वाले कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के संचालन और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के निर्देश का माध्यम

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 2 (यू), 6 (1) (ii), 29 (1) (सी) और 29 (1) (जी) खंड 12 (2) (xix) को 14 (ए), 14 (ई) और 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

प्रासंगिकता : इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथमा (मध्यम प्रमाणपत्र), पूर्व मध्यमा (माध्यमिक प्रमाणपत्र), उत्तर मध्यमा/ प्राक् शास्त्री (वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र), शास्त्री (स्नातक उपाधि)/आचार्य (मास्टर उपाधि), अनुसंधान उपाधि कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के अलावा परीक्षाओं की वार्षिक/सत्रार्द्ध प्रणाली और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र के लिए शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों पर ये अध्यादेश लागू होंगे।

1. अनुदेश का माध्यम:

- (i) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्देशों का माध्यम विद्वत् परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा।
- (ii) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के सभी विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पत्र संस्कृत में होंगे अथवा विषय की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। भाषा/साहित्य की परीक्षाओं के मामलों में, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के आधार पर और विद्वत् परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रश्नपत्र निर्माण एवं उनके उत्तर प्रदत्त भाषाओं में सम्पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में सम्बन्धित भाषाओं में दिए जा सकेंगे।

2. परीक्षाएँ:

परिभाषाएं:-

- (i) शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का अर्थ है विभिन्न विषयों और/अथवा अन्य घटकों से युक्त कार्यक्रम/पाठ्यक्रम जिसमें प्रथमा (मिडिल प्रमाणपत्र), पूर्व मध्यमा (पूर्व माध्यमिक प्रमाणपत्र), उत्तर मध्यमा/प्राक् शास्त्री (वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र), शास्त्री (स्नातक उपाधि),/आचार्य (स्नातकोत्तर उपाधि) और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र की प्राप्ति होगी।
- (ii) शैक्षणिक वर्ष 12 महीनों की वह अवधि है, जो छात्रों द्वारा शिक्षण और परीक्षाओं की योजना में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित होगी एवं इसे 'शर्तों' और 'खण्डों' आदि में विभाजित किया जायेगा।
- (iii) अध्ययन परिषद का अर्थ विश्वविद्यालय के किसी विद्याशाखा का अध्ययन परिषद होगा।
- (iv) सत्रार्द्ध प्रणाली एक शैक्षणिक पारिभाषिक शब्द है, जो शैक्षिक वर्ष को दो भागों में विभाजित करता है।
- (v) विषय का अर्थ शैक्षणिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के एक घटक से है, जो एक विशिष्ट कोड संख्या और उसके लिए निर्दिष्ट विशिष्ट क्रेडिट निर्धारित हैं। विषयों के लिए कोड संख्या को परीक्षा प्रभाग के परामर्श से आवंटित किया जाएगा।
- (vi) **बाह्य परीक्षक** का अर्थ है वह संकाय सदस्य, जो उस संस्था से नहीं है जहाँ छात्र नामांकित है और जिसे विश्वविद्यालय की अंतिम सत्र की परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण करने/मॉडरेटर के रूप में/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने और/अथवा प्रयोगिक परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- (vii) आन्तरिक परीक्षक का अभिप्राय है, वह परीक्षक जो उसी संस्था का हो, और जिसके लिए विश्वविद्यालय में प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याङ्कन, सिद्धान्तकक्षा परीक्षण/प्रायोगिककक्षा परीक्षणों का निष्पादन और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षक का दायित्व दिया गया हो।

- (viii) **छात्र** का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो एक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय/परिसर/सम्बद्ध संस्था के किसी भी कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अध्ययनार्थ नामांकित है, जिस पर यह अध्यादेश लागू होता है।
- (ix) विश्वविद्यालय का अभिप्राय होगा- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- (x) सीई/सीसीआईए का अर्थ छात्रों के सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन से होगा।
- (xi) सत्रार्धान्त परीक्षा का अभिप्राय सत्रार्द्ध पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा से होगा।
- (xii) **डीसीओ** का तात्पर्य सम्बद्ध संकाय सदस्य (सदस्यों) द्वारा तैयार की गई विस्तृत पाठ्यक्रम रूपरेखा या व्याख्यान योजना से होगा।

3. परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय ऐसे सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करेगा जो विद्वत् परिषद द्वारा अनुमोदित हैं तथा जिन्हें समय-समय पर विद्वत् परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और शिक्षण और परीक्षा की योजना के अनुसार उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अनुमोदित एवं अधिसूचित किया गया हो।

4. परीक्षाओं के लिए मानदंड

- (i) विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण और परीक्षा की योजना में अध्ययन के पाठ्यक्रम/विषय के लिए निर्दिष्ट अविध के लिए खुली रहेंगी।
- (ii) इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि विद्वत् परिषद समय-समय पर, विद्वत् परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए किसी भी अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों/छात्रों को किसी निर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा देने की अनुमति दे सकती है।
- (iii) इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेशों/ दिशानिर्देशों/ विनियमों में निर्धारित कारणों के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।

5. पाठ्यक्रम सामग्री और अवधि

- (i) प्रथमा (मिडिल प्रमाणपत्र), पूर्व मध्यमा (पूर्व माध्यमिक प्रमाणपत्र), उत्तर मध्यमा/प्राक् शास्त्री (विरष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र), शास्त्री (स्नातक उपाधि)/आचार्य (स्नातकोत्तर उपाधि) और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के साथ अल्पावधि पाठ्यक्रम के लिए प्रमाणपत्र के लिए उद्दिष्ट अध्ययन के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में कई विषय और/अथवा अन्य घटक शामिल होंगे, जैसा कि सम्बद्ध कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या, अध्यापन और परीक्षा की योजना में निर्दिष्ट है, एवं सम्बन्धित प्राधिकरण/अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तावित एवं विद्वत् परिषद द्वारा अनुमोदित है। प्रत्येक विषय को जहाँ कही उपयुक्त होगा निर्दिष्ट क्रेडिट्स के अनुसार अधिभार प्रदान किया जाएगा। उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम और/या अधिकतम क्रेडिट्स का निर्धारण संबंधित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या और शिक्षण और परीक्षा की योजना के आधार पर किया जाएगा।
- (ii) किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि होगी जो कि संबंधित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण और परीक्षा की योजना में निर्दिष्ट है।
- (iii) किसी कार्यक्रम/अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि और साथ ही उसे पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

6. शैक्षणिक वर्ष

- (i) उन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए जहां सत्रार्द्ध प्रणाली लागू है, एक शैक्षणिक वर्ष को दो सत्रार्द्धों में विभाजित किया जाएगा। सत्रार्द्ध/वार्षिक प्रणालियों के लिए अध्ययन के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (ii) जहाँ भी उपयोज्य होगा, निर्देशात्मक कार्यों को समर्पित शैक्षणिक सत्रार्द्धों को विभाजित करने का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) शैक्षणिक कैलेंडर को प्रत्येक वर्ष शैक्षिक वर्ष की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

7. परीक्षा शुल्क

विश्वविद्यालय विभिन्न परीक्षाओं के लिए छात्रों द्वारा प्रदेय शुल्क को विद्वत् परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद अधिसूचित करेगा। जिस छात्र ने परीक्षा से पहले निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वह सामान्यतया परीक्षा में बैठने की अर्हता नहीं होगी। कुलपित द्वारा अपने विवेक से वास्तविक कठिनाई के कुछ मामलों में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने की अनुमित दी जा सकती है।

37

असाधारण परिस्थितियों में, कुलपति द्वारा शुल्क एवं अन्य व्यय को माफ किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी संशोधन के अधीन, परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्यय इस विषय में विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार लागू होंगे और इसे विवरण पुस्तिका में भी प्रकाशित किया जाएगा।

8. उपस्थिति

- (i) उपस्थिति विश्वविद्यालय के आकलन एवं मूल्यांकन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है।
- (ii) उपस्थिति के लिए अंकों के आवंटन के मानदंड का उल्लेख सम्बन्धित संकाय सदस्य (सदस्यों) द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम रूपरेखा [डीसीओ] या व्याख्यान योजना में किया जाएगा।
- (iii) पाठ्यक्रम को संभालने वाला शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की उपस्थिति का अभिलेख बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और मासिक उपस्थिति का लिखित प्रमाण सम्बद्ध परिसर निदेशक/संस्थाध्यक्ष को प्रेषित करेगा।
- (iv) विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए, सत्रार्द्ध/शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता और इस विषय में समाधान का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
 - किसी वैधानिक नियामक निकाय द्वारा विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए, यदि वैधानिक निकाय उपस्थिति के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है, तो वह सम्बद्ध विद्यास्थान के अध्ययन मण्डल/ विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अनुसार लागू होगा।
- (v) किसी विशेष विषय में उपस्थिति के लिए अंक सम्बद्ध संकाय सदस्य (सदस्यों) द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति-अभिलेख के आधार पर दिए जाएंगे। उपस्थिति के लिए अंकों का विभाजन नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा –

उपस्थिति के लिए कुल अंक	उपस्थिति की सीमा	आवंटित अंक
5 (पाँच)	75% से अधिक या उसके बराबर और 80% से कम या उसके बराबर	1
	80% से अधिक और 85% से कम या उसके बराबर	2
	85% से अधिक और 90% से कम या उसके बराबर	3
	90% से अधिक और 95% से कम या उसके बराबर	4
	95% से अधिक और 100% से कम या उसके बराबर	5

(vi) जिस छात्र को उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी गई है, उसे अगले बैच के छात्रों के साथ उक्त सत्रार्द्ध/शैक्षणिक वर्ष के सभी विषयों की पुनरावृत्ति करनी होगी। हालाँकि, ऐसे छात्र की विश्वविद्यालय नामांकन संख्या अपरिवर्तित रहेगी और उसे खंड 5 (iii) में उल्लिखित अधिकतम अनुमत अविध में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। सम्बन्धित परिसर निदेशक/संस्थाध्यक्ष उपस्थिति अभिलेख के आधार पर ऐसे सभी छात्रों के नामों की घोषणा परीक्षा शुरू होने से कम से कम 5 पञ्चाङ्ग दिन पहले करेंगे जो सत्रार्द्धान्त परीक्षा/वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र नहीं हैं, और साथ ही इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को देय होगी।

(vii) यदि कोई छात्र चिकित्सकीय आधार पर कक्षाओं से अनुपस्थित रहता है, तो उसे कक्षाओं में उपस्थिति के एक सप्ताह के भीतर पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एक "चिकित्सकीय प्रमाणपत्र" सम्बन्धित परिसर निदेशक/संस्था के प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। एक सप्ताह की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र स्वीकार अथवा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. परीक्षा का संचालन

- (i) विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं (अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं को छोड़कर) विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय परिसरों/संबद्ध संस्थानों/केंद्रों में आयोजित की जाएंगी।
- (ii) विशिष्ट कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान होगा।
- (iii) अध्ययन के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की सत्रार्द्ध/वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा एवं संबंधित परीक्षाओं के प्रारम्भ से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पूर्व सभी परिसरों के निदेशकों/संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों को प्रेषित किया जाएगा।
- (iv) विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की सत्रार्द्ध/वार्षिक परीक्षाएं परीक्षा नियंत्रक की सामान्य देखरेख में आयोजित की जाएंगी, जो कुलपित के अनुमोदन के माध्यम से केंद्र अधीक्षक और उप केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। इन परीक्षाओं के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के तहत परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी।
- (v) सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन संबंधित संकाय सदस्य द्वारा इस अध्यादेश में उल्लिखित और समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
- (vi) संबंधित परिसर निदेशक/संबद्ध संस्थान के प्रमुख सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन के संचालन को सुचारु तरीके से सुनिश्चित करेंगे ताकि छात्रों का सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन की भावना के अनुसार निरंतर और व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जा सके।
- (vii) उपस्थिति का मूल्यांकन और उपस्थिति के आधार पर अंक देना सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन का हिस्सा होगा।
- (viii) जहां कहीं उचित प्रतीत हो, विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रदर्शन के स्तर का आकलन करने के लिए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु परियोजनाएं/शोध प्रबंध/ क्षेत्रकार्य/संगोष्ठी/प्रायोगिक/इंटर्नशिप/प्रशिक्षण या कोई अन्य तकनीक/ विधियां निर्धारित कर सकता है।

10. परीक्षा प्रणाली

- विश्वविद्यालय के अध्ययन के सभी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम सत्रार्द्ध/वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे और छात्रों की परीक्षाएं और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे।
- 2. एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, आकलन और मूल्यांकन प्रणाली में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:
 - (i) विषय के शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन/आंतरिक आकलन
 - (ii) सत्रार्द्ध /वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन
- 3. मूल्यांकन के विभिन्न घटकों के लिए अधिभार के वितरण और संबंधित घटकों में क्रेडिट/अंक प्रदान करने के दिशानिर्देश विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों/विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे।

11. सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन का संचालन

(i) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन में सम्बन्धित अध्ययन मण्डल और विद्यालय परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित लिखित परीक्षा, प्रदत्त कार्य, प्रस्तुति, प्रश्नश्रृंखला, मौखिक परीक्षा, विषय-अध्ययन, समूह चर्चा आदि शामिल हो सकते हैं। (ii) प्रयोगशाला घटक वाले पाठ्यक्रम में, छात्र द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयोग का मूल्यांकन, संबंधित संकाय सदस्य (सदस्यों) द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन में प्रायोगिक अभ्यास/प्रयोग, प्रयोग के प्रदर्शन में सटीकता, मौखिक परीक्षा आदि का दस्तावेजीकरण शामिल होगा।

39

- (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण/परियोजना/शोध प्रबंध के मामले में, सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन में आविधक प्रगति प्रतिवेदन शामिल होगा।
- (iv) क्षेत्रकार्य के मामले में, सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन में व्यावसायिक विकास, अभिलेखरक्षा, पर्यवेक्षण का उपयोग, क्षेत्रकार्य में नियमितता, व्यक्तिगत और समूह सम्मेलनों में भागीदारी, ग्रामीण शिविर, व्यवहारात्मक प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशालाएं आदि अथवा/और जैसा संबंधित विषय या कार्यक्रम/अध्ययन पाठ्यक्रम के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित हो, शामिल होंगे।
- (v) संबंधित परिसर/संबद्ध संस्थान, प्रत्येक छात्र के सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन के संबंध में पूरा अभिलेख बनाए रखेगा और इसे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। संबंधित परिसर/संबद्ध संस्थान निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन का अभिलेख परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जमा करेगा।
- (vi) सभी प्रदत्त कार्य, प्रश्नश्रृखंला और सतत मूल्यांकन/व्यापक सतत आंतरिक आकलन के अन्य घटकों का मूल्यांकन करना संबंधित संकाय सदस्यों का कर्तव्य होगा।
- (vii) अध्ययन के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

12. सत्राद्धान्त/वार्षिक परीक्षा का आयोजन

- (i) विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों के लिए सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षा आमतौर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित महीने में आयोजित की जाएंगी। विषय/पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन की न्यूनतम अवधि पूरी होने पर छात्र परीक्षाओं में उपस्थित होंगे।
- (ii) परीक्षा का कार्यक्रम सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाओं के शुरू होने से कम से कम 21 दिन पहले परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। हालाँकि, जो छात्र विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ निष्पादित किसी एमओयू की शर्तों के अनुसार किसी व्यक्तिगत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार सत्रार्द्ध/वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे संबंधित विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए पूर्व-अपेक्षित विषय/पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें।
- (iii) विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकता है जैसा समय-समय पर निर्णय लिया गया हो। ऑनलाइन परीक्षा विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी।
- (iv) मूक्स (MOOCs) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय या अधिकृत संस्थान द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (v) सभी सत्रार्द्ध/पूरक, सत्रार्धान्त/वार्षिक परीक्षा कुलपित के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (vi) सिद्धांत और प्रायोगिक परीक्षाओं, परियोजना प्रतिवेदन/शोध प्रबंध/प्रशिक्षण प्रतिवेदन और किसी अन्य सत्रांत मूल्यांकन घटक के लिए, सभी परीक्षकों को कुलपति के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।
- (vii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए बाहरी परीक्षकों के नामों की सिफारिशें संबंधित विद्याशाखा और विद्यास्थान अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित अध्ययन मण्डल से प्राप्त की जाएंगी। जहां कोई अत्यावश्यकता हो और अध्ययन मण्डल की बैठक नहीं हुई हो, तो विद्यास्थान अध्यक्ष नामों की अनुशंसा कर सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि अध्ययन मण्डल की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकी।
- (viii) आकस्मिक स्थितियों में, जहां, कुछ कारणों से, ऊपर बताए अनुसार अध्ययन मण्डल से सिफारिशें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, कुलपति द्वारा नामित विद्यास्थान अध्यक्ष में से किसी एक से सिफारिशें प्राप्त की जा सकती हैं।

- (ix) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्राप्त बाह्य परीक्षकों की सूची को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- (x) अनुमोदित सूची से कुलपित के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त प्रश्न पत्र निर्माता प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण पाठ्यक्रम के संपूर्ण पाठ्यचर्या से किया जायेगा।
- (xi) प्रश्न पत्र का निर्माण समय-समय पर संशोधित एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (xii) प्रश्न पत्र निर्माता से प्रश्नपत्र प्राप्त होने के बाद, इसे कुलपित के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त प्रश्नपत्रसंशोधकों द्वारा संशोधित किया जाएगा।
- (xiii) विद्यार्थियों की सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषयवार शिक्षकों की सूची में से कुलपित के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। विशिष्ट विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की अनुमोदित विषयवार सूची परीक्षा नियंत्रक द्वारा रखी जाएगी।
- (xiv) किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या और शिक्षण और परीक्षाओं की योजना, यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम के लिए पूरक परीक्षाओं को निर्धारित करेगी।
- (xv) सत्रार्द्धान्त/वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाएं प्रत्येक विषय के लिए परीक्षकों के मण्डल द्वारा आयोजित की जायेगी। मण्डल में कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त एक या उससे अधिक परीक्षक शामिल होंगे।
- (xvi) किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षा के लिए, जो उपरोक्त उप-खंड (10.2 और 10.3) में शामिल नहीं है, परीक्षा के संचालन का तरीका पाठ्यचर्या और शिक्षण और परीक्षा की योजना में निर्दिष्ट होगा और ऐसे प्रावधान के अभाव में सम्बन्धित अध्ययन मण्डल की अनुशंसा पर कुलपित के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (xvii) सत्रार्द्ध/वार्षिक (शिक्षक के निरंतर मूल्यांकन और सत्रार्ध/पूरक सत्रांत परीक्षा सहित) परीक्षा के परिणाम परीक्षा मण्डल की अनुशंसा पर और कुलपित के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किए जाएंगे। हालाँकि, विस्तृत परिणाम की जांच के बाद, यदि परीक्षा नियंत्रक को यह पता चलता है कि संपूर्ण परीक्षा में या किसी विशेष विषय में मानक में एक अलग तरह का बदलाव हुआ है, तो वह इस मामले को परीक्षा मण्डल को भेज सकता है।
- (xviii) विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों वाली पुरस्कार सूची/सत्रांत अंकपत्र परीक्षा नियंत्रक/उप नियंत्रक/उप कुलसचिव (परीक्षा)/ सहायक निदेशक / सहायक कुलसचिव (परीक्षा) द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में परिणाम की घोषणा के बाद शैक्षणिक सत्रार्द्ध/वर्ष जारी किया जायेगा।

13. उत्तीर्ण विषयों, अंक, पदोन्नति और श्रेणियों के लिए मानदंड

- 13.1 उपरोक्त विवरण इस प्रकार है:-
 - (i) कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के एक विषय में अधिकतम अंक और उत्तीर्ण अंक (दोनों का योग, शिक्षकों के सतत मूल्यांकन/आंतरिक आकलन और सत्रार्धान्त/वार्षिक परीक्षा) विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
 - (ii) किसी विषय में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त करने के लिए, छात्र को विषय के सभी घटकों में उपस्थित होना होगा।
- 13.2 छात्र परिणाम घोषित होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर विशिष्ट विषय की अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

13.3

- (i) सत्रार्द्ध परीक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में, यदि कोई छात्र किसी विषय में दिए गए उत्तीर्ण अंकों से कम अंक प्राप्त करता है और विषय में असफल हो जाता है, तो उसे विषय की सत्रार्द्धान्त / वार्षिक परीक्षा में फिर से जब ऐसी परीक्षा होगी, उपस्थित होने की अनुमित दी जाएगी। सत्रार्द्ध /वार्षिक का संचालन खंड 5 (iii) में उल्लिखित अधिकतम अनुमित योग्य अविध के अधीन किया जाता है।
- (ii) जिस छात्र को उपरोक्त खंड 13.3 (i) के अनुसार सत्रार्द्धान्त/ वार्षिक परीक्षाओं में फिर से उपस्थित होना है, उसकी परीक्षा उस पाठ्यक्रम के अनुसार की जाएगी जो आगामी वर्ष (वर्षों) के दौरान लागू होगा।

हालाँकि, यदि संबंधित पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों के समय लागू पाठ्यक्रम की तुलना में प्रचलित पाठ्यक्रम में बड़े संशोधन होते हैं, तो परीक्षाएं पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

- (iii) जो छात्र पूरक/सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षा में दोबारा शामिल होने के पात्र हैं, उन्हें अनुमित पाने के लिए ऑनलाइन/संबंधित परिसर निदेशक/संबद्ध संस्थान के प्रमुख के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को आवेदन करना होगा और किसी परीक्षा में दोबारा शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र, जिन्होंने शिक्षक के सतत मूल्यांकन/आंतरिक आकलन के अधिकतम अंकों के उत्तीर्ण प्रतिशत [जैसा कि 13.1(ii) में वर्णित हैं] के बराबर से कम अंक प्राप्त किए हैं, उनके पास छात्र के नियमित बैच के साथ कक्षा परीक्षण के प्रदर्शन को दोहराने और सुधारने का विकल्प भी है। ऐसे मामलों में, छात्र को उक्त वर्ष की शुरुआत में ऐसे सुधार के लिए संबंधित विभाग के प्रमुख को आवेदन करना होगा। सत्रार्धान्त परीक्षाओं के शुरू होने से कम से कम सात दिन पहले संबंधित संकाय से प्राप्त संशोधित अंकों पर विचार किया जाएगा; अन्यथा छात्र द्वारा पहले ही प्राप्त किए गए पिछले अंकों को बिना किसी संशोधन के ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे सन्दर्भों में, जहां छात्र, छात्रों के अगले बैच के साथ कक्षा परीक्षण के प्रदर्शन में सुधार करने का विकल्प चुनता है, कक्षा परीक्षण आदि के घटक को शामिल करने के लिए अनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। यदि ऐसे छात्र सत्रार्धान्त परीक्षणओं में दोबारा उपस्थित नहीं होते हैं, तो शिक्षक के निरंतर मूल्यांकन/आंतरिक आकलन में सुधार को परिणाम घोषणा के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत मूल्यांकन/आंतरिक आकलन को दोहराने के लिए विद्यार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- (v) अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की पदोन्नति के लिए नीति, शैक्षणिक/ सत्रार्द्ध विच्छेद/क्रेडिट विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों/विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे।
- (vi) किसी वैधानिक निकाय द्वारा शासित अध्ययन के दौरान, यदि वैधानिक निकाय के विनियम/नियम किसी पदोन्नति नीति को निर्दिष्ट करते हैं, तो उसे कुलपित के अनुमोदन के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा लागू किया जाएगा। संबंधित पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना और परीक्षा में इसे शामिल करके अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नति के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं जोड़ी जा सकती हैं।

14. अंतिम वर्ष की अनुपूरक सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाएं

केवल उन नियमित छात्रों के लिए जिनके पास अन्तिम वर्ष के विषयों के बकाया कार्य नहीं है, अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित होने के बाद एक पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अर्थात्, उन नियमित छात्रों के लिए पूरक सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाएं केवल अंतिम वर्ष के विषयों के लिए आयोजित की जाएंगी, जो केवल अंतिम वर्ष के विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। पूरक सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाओं की अनुमित केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी, जिन्हें अंतिम वर्ष के विषयों की परीक्षाओं में शामिल होने का एक मौका दिया गया है। इन मामलों में शिक्षक के सतत मूल्यांकन/आंतरिक आकलन घटक नहीं बदलेंगे। पूरक सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाएं उन पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाएंगी जिनकी पाठ्यचर्या और शिक्षण और परीक्षा की योजना में इस परीक्षा का निर्धारण किया गया है।

15. क्रेडिट्स का स्थानांतरण

- (i) किसी छात्र को सम्बन्धित विद्यास्थान प्रमुख और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ विषय सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया की अनुकूलता के अधीन किसी अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय में कुछ विषयों के अध्ययन की अनुमति दी जा सकती है; तथा विश्वविद्यालय विद्यास्थान प्रमुख की अनुशंसा पर ऐसे विषयों के क्रेडिट्स के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है। इसी तरह का लाभ विद्यास्थान प्रमुख की अनुशंसा पर भी दिया जा सकता है, यदि किसी छात्र ने किसी कार्यक्रम एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के मुख्य विषय के बराबर एक विषय सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके लिए छात्र ने पंजीकरण कराया है।
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयम्' के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) 2016 के दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर संशोधित विनिमयन के अनुसार विश्वविद्यालय अध्ययन के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों

की क्रेडिट योजना में एस.डब्ल्यू.ए.वाई.ए.एम. शिक्षणकेन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों (वैकल्पिक विषयों की श्रेणी में) अर्जित क्रेडिट्स के लिए छात्रों को समकक्ष क्रेडिट अधिभार देगा।

- (iii) स्थानांतरण के लिए स्वीकार किए जाने वाले अधिकतम क्रेडिट्स उस अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल क्रेडिट्स के 25% से अधिक नहीं होंगे जिसमें एक छात्र को प्रवेश दिया गया है।
- (iv) क्रेडिट्स स्थानान्तरण की स्वीकृति के लिए केवल ऐसे विषयों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें छात्र ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। यदि किसी छात्र ने अन्य विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों से अधिक क्रेडिट्स अर्जित किया है, तो छात्र क्रेडिट हस्तांतरण के लिए विषयों की अपनी प्राथमिकता इंगित कर सकता है।

16. ग्रेडिंग प्रणाली

सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाओं में शिक्षण सतत मूल्यांकन/आंतरिक आकलन के अंकों को जोड़ने के बाद, छात्र द्वारा प्राप्त अधिकतम 100 अंकों को लेटर ग्रेड में परिवर्तित किया जाएगा। ग्रेड अंक नीचे दिए गए अनुसार ग्रेडर्बिंदु में एक छात्र को दिए गए लेटर ग्रेड के संख्यात्मक समकक्ष हैं: -

लेटर ग्रेड	अक्षर विवरण	ग्रेड बिंदु	श्रेणी अन्तराल (प्रतिशत में)
0	उत्कृष्ट	10	90 या उससे अधिक
A+	अत्युत्तम	9	75 और 90 से कम
А	उत्तम	8	60 और 75 से कम
B+	अच्छा	7	55 और 60 से कम
В	औसत से ऊपर	6	50 और 55 से कम
С	औसत	5	45 और 50 से कम
Р	उत्तीर्ण	4	40 और 45 से कम
F	अनुत्तीर्ण	0	40 से कम
Ab	अनुपस्थित	0	अनुपस्थित

ग्रेड पी (ग्रेड बिंदु 4) विषय उत्तीर्ण ग्रेड होगा जब तक कि पाठ्यक्रम के सशुल्क पाठ्यचर्या और शिक्षण और परीक्षा की योजना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, शिक्षण और परीक्षा के पाठ्यक्रम और योजना में परिभाषित उत्तीर्ण ग्रेड से नीचे के ग्रेड के लिए, संबंधित ग्रेड अंक शून्य होंगे। अर्जित अंक और ग्रेड दोनों सत्रार्द्धान्त के अंकपत्र पर प्रतिबिंबित किए जाएंगे।

ध्यातव्य:

- (i) एफ = असफल, और किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में 'एफ' ग्रेड वाले छात्रों को परीक्षा में फिर से उपस्थित होना होगा।
- (ii) किसी विषय के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 40% या 45% से कम अर्थात् 'पी' ग्रेड है।
- (iii) 'सी ग्रेड 45% या 50% से कम है
- (iv) 'बी' ग्रेड 50% या 55% से कम है
- (v) 'बी+' ग्रेड 55% या 60% से कम है
- (vi) 'ए' ग्रेड 60% या 75% से कम है
- (vii) "ए+' ग्रेड 75% या 90% से कम है
- (viii) "ओ' ग्रेड 90% और उससे अधिक है

- (ix) छात्रों को सत्रीय (परीक्षणों, प्रदत्तकार्यों, उपस्थिति, प्रस्तुति आदि) और सत्रार्धान्त परीक्षाओं को अलग-अलग उत्तीर्ण करना होगा तथा किसी भी घटक को उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले छात्र को किसी भी स्थिति में योग्य नहीं माना जाएगा।
- (x) छात्रों को अध्ययन पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के दौरान अपने ग्रेड में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी।
- (xi) एसजीपीए/सीजीपीए का कोई पूर्णांकीकरण नहीं होगा।
- (xii) एक छात्र द्वारा प्राप्त एसजीपीए/सीजीपीए बिन्दुओं में से अधिकतम संभावित 10 अंको में होती है।
- (xiii) विश्वविद्यालय की उपाधि/डिप्लोमा के लिए पात्र होने के लिए एक छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में 4 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।
- (xiv) बशर्ते कि जो छात्र अन्यथा उपाधि/डिप्लोमा के पुरस्कार के लिए पात्र हैं, लेकिन सत्रार्धों की अनुमत अवधि के अंत में 4 से कम सीजीपीए प्राप्त किया है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उसके बदले में उसी प्रकार के समान विषय को अनुच्छेद 5.2 "पाठ्यक्रम की अवधि" में दिए गए दो अतिरिक्त सत्रार्ध में दोहराने की अनुमति दी जा सकती है।

विश्वविद्यालय नीचे दिए गए के अनुसार लेटर ग्रेड्स के साथ 10-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाएगा। एक छात्र द्वारा प्राप्त संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) को निम्नलिखित प्रभागों में वर्गीकृत किया जाएगा: -

CGPA (सीजीपीए)	वर्ग/श्रेणी
10	अप्रतिम/उत्कृष्ट
9 और उससे अधिक, लेकिन 10 से कम	विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी
8 और उससे अधिक, लेकिन 9 से कम	प्रथम
7 और उससे अधिक, लेकिन 8 से कम	उच्च द्वितीय
6 और उससे अधिक, लेकिन 7 से कम	द्वितीय
4 और उससे अधिक, लेकिन 5 से कम	तृतीय
4 से कम	अनुत्तीर्ण

आंतरिक मूल्यांकन और सत्रार्द्धान्त परीक्षा के अलावा अन्य घटकों के सम्बन्ध में, जहां भी निर्धारित हो, उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता स्तर को ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम/अध्ययन के पाठ्यक्रम के संबंध में विद्यापरिषद द्वारा संबंधित अध्ययन मण्डल की अनुशंसा पर अलग से निर्धारित किया जाएगा।

- क. स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम से संबंधित निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करना चाहिए।
- ख. किसी विशेष विषय के साथ स्नातक की प्रतिष्ठा के रूप में उपाधि के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम से संबंधित कौशल उन्मुख विषयों सहित निर्धारित क्रेडिट्स प्राप्त करना चाहिए।
- ग. स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र की प्राप्ति की अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित क्रेडिट्स प्राप्त करना चाहिए।

17. छात्रों का श्रेणीक्रम

- (i) अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में एक छात्र को स्वर्ण पदक और योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा, बशर्ते कि वह (या समय-समय पर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार):
 - क. 60% से अधिक अंकों के साथ प्रथम स्थान होना चाहिए;
 - ख. किसी कार्यक्रम/अध्ययन पाठ्यक्रम के सभी सत्रार्द्ध बिना किसी रुकावट के उत्तीर्ण होना चाहिए;
 - ग. किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के सभी विषयों में बिना किसी बकाया के उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे किसी भी विषय में 'एफ या टी ग्रेड' प्रदान नहीं किया गया है:
 - घ. किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अच्छे आचरण और चरित्र का प्रदर्शन किया हो।

18. अनुचित साधन/छात्र शिकायत समिति

(i) अनुचित साधनों का प्रयोग

सत्रार्द्धान्त/वार्षिक परीक्षाओं के दौरान परीक्षा में अनुचित साधनों (यूएफएम) के कथित उपयोग से संबंधित सभी मामलों को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेने और अध्यादेश, यदि कोई हो, में निर्दिष्ट दंड की अनुशंसा करने के लिए कुलपित द्वारा गठित एक अनुचित साधन समिति के समक्ष रखा जाएगा। "अनुचित साधनों का उपयोग" के रूप में समझे जाने वाले कार्यों को परीक्षा प्रभाग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और अनुचित साधनों के संदिग्ध/कथित/रिपोर्ट किए गए उपयोग के मामलों से निपटने की प्रक्रिया कुलपित द्वारा अनुमोदित की जाएगी। शिक्षक के सतत मूल्यांकन के दौरान यूएफएम मामलों के लिए संबंधित विद्यास्थान प्रमुख उचित आवश्यक निर्णय लेंगे और परीक्षा प्रभाग को सूचित करेंगे।

(ii) छात्र शिकायत समिति

विद्यास्थान प्रमुख की विशिष्ट सिफारिशों के साथ प्रश्न पत्र आदि के निमार्ण के संबंध में परीक्षा समाप्त होने के सात दिनों के भीतर छात्रों से प्राप्त किसी भी लिखित प्रतिनिधित्व/शिकायत के मामले में, कुलपित द्वारा गठित छात्र शिकायत समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कुलपित उक्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने से पहले छात्र शिकायत समिति की सिफारिशों पर उचित निर्णय लेंगे।

19. सत्रार्द्ध परीक्षा प्रणाली के संबंध में सत्रार्ध ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना

- (i) एक सत्रार्द्ध में प्रदर्शन को सत्रार्ध ग्रेड प्वाइंट औसत [एसजीपीए) के रूप में व्यक्त किया जाएगा और इसे दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकीकृत किया जाएगा।
- (ii) सभी सत्रार्द्धान्त का संचयी प्रदर्शन पूरे कार्यक्रम में प्रदर्शन को प्रतिर्बिबित करेगा और इसे संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत [सीजीपीए] के रूप में जाना जाएगा, और इसे दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकीकृत किया जाएगा।
- (iii) एसजीपीए और सीजीपीए की गणना का सूत्र नीचे दिया गया है:

एसजीपीए = \sum CiGi / \sum Ci

 $CGPA = \sum \sum CniGni/\sum Cni$

जहाँ:-

Ci - पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट्स की संख्या

Gi - पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड प्वाइंट.

Cni- nth सत्रार्ध के पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या

Mni - नवें सत्रार्ध के पाठ्यक्रम के अंक

Gni – नवें सत्रार्ध के पाठ्यक्रम के ग्रेड अंक

- (iv) एसजीपीए और सीजीपीए की गणना में ऑडिट पेपर (खंड 4.4 के अनुसार) को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (v) खंड 11.6 के अनुसार और उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण और परीक्षा की योजना में निर्दिष्ट न्यूनतम सीजीपीए के बराबर से अधिक समग्र सीजीपीए रखने वाले सफल अभ्यार्थियों को उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें नीचे दिए गए श्रेणियों में रखा जाएगा:
 - क. 4.00 4.99 सीजीपीए को तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा।
 - ख. 5.00 to 6.49 सीजीपीए को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा।
 - ग. 6.50 या इससे ऊपर वाले सीजीपीए को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा।
 - घ. 10 के सीजीपीए को अनुकरणीय प्रदर्शन में रखा जाएगा। अनुकरणीय प्रदर्शन को सम्मानित किया जाएगा, यदि
 और केवल तभी, जब छात्र द्वारा अधीत पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय को अधीत प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित

होने के प्रथम अवसर में उत्तीर्ण किया हो। शैक्षणिक विच्छेद वाले छात्र को अनुकरणीय प्रदर्शन से सम्मानित नहीं किया जाएगा।

45

ङ. अंकों के प्रतिशत के समतुल्यता के उद्देश्य से सीजीपीए x 10 को छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर माना जाएगा।

20. उपाधि/डिप्लोमा प्रमाणपत्र का पुरस्कार

किसी छात्र को उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा यदि:

- (i) उसने स्वयं को पंजीकृत कर लिया है, कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में भाग ले लिया है, अपने कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट परियोजना/प्रशिक्षण प्रतिवेदन/शोध प्रबंध को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया है, और संबंधित उपाधि प्रदान के लिए निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त कर लिया हो।.
- (ii) उसके नाम पर विश्वविद्यालय का कोई बकाया नहीं है; और
- (iii) उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।
- (iv) उसने जहां भी लागू हो, उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण और परीक्षा की योजना में निर्दिष्ट न्यूनतम सीजीपीए से अधिक या उसके बराबर सीजीपीए प्राप्त किया है।
- 21. अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन परीक्षाओं में अव्यवस्थित आचरण, अन्य कदाचार, परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीखें, उपाधि की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, परीक्षकों को निर्देश जैसे प्रशासनिक मुद्दे, अधीक्षक परीक्षा केंद्र, पर्यवेक्षक, उनके पारिश्रमिक और परीक्षाओं के संचालन से जुड़े किसी भी अन्य मामले को कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।
- 22. इस अध्यादेश में कही गई किसी भी बात के बावजूद, उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रत्याशित मुद्दे के लिए, और इस अध्यादेश में शामिल नहीं होने पर, या व्याख्या में मतभेद की स्थिति में, कुलपित संकाय के किसी अथवा सभी विद्यास्थान प्रमुखों की एक समिति की राय/सलाह प्राप्त करने के बाद निर्णय ले सकते हैं। । कुलपित का निर्णय अंतिम होगा।

23. लिपिकार की नियुक्ति:

- (i) लिपिकार की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम और विनियम इस प्रकार होंगे:-
 - लिपिकार के लिए निम्नलिखित के मामले में अनुमति दी जाएगी:
 - नेत्रहीन उम्मीदवार (दृष्टिविकलांग); और
 - जो अभ्यर्थी किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण दिव्यांग है, और अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हैं।
 - बशर्ते कि उपरोक्त के तहत उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) जो अभ्यर्थी लिखने में अक्षम हैं और अपने हाथों से नहीं लिख सकते, वे केवल टाइपिंग के लिए कंप्यूटर की सहायता लेने के अधिकारी होंगे, बशर्ते कि कंप्यूटर/लैपटॉप, सम्बन्धित उम्मीदवार के द्वारा अंतिम सत्रार्द्ध/वार्षिक परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा नियन्त्रक के कार्यालय में प्रदत्त अग्रिम सूचना देने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
 - पुनः अवधेय है कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार को प्रदान किए गए कंप्यूटर में कोई भी डेटा संग्रहीत नहीं है जो उस परीक्षा से सम्बन्धित है, जिसमें उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है, और उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ऐसे लाभ निर्दिष्ट अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे।
- (iii) परीक्षा नियंत्रक, अंतिम सत्रार्द्ध/वार्षिक परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त होने पर, लिपिकार की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा और सम्बन्धित परीक्षा के बारे में परीक्षा केंद्र अधीक्षक को सूचित करेगा।
- (iv) लिपिकार 12वीं कक्षा से अधिक की योग्यता वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

- (v) परीक्षा केंद्र अधीक्षक दिव्यांग उम्मीदवार के लिए उपयुक्त कमरे की व्यवस्था करेगा और परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूची से एक विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।
- (vi) तीन घंटे की अवधि की परीक्षाओं के लिए दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा (अर्थात् परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त)।
- (vii) लिपिकार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए समय-समय पर विद्वत् परिषद द्वारा अनुमोदित मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।

24. पारिश्रमिक की दरें

प्रश्नपत्र निर्माता, प्रश्नपत्र संशोधक, परीक्षकों और छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं, परियोजनाओं, लखु शोध प्रबन्ध (डेजर्टेशन), शोध प्रबन्ध इत्यादि के मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

25. इस अध्यादेश में समाहित विषयों के अतिरिक्त, कुलपित द्वारा किठनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक उपाय किये जा सकते हैं।

अध्यदेश सं. 40

विद्यास्थान तथा विद्याशाखा

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 2(v), 12 और 29 को खण्ड 4 ,17 और 39 को इसके प्रथम संविधियों के साथ पढ़ा जाए।)

- 1. विश्वविद्यालय में विद्यास्थान के अन्तर्गत विभिन्न विद्याशाखा/ अध्ययन केन्द्र होंगे।
- 2. विश्वविद्यालय में स्थापित विद्यास्थान और विद्याशाखा/अध्ययन केन्द्र निर्दिष्ट हैं :-
 - 1. वेद-वेदांग एवं वैदिक विज्ञान विद्यास्थान
 - (i) व्याकरण विद्याशाखा
 - (ii) ज्योतिष विद्याशाखा
 - (iii) वेद, पौरोहित्य और कर्मकाण्ड विद्याशाखा
 - (iv) वेदांग एवं वेद भाष्य विद्याशाखा
 - (v) वैदिक विज्ञान केन्द्र

2. शिक्षा शास्त्र एवं कौशल प्रशिक्षण विद्यास्थान

- (i) शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा
- (ii) संकाय विकास और कौशल केन्द्र

भाषा साहित्य और संस्कृति विद्यास्थान

- (i) संस्कृत साहित्य विद्याशाखा
- (ii) पुराणेतिहास विद्याशाखा
- (iii) आंग्ल (अंग्रेजी) विद्याशाखा
- (iv) भारतीय भाषा विद्याशाखा
 - क. हिन्दी
 - ख. बांग्ला

- ग. उड़िया
- घ. नेपाली
- ङ. डोगरी
- च. मलयालम
- छ. কন্নর
- ज. मराठी
- झ. मैथिली तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ।
- (v) नाट्य शास्त्र अध्ययन केन्द्र

शास्त्रीय ज्ञान प्रणाली विद्यास्थान

- (i) धर्म शास्त्र विद्याशाखा
- (ii) पाण्डुलीपि विज्ञान और पुरालेख विद्याशाखा

5. दर्शन विद्यास्थान

- (i) बौद्ध दर्शन तथा पाली विद्याशाखा
- (ii) वेदान्त विद्याशाखा
- (iii) न्याय विद्याशाखा
- (iv) दर्शन विद्याशाखा
- (v) जैन दर्शन एवं प्राकृत विद्याशाखा
- (vi) मीमांसा विद्याशाखा
- (vii) साख्य- योग दर्शन विद्याशाखा

6. समकालीन ज्ञान प्रणाली एवं मानविकी विद्यास्थान

- (i) सामाजिक विज्ञान विद्याशाखा
 - क. राजनीति विज्ञान
 - ख. अर्थ शास्त्र
 - ग. इतिहास
 - घ. समाजशास्त्र, भूगोल एवं कोई अन्य विषय
- (ii) वाणिज्य, व्यवसाय और लोक प्रशासन विद्याशाखा
- (iii) महिला अध्ययन केन्द्र
- (iv) नेतृत्व एवं प्रबंधन अध्ययन केन्द्र

7. बहुविषयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यास्थान

- (i) संगणक विज्ञान और प्राकृतिक भाषा विद्याशाखा
- (ii) भाषा विज्ञान एवं अनुवाद अध्ययन विद्याशाखा

8. योग विज्ञान तथा समग्र स्वास्थ्य पद्धति विद्यास्थान

(i) योगविज्ञान एवं अध्यात्म विज्ञान विद्याशाक्षा

- (ii) आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विद्याशाखा
- 3. विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों और केन्द्रों तथा उनमें उभरते विषयों की भी स्थापना करेगा। यद्यपि भविष्य में किसी भी विद्यास्थान और विद्याशाखा को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय की अनुमित लेनी होगी।
- 4. इस अध्यादेश में किसी भी नियम के बावजूद कुलपित किठनाइयों को दूर करने और किसी अन्य असाधारण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

प्रो. रणजित कुमार बर्मन, कुलसचिव (प्र.)

[विज्ञापन-III/4/असा./489/2023-24]

नोटः 'प्रस्तुत अध्यादेश मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित अध्यादेश का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अध्यादेश मान्य होगा।'

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, DELHI ORDINANCES

New Delhi, the 16th October, 2023

(Section 29 of Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

- **F. No. 27021/2022-Estt./CSU/Ordinances**.—The Central Sanskrit University, Delhi (formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan), along with its 12 campuses as specified in the First Schedule and with Head Quarters in New Delhi, has been established as a body corporate under the "Central Sanskrit Universities Act, 2020 No. 5 of 2020" passed by the Parliament as notified in the Gazette of India vide CG-DL-E-25032020-218961, dated 25th March, 2020 and Corrigenda thereto vide CG-DL-E-24042020-219135, dated 24th April, 2020. It came into force on 30th April, 2020 vide Central Gazette notification no. CG-DL-E-17042020-219068 dated 17th April, 2020.
- 1. (1) These Ordinances shall henceforth be called as the Ordinances of Central Sanskrit University, Delhi.
 - (2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Executive Council and the Ordinances so made may also be amended, repealed or added to, at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.
 - (3) Every Ordinances made by the Executive Council shall come into effect immediately.
- 2. All the definitions mentioned in the Act should be followed as it is, unless the context otherwise requires.

INDEX ORDINANCES

NO.	TITLE	PAGE NO.
1.	ADMISSION AND ENROLMENT OF STUDENTS	4
2.	HOSTELS	6
3.	EXAMINATION BOARD	8
4.	RESEARCH BOARD	9
5.	APPOINTMENT OF EXAMINERS	11
7.	DEANS OF SCHOOLS OF STUDIES	12
9.	HEADS OF DEPARTMENTS	13
10.	CENTRAL LIBRARY COMMITTEE	15
11.	THE BOARD OF STUDIES	17
12.	EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE VICE CHANCELLOR	19

13.	THE FEES TO BE CHARGED FOR COURSES OF STUDY IN THE UNIVERSITY AND FOR ADMISSION TO THE EXAMINATIONS, DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY	22
14.	DEPUTY LIBRARIAN, ASSISTANT LIBRARIAN AND OTHER LIBRARY STAFF	24
15.	DIRECTOR, DEPUTY DIRECTOR, ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION	25
16.	APPOINTMENT TO THE POSTS OF ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF	26
17.	PROMOTION OF ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION	27
19.	AWARD OF FELLOWSHIP, SCHOLARSHIP, STUDENTSHIPS, MEDALS AND PRIZES	28
20.	CONVOCATION	29
21.	AWARD OF DEGREES (INCLUDING HONORARY DEGREES), DIPLOMAS, CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY	31
22.	THE PROGRAMMES/COURSES OF STUDY FOR ALL THE DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY	33
23.	EQUIVALENCE COMMITTEE FOR RECOGNITION OF EXAMINATIONS/DEGREES	34
24.	STUDENTS DISCIPLINE	35
25.	GAMES AND SPORTS COMMITTEE	38
26.	RECOGNITION BY THE UNIVERSITY FOR COOPERATION/ COLLABORATION WITH OTHER UNIVERSITY/ AUTHORITY/ INSTITUTION	39
27.	MUKTA SWADHAYA PEETHAM (MSP) - INSTITUTE OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION	42
28.	DEAN OF RESEARCH	44
29.	DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS	45
31.	COUNCIL OF DEANS	47
32.	PROCTOR	48
33.	VISITING PROFESSOR	49
35.	WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENTS	50
36.	CURBING THE MENACE OF RAGGING IN UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER ITS JURISDICTION	53
37.	APPOINTMENT OF ADJUNCT FACULTY MEMBERS	54
38	VISITING FELLOW	55
39.	MEDIUM OF INSTRUCTION OF CONDUCT OF EXAMINATIONS AND EVALUATION OF STUDENTS PERFORMANCE FOR THE PROGRAMMES/COURSES LEADING TO PRATHAMA (MIDDLE CERTIFICATE), PURVA MADHYAMA (SECONDARY CERTIFICATE), UTTAR MADHYAMA/ PRAK SHASTRI (SENIOR SECONDARY CERTIFICATE), SHASTRI (BACHELOR'S DEGREE)/ ACHARYA (MASTER'S DEGREE) & OTHER POST GRADUATE DIPLOMA /DIPLOMA /CERTIFICATE FOLLOWING THE ANNUAL /SEMESTER SYSTEM OF EXAMINATIONS OTHER THAN RESEARCH DEGREE PROGRAMMES/COURSES.	56
40.	SCHOOL OF STUDIES AND DEPARTMENTS	72

ADMISSION AND ENROLMENT OF STUDENTS

(Sections 6(1)(xix), 6(2)(i), 6(2)(ii), 7 and 29(1) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 30(7) of its First Statutes)

1. Subject as provided hereinafter, a person shall be eligible for admission to the courses/programmes of this University from Prak-Shastri (Intermediate) level and above, if he/she has passed the Secondary or Senior Secondary examination of a University, or Board or an examination recognized as equivalent to either of these examinations by the Academic Council of this University from time to time, and possesses such further qualifications as may be prescribed by the Regulations. Further, a candidate for admission at school level

- shall be eligible for admission in respective classes in accordance with the eligibility criteria and conditions as prescribed by the Academic Council of the University from time to time.
- Students from another University shall be eligible for admission to a course of study of this University, subject to eligibility and other conditions as prescribed by the Academic Council of this University from time to time.
- 3. Every student admitted to a Department or a Centre or an Institution or a School maintained or affiliated by the University shall be enrolled by the University on receipt of an application for enrolment from him/her;

Provided that the application for enrolment shall be supported by the documents as prescribed by the Academic Council of this University from time to time and shall give a unique enrolment number.

- 4. Application form for admission to the various programmes offered by University shall be as prescribed by the Academic Council of the University from time to time.
- 5. The number of students to be admitted in various courses/programmes of the University shall be prescribed by the Academic Council in terms of the Regulations, if any, applicable from time to time.
- 6. Admission of students shall be made on all-India basis on merit, either through Common Entrance Tests centrally conducted individually by this University or in combination with other Universities, Institutions, Academic Bodies / Authorities; or on the basis of marks obtained in the qualifying examination and wherever applicable, through written test/viva/group discussion /personal interview or a combination of these aimed at assessing knowledge, comprehension and aptitude of the student to pursue higher studies, in such courses as prescribed by the Academic Council.

Provided that the individual Campuses of this University or any affiliated body thereof may on permission from the Academic Council of the University conduct separate entrance test for itself for the courses/programmes as decided from time to time.

- 7. The Entrance Examination shall be held at headquarters and/or other such places as notified by the University from time to time.
- 8. For conducting any kind of entrance test/written test/viva/group discussion/ personal interview or a combination of these and procedure thereof, the Regulations/Instructions/Guidelines as prescribed from time to time shall be applicable in all respects.
- 9. Admissions to the various programmes/courses of studies shall be made by the Admission Committees constituted for this purpose at the concerned level as per the guidelines issued by the University from time to time.
- 10. The syllabi, format, duration, scheme of evaluation of the entrance examination shall be decided by the University.
- 11. Minimum qualifications for admission to the programmes/courses in the University shall be prescribed by the Academic Council from time to time, in terms of the Regulations, as applicable.
- 12. The reservation policy as prescribed for different categories/classes/castes by the Government of India/UGC shall be adopted by the University for the purpose of admissions;

Provided that nothing in this clause shall deem to prevent the University from making special provisions for admission of women, children/war widows of armed forces personnel disabled/killed in action, persons with disabilities or persons belonging to the economically and socially weaker sections of the society or persons having domicile as prescribed by the University from time to time or persons having pursued studies in traditional stream of instructions/education or sports persons.

- 13. 10% of seats over and above the normal intake shall be for the students of foreign nationality/international students for admission to the programmes.
- 14. Except the professional programmes, 20% seats over and above intake shall be increased by the Vice Chancellor in such circumstances where he/she finds necessary.
- 15. The commencement of classes for all courses, other than professional courses, shall be governed by the UGC norms concerning Minimum Standards of Instruction for the Grant of Degrees as issued and amended from time to time.
- 16. The minimum and maximum duration for the programmes offered by the University shall be prescribed by the Academic Council in conformity with requirements of regulations prescribed by national regulatory bodies from time to time.

- 17. If, at any time, it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used for securing admission, the University shall take appropriate disciplinary action against such candidates in accordance with the prescribed guidelines.
- 18. In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

HOSTELS

(Section 29(1) (h) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 12(2)(xi) and 12(2)(xvi) of its First Statutes)

1. The objectives of the Hostels are as follows:-

- (i) To provide to the students of the University as congenial place to live so that they can devote themselves to pursuit of higher learning;
- (ii) To ensure that students coming from different background have an opportunity to live together, imbibe a spirit of co-operation and goodwill and acquire broader societal frame;
- (iii) To provide opportunities for co-curricular and extra-curricular activities for all round development or individual personality and for giving expression to their artistic and creative talent; and
- (iv) To develop in the students the capacity to govern their own affairs.

2. Supervision and Control – Central Committee on Hostels

(i)	The Central	Committee sha	ll comprise of	the following:-
-----	-------------	---------------	----------------	-----------------

(a) Dean Students' Welfare - Chairperson

(b) Three Campus Directors (nominated by the - Member

Vice Chancellor)

(c) Chief Warden (one-nominated by - Member

the Vice-Chancellor)

(d) Wardens [two (one shall be women)-nominated - Member

by the Vice-Chancellor]

(e) Deputy Director/ - Member

Assistant Director (Physical Education and Sports)

(one-nominated by the Vice-Chancellor)

(f) Registrar or his nominee - Member

(g) Deputy Director/Deputy Registrar (Admn.) - Member-Secretary

- (ii) The functions of the Central Committee on Hostel shall be as follows:-
 - (a) Shall prepare and notify, with proper approval of the Competent Authority, a code of conduct for students admitted in the hostels.
 - (b) Advise University on matters of policy, discipline, maintenance etc. relating to their management.
 - (c) Such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor.
- (iii) The Central Committee shall meet as often as necessary. Meetings shall be convened and presided over by the Dean of Students' Welfare and 50 percent of its members shall form the quorum.

The Dean, Students' Welfare shall submit the decision of the Committee to the Vice-Chancellor.

3. Hostels in Campus:-

(i) The University shall maintain such Hostels as may be necessary to fulfil the objectives of residence.

- (ii) The students residing in the Hostels shall pay such fee as prescribed by the Central Committee on hostels from time to time.
- (iii) Each hostel shall be under the charge of a Warden. Wardens shall be responsible to Chief Warden for their duties and responsibilities.

4. Supervision and Control – Campus Committee on Hostels

(i) The Committee shall comprise of the following:-

Director of the Campus (a) - Chairperson Chief Warden - Member (b) Wardens - Member (c) (d) Senior most faculty member in Campus - Member One faculty member (Woman) - Member (e) [Nominated by Director of the Campus]

(f) Two students' representatives - Member

[Nominated by Director of the Campus]

g) Assistant Registrar/Section Officer (Admn.) - Secretary

(ii) The functions of the Committee shall be as follows:-

- (a) Management, selection and admission of students to the University Hostels.
- (b) Supervision of the Hostels.
- (c) Maintenance of discipline amongst the resident students.
- (d) Transfer of a student from one Hostel to another.
- (e) Such other duties as may be assigned by the Director.
- (iii) The Committee may recommend to admonish a student for misconduct, to impose a fine as fixed by the University and/or to remove from the Hostel.
- (iv) The Committee shall meet as often as necessary and at least twice in every semester. Meetings shall be convened by the Director of the Campus and four of its members shall form the quorum.

The Director of the Campus shall take appropriate action to settle issues at his/her level for smooth functioning/maintenance of hostels. However, issues related to policy matters and major disputes etc. shall be submitted by the Director to the Member-Secretary of Central Committee on Hostels for necessary action and seeking approval.

5. In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

ORDINANCE NO. 03

EXAMINATION BOARD

(Sections 29(1)(c) & (g) and 46 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12(2)(xiv) and 18(3)(a) of its First Statutes)

- Member

- 1. There shall be an Examination Board in the University
- 2. The Board shall consist of the following persons:

(ii) Registrar

(i) The Vice-Chancellor or his nominee - Chairman

(iii) Three Deans of School of Studies - one each

from Traditional Shastra, Shiksha Shastra

and Modern Subjects & Languages- to be nominated

by the Vice-Chancellor - Member

(iv) One Professor from the Academic Council

- other than Deans of School of Studies
- to be nominated by the Vice-Chancellor -Member
- (iv) One member from Executive Council
 - to be nominated by Chairman, Executive Council Member
- (v) Three Directors of Campuses from different region/zone,
- to be nominate by the Vice-Chancellor -Member
- (vi) Controller of Examination -Member-Secretary
- 3. All the nominated members, other than Ex-officio members, shall hold office for a period of two years and shall be eligible for re-nomination/re-appointment at the discretion of the Vice-Chancellor.
- 4. Six members shall form quorum for a meeting of the Board which shall include at least one expert member.
- 5. The Board shall consider the consolidated results forwarded by the various Boards of Examiners, approve the same and arrange for the declaration of all examination results in the University.
- 6. The Board shall have power to recommend to Academic Council the grace marks/grades in exceptional and deserving cases according to the rules framed in this regard. It shall also serve as an Appellate Board on all matters relating to examinations.
- 7. The Board shall submit a report every year to the Academic Council on the working of the University examinations and make recommendations for effecting improvement.
- 8. The Board shall also make recommendations regarding disciplinary action to be taken against candidates using unfair means in examinations or contravening in any manner the rules for the conduct of examinations.
- 9. It shall perform such other duties and functions as may be assigned to it by the Academic Council.
 - Provided that the Examination Board may delegate any or all of its powers mentioned above to any officer of the University.
- 10. It shall also perform such all other duties and functions as may be prescribed by the Regulations.
- 11. In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

RESEARCH BOARD

(Sections 6(1)(i), 6(1)(xiii), 6(2) and 46 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 and 14 of its First Statutes)

- 1. There shall be a Research Board in the University and there shall also be Local Research Committees in respective campuses of the University to be constituted by the Vice-Chancellor. These Local Research Committees shall function under the supervision of Research Board of the University.
- 2. The Research Board shall consist of the following persons:
 - (i) The Vice-Chancellor Chairman
 - (ii) All Deans of Schools of Studies Member
 - (iii) Five Professors other than Deans of Schools of Studies
 - to be nominated by the Vice-Chancellor Member
 - (iv) Five External Experts from other Universities/
 - Institutions to be nominated by the Vice-Chancellor -Member
 - (v) The Controller of Examination Member
 - (vi) Director (one to be nominated by the Vice-Chancellor-Member
 - (vii) The Registrar Member
 - (viii) Director, Academic Affairs, CSU, Delhi Member Secretary
- 3. All the nominated members, other than Ex-officio members, shall hold office for a period of two years.

- 4. Subject to the overall guidance of the Academic Council, the Research Board shall perform *inter-alia*, the following functions:-
 - (i) To prepare research policy documents of the University.
 - (ii) To prepare scope of research, which will include major & minor projects, consultancy or any other research activities as may be assigned by the Academic Council.
 - (iii) To review the research proposals and finalize the topic of research.
 - (iv) To prepare a perspective of research and major thrust areas for research, if any, in the disciplines under its purview;
 - (v) To evaluate institutional research programmes for funding by the University or by national/international agencies;
 - (vi) To conduct and promote inter-disciplinary and multi-disciplinary research works/programmes and avail/arrange funding thereof at University/National/ International level.
 - (vii) To review the current status of research in each department and also evaluate any kind of funding and progress thereof in the course of research and critically examine the progress from time to time;
 - (viii) To indicate the priority areas of research in the departments particularly with reference to the role and responsibility of the University and taking into account the facilities available in the University and also create facilities wherever necessary in keeping with the major thrust areas accepted for the concerned Departments and individual interest of the members of the faculty;
 - (ix) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council.
 - (x) In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Board shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If, the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Board may recommend to the campus with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.
- 5. The Research Board shall meet regularly at least twice a year.
 - Seven members shall form quorum for a meeting of the Research Board.
- 6. To perform such all other duties and functions as may be prescribed by the Regulations.
- 7. In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

APPOINTMENT OF EXAMINERS

(Section 29(1)(g) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12(2)(xiv) and 18(3)(a) of its First Statutes)

I. FOR UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATIONS

The University will conduct the entrance examination for various courses/ programmes. The examiners for entrance examinations of the University on all India basis for admission to various Programmes of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor. Further the Examiners for the Campus/Affiliated Institution level entrance examination shall be appointed by the Director of the Campus/Head of the Affiliated Institution concerned with the approval of the Vice Chancellor.

II. FOR UNIVERSITY EXAMINATIONS

Continuous examinations, end semester examinations, practical examinations and annual examinations shall be conducted by the University. Wherever necessary, the format of the examination will be decided by the University after consultation with the Head of the Department/Dean of School concerned in the Examination Board. The panel of Experts/Examiners for setting question papers and evaluation will be selected by the Academic Council and approved by the Executive Council of the University. The Vice Chancellor will be empowered to select the Experts/Examiners from the panel thereof.

III. FOR AWARD OF Ph.D. DEGREE

Examiners for Ph.D. shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the concerned faculty as prescribed in the Regulations.

ORDINANCE NO. 07

DEANS OF SCHOOLS OF STUDIES

(Sections 9(3) and 12 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 4 & 39 of its First Statutes)

- 1. There shall be Deans of Schools of Studies in the University.
- 2. Every Dean of School of Studies shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the School of Studies by rotation in the order of seniority for a period of three years:

Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a School of Studies, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professors, if any, and the Associate Professors in the School of Studies by rotation in the order of seniority:

Provided further that a Dean on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

- 3. When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor, as the case may be, in the School of Studies.
- 4. The Dean shall be the Head of the School of Studies and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the School of Studies and shall have such other functions as may be prescribed by the Ordinances.
- 5. The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies or Committees of the School of Studies, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.
- 6. The Dean of School of Studies shall be answerable to the Vice Chancellor, Academic Council and Executive Council for the activities relating to the subject assigned as Dean of School of Studies. However, for the purpose of teaching and other activities in the Campus where he/she is posted, he/she will be responsible to the Campus Director.
- 7. The Dean of School of Studies shall coordinate with the Dean of Academic Affairs.
- 8. The Dean of School of Studies shall perform all other duties & responsibilities and exercise the powers as specified in the Act and Statutes.
- 9. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 09

HEADS OF DEPARTMENTS

(Section 29(1)(0) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 13 (1)(c) & 39 of its First Statutes)

- 1. There shall be Heads of Departments of concerned subjects at University level and Conveners of concerned subjects at Campus level in the University.
- 2. **University level-** The Heads of the Departments at University level shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors in the concerned Departments by rotation in the order of seniority for a period of three years.
- 3. He/She shall:-
 - (i) be responsible to the concerned Dean of School of Studies in all academic matters.
 - (ii) be the Academic Head of the Department and shall convene and preside over the meetings of the Department and the Board of Studies with the approval of Vice Chancellor.
 - (iii) maintain discipline through teachers of the Department with the approval of Competent Authority.
 - (iv) assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department.
 - (v) be responsible for the coordination and supervision of teaching and research in the Department.
 - (vi) operate the Budget of the Department; and shall be responsible for observance of the provisions of the Act / Statutes / Ordinances and Regulations relating to the Department; and

- (vii) perform such other academic duties as may be assigned to him/her by the Academic Council, the Executive Council or the Vice-Chancellor.
- 4. **Campus level-** The Conveners of the Departments/Subjects at Campus level shall be appointed by the Director with the approval of the Vice Chancellor for a period of three years. He/She shall be appointed from amongst the Professor in the concerned Departments/Subjects by rotation in the order of seniority.
- 5. In case there is no Professor in concerned Departments/Subjects of the Campus, Associate Professor will be appointed as Convener of the concerned Departments/Subjects. If Associate Professor in a concerned Departments/Subjects is also not available, Assistant Professor in the Departments/Subjects will be appointed as Convener.
- 6. However, in fulfilment of NCTE norms, there shall be Head of Department in Shikshashastra Department at Campus Level amongst Professors/Associate Professors to be appointed by the Vice Chancellor of the University as per the seniority provided by the Campus Director on rotation basis for a period of three years.
- 7. There shall be a Head at the School Level in every Campus, who shall be supervising all the activities of the Departments & Subjects at the Campus Level. He/she shall be the senior faculty of the concerned school at the Campus Level. He/she shall be appointed by the Director with the approval of the Vice Chancellor for a period of three years on rotation basis amongst the Professors/Associate Professors. All Conveners of the Departments /Subjects shall be responsible to the Head of the School concerned.
- 8. He/She shall:-
 - (i) convene and preside over meetings of the Departments/Subjects which shall be held at least twice in a semester with the approval of the Campus Director.
 - (ii) be responsible to the Campus Director and attend to the following works under his supervision:-
 - (a) To organize and supervise the teaching and research activities in the Department.
 - (b) To frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department.
 - (c) To maintain discipline in the class room and laboratories through teachers;
 - (d) To assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department;
 - (e) To assign work and exercise control over the non-teaching staff in the Department; and
 - (f) To perform such other functions as may be assigned to him/her from time to time by the Campus Director.
- 9. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

CENTRAL LIBRARY COMMITTEE

(Sections 17, 29(1)(h) and 46 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 8 of its First Statutes)

- 1. There shall be a Central Library Committee in the University to be constituted by the Vice-Chancellor. This Committee shall function under the supervision of University Librarian.
- 2. The Central Library Committee shall consist of the following persons:
 - i. The Vice-Chancellor Chairman
 ii. One Dean (to be nominated by the Vice-Chancellor)- Member
 iii. Directors of the Campuses Member
 iii. Three Enternal Enternal
 - iv. Three External Experts
 - to be nominated by the Vice-Chancellor Member
 - v. The Registrar Member
 - vi. One Campus Library Incharge/Assistant Librarian- Member
 - to be nominated by the Vice-Chancellor
 - vii. The University Librarian Member-Secretary

- 3. All the nominated members shall hold office for a period of three years and shall be eligible for renomination/re-appointment at the discretion of the Vice-Chancellor.
- 4. Subject to the overall guidance of the Academic Council, the Central Library Committee shall perform *interalia*, the following functions:
 - i. To maintain, upkeep of books, manuscript, research journal, periodicals and other reading material in the Headquarters and Campus Libraries.
 - ii. To microfilm, to prepare online data base of manuscript and research journals, where necessary.
 - iii. To prepare a policy for procurement and purchase of books, manuscript and research journals and supervision of the implementation of the policies.
 - iv. To prepare a policy for digitalization of the rare books, research thesis and research journals and supervision of the implementation of the policies.
 - v. To formulate policy and rules for functioning of the Headquarters and Campus Libraries.
 - vi. To discuss and recommend the budgetary provision required on yearly basis for smooth functioning of the Headquarters and Campus Libraries.
 - vii. To pursue other activities as guided by the Academic Council from time to time.
 - viii. To maintain e-library and library portal etc.
- 5. The Central Library Committee shall meet regularly at least twice a year.
- 6. Eight members shall form quorum for a meeting of the Central Library Committee which shall include at least one expert member.
- 7. To perform such all other duties and functions as may be prescribed by the Regulations.
- 8. In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

THE BOARD OF STUDIES

(Section 19(iv), 23, 29(1)(j) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with clause 18 of its first Statutes).

1. Each Department shall have Board of studies. However, in Special Study Centre and Interdisciplinary/Multidisciplinary Centers, Special Board of Studies may be constituted by the Vice Chancellor as per requirement.

- Member

2. The Constitution of Board of Studies

seniority

seniority

(vii).

The Board of Studies shall comprise the following:-

Head of the Department /Head of Special Study Centre, - Chairperson (i). Interdisciplinary/Multidisciplinary Centers concerned Two to Five Professors in the Department/Centre/School -(ii). - Member to be nominated by the Vice Chancellor (iii). Two to Three experts - to be nominated by the Vice - Member Chancellor (iv). Two experts each from Alumni and Allied subjects from - Member the list submitted by Director (Academic Affairs) - to be nominated by Vice Chancellor Two Experts from outside the University - to be nominated (v). - Member by the Vice Chancellor and invited whenever special courses of studies are introduced Two Associate Professors from Department by rotation in - Member (vi).

Two Assistant Professors from Department by rotation in

- (viii). Convener may be nominated by the person from among members of Board of Studies
- Member
- (ix). One representative of students as a special invitee to be nominated by the Chairperson
- -Invitee Members
- (x). Dean of the Schools and Director, Academic Affairs may be the invitee members in the meetings and giving suggestions
- -Invitee Members

3. Tenure of Board of Studies

- (i) The tenure of the members of the Board of Studies shall be three years.
- (ii) Any casual vacancy may be filled-up for the residual period.

4. The Powers and Function of Board of Studies

Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of the Board of studies shall be, to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned School Board in the manner as prescribed:

- (i) Courses of studies and appointment of examiners for courses for all degrees, Diplomas etc.(excluding research degrees)
- (ii) Appointment of supervisors for research.
- (iii) Measures for improvement of the standard of teaching and research.
- (iv) To decide the format and content of the Syllabus for any course/programe.

Provided that the above functions of a Board of Studies shall, during the period of three years immediately after the commencement of the Act, be performed by the Department.

5. Meeting of Board of Studies

- (i) The Board of Studies shall meet at least once in each semester, twice in a year and on such occasions, as may be determined by the Vice-Chancellor
- (ii) The quorum for the meeting of Board of Studies shall be 50% of the members. Provided that in the meeting wherein introduction of special course of studies in discussed, presence of at least one outside member shall be mandatory to form the quorum.
- (iii) In the absence of the Chairperson, the senior-most member present shall act as Chairperson for that meeting.
- (iv) If in the opinion of the Chairperson, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of Studies to consider any item and if he/she considers that a matter could be disposed off, by circulation among the members of Board of Studies, he/she may issue necessary instructions to that effect.
- In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

ORDINANCE NO. 12

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE VICE CHANCELLOR

(Sections 9 (2) and 11 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 2, 3 & 39 of its First Statutes.)

- 1. Emoluments, Terms and Conditions of service and Powers and Functions of the Vice Chancellor shall be as prescribed in the Act & the Statutes.
- 2. The Vice Chancellor shall be entitled to leave travel Concession, as approved by the University from time to time, which shall be in conformity with Govt. of India rules and the entitlement shall be equivalent to the rank of Secretary to Govt. of India.
- 3. The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself and his family members obtained for the Private OPD/Private Wards of any approved Hospital/Nursing Home as approved by the University.
- 4. The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from his home town to place of duty and back on

his/ her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.

Leave:

- i.The Vice Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled for the number of days equivalent of the leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.
- ii.The Vice Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as commuted Leave on production of Medical certificate, provided that when such commuted leave is availed of is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.
- iii. The Vice Chancellor shall also be entitled to avail himself of Extra Ordinary Leave without pay for a maximum period of three months during the full term of five year on medical grounds or otherwise.
- 5. In the case of any absence of the Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period, so spent shall be treated on duty.
- 6. Where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he/she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.
- 7. Further he/she may be allowed to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his/her appointment as Vice Chancellor.
- 8. If a person, employed in another institution, is appointed the Vice Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior the his/her appointment as the Vice Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary, Provident Fund, Pension Contributions to the Institution. Where he/she permanently employed, as admissible under the Rules.

Amenities

- i. The Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rentfree furnished residential accommodation with such furniture, as may be approved by the University. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.
- ii. The Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a free official car. He shall also be entitled to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service along with Wi-Fi/Internet facility at his/her residence.
- iii. The Vice Chancellor shall be entitled to have the services of one Cook and two Attendants at his/her residence.

POWERS AND FUNCTIONS

The Vice-Chancellor is the Chief Executive and Academic Head of the University. Without prejudice to the powers and functions prescribed in the Act and the Statutes, he/she shall exercise the following powers:-

- 1. To ensure that the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations are fully observed;
- 2. To delegate his powers for day-to-day work to the Deans, Heads of the Departments and other offices who should act on the basis of clear rules laid down in this regard;
- 3. To ensure that the routine items regarding creation of temporary posts for short duration and sanction of leave etc. should not normally be referred to the Executive council;
- 4. To make appointments of Directors of the Campuses/other Departments, Deans, Heads, Proctor, Dean of Students Welfare and Wardens etc.
- 5. Power, not to act upon any decision of any authority, if he/she is of the opinion that it is ultra vires of the provisions of the Act or Statues or Ordinances or that such a decision is not in the best interests of the University. If both the cases he could ask the authority concerned to review the decision and if differences persist, the matter be referred immediately to the Visitor whose decision shall be

final and binding on the Vice Chancellor.

- 6. As the Chairman of the authorities, bodies and committees of the University he/she should be empowered to suspend a member from the meeting of the authority, body or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behaviour unbecoming of a member.
- 7. All the disciplinary powers in regard to students and employees shall vest with the Vice-Chancellor. He/she shall have the powers to suspend an employee and initiate disciplinary action against him. However, the Vice-Chancellor could delegate these powers to other officers.
- 8. He/she shall be responsible for holding and conducting the university examinations properly at the scheduled time and for ensuring that results of such examinations are published expeditiously and that academic session of the university start and end on proper dates.
- 9. He/she shall be responsible to allocate responsibilities and to audit the performance of officers, faculty members, staff and students against the expected standards.
- 10. Managing the people (including students and academic staff), in a manner whereby there is a positive impact on society at large and the actions are in accordance with the overall plans of development etc.
- 11. To Supervise the Centrally funded Schemes including Scheme for Adarsh Sanskrit Mahavidyalayas/ Shodh Sansthans as per the guidelines and to take appropriate decisions on any matters related to them.
- 12. To exercise all administrative and financial powers as defined in Statutes/Ordinance.
- 13. He/she shall pass such Orders and take such measures that are necessary to implement any of the above.
- 14. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 13

THE FEES TO BE CHARGED FOR COURSES OF STUDY IN THE UNIVERSITY AND FOR ADMISSION TO THE EXAMINATIONS, DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY

(Sections 6 (1) (xx) & 29 (1) (e) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

- 1. The Executive Council on the recommendations of the Academic Council shall, from time to time, prescribe the fees payable by the students.
- 2. The students shall deposit fees as prescribed by the University from time to time on or before the date fixed by the University.
- 3. If a student does not pay fee on time, a fine shall be levied on the total fee payable as decided by the University from time to time.
 - (i) The Vice Chancellor, or on his/her behalf any other officer to whom his/her power has been delegated may on the recommendations of the Dean of the Students Welfare, relax any of the conditions for payment of fees in special cases, provided the student concerned submits a written application through the concerned Director/Head of the Institution stating the reasons for late payment of fee. Such applications should be submitted well before the due dates.
 - (ii) If a student fails to deposit the prescribed fee before due date, his name shall be notified and thereafter struck off from the rolls of the University, with effect from the first day of the following month.
 - (iii) A student whose name has been struck off from rolls of the University may be re-admitted on the recommendations of the Dean of the Students Welfare and on the payment of arrears of fees in full and other dues, together with a re-admission fee as fixed by the University. Such re-admission shall be made within a period of one month and as per the norms specified by the University.
 - (iv) Whenever a student proposes to withdraw from the University, he/she shall submit an application to the concerned Director/Head of Institution through the concerned campus Head of Department for intimating the date of his/her withdrawal. If he/she fails to do so, his/her name shall continue to be kept on the rolls of the University for maximum period of one month. He/she shall also be required to pay all fees/charges that may fall due during his/her period in campus/institution.

- 4. The University shall award the freeships and fee concessions to the eligible students as per the guidelines and rules issued by the GoI/UGC from time to time.
- 5. The cases of refund of fees deposited by the students shall be considered in consonance with the provisions of Fee Refund Policy prescribed by the UGC from time to time.
- 6. The fees for the various Courses/Programmes, as decided by the University from time to time, shall be payable by the students.
- 7. Students shall not be issued Hall Tickets or allowed to appear in the Examinations, unless they have cleared their dues and paid the examination fee.
- 8. The fees for re-checking examination results shall be as specified by the University from time to time. Provided that the fees shall be refunded to the candidate if, on re-checking the results, any error or omission is discovered in the results notified by the University.
- 9. Every candidate shall pay the examination fee along with the fee as fixed by the University for the supply of statement of marks for each examination. Duplicate/Corrected copy of Statement of Marks shall also be supplied on payment of a fee as fixed by the University from time to time.
- 10. The fees for issuing the following documents, and for duplicate copies thereof, shall be as prescribed by the University:
 - a. Migration Certificate/Transfer Certificate or duplicate copy thereof;
 - b. Provisional Certificate of having passed an examination of the University/Duplicate copy thereof;
 - c. Degree/Diploma Certificate or Duplicate copy of Degree/Diploma Certificate (on production of FIR);
 - d. Study Certificate;
 - e. Bona fide Certificate;
 - f. Transcript;
 - g. Copy of Answer sheet/Key;
 - h. Any other Document/Certificate or Duplicate copy thereof.
- 11. A student or candidate, who wishes to add or to alter his/her name as originally recorded in the University Registers shall pay a fee fixed for the purpose by the University. Such addition or alteration shall be made to his/her original name as alias in the University Enrolment Register after he/she has fulfilled the necessary formalities.
- 12. A student who applies for any alteration/correction/addition in any other record entered in the University Registers and permissible under the rules shall pay fees for the purpose as prescribed by the University. No change in the date of birth shall be made unless approved by the Competent Authority.
- 13. The University may provide other concessions/rebates in fee/charges to be paid in respect of the needy students in special circumstances and frame guidelines therefor.
- 14. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

DEPUTY LIBRARIAN, ASSISTANT LIBRARIAN AND OTHER LIBRARY STAFF

(Section 9 (8) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with clause 12 (2) (iv) & 39 of its First Statutes)

- 1. The University is empowered to appoint such other officers as may be declared by the statutes to be its officers with the approval of UGC/Govt. of India.
- 2. The Staffing pattern, pay structure, eligibility, service conditions, duties and responsibilities shall be applicable to the Library Staff as per UGC Regulations and norms issued by the Government of India & University from time to time.
- 3. Promotions under CAS/MACP, as applicable, shall be implemented as per the UGC/University Regulations and norms issued by the Government of India from time to time.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

DIRECTOR, DEPUTY DIRECTOR, ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION

(Section 9 (8) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with clauses 12 (2) (iv) & 39 of its First Statutes)

- 1. The University is empowered to appoint such other officers as may be declared by the statutes to be its officers with the approval of UGC/Govt. of India.
- 2. The Staffing pattern, pay structure, eligibility, service conditions, duties and responsibilities shall be applicable to the Physical Education as per UGC Regulations and norms issued by the Government of India & University from time to time.
- 3. Promotions under CAS shall be implemented as per the UGC Regulations and as amended from time to time.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 16

APPOINTMENT TO THE POSTS OF ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, PROFESSOR, SENIOR PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF

(Sections 6 (1) (viii) & 29 (2) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (i) & (ii), 20 and 39 of its First Statutes)

- 1. The University is empowered to make appointment to the posts of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor and other Academic Staff.
- 2. The procedure and the norms for appointment to the posts of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor and other Academic Staff shall be as per University Grants Commission (UGC) Regulations/University Regulations, as amended from time to time.
- 3. The Staffing pattern, pay structure, eligibility, service conditions, duties and responsibilities shall be applicable to the Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor and other Academic Staff as per UGC Regulations/University Regulations and norms issued by the Government of India & University from time to time.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 17

PROMOTION OF ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, PROFESSOR, SENIOR PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

(Section 29 (2) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 24 & 39 of its First Statutes)

- The University is empowered to make promotion of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor and other Academic Staff under Career Advancement Scheme of University Grants Commission.
- Promotion of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor and other Academic Staff under Career Advancement Scheme of UGC shall be made as per the Guidelines and Regulations issued by the University Grants Commission from time to time.
- 3. The pay structure, eligibility, service conditions, duties and responsibilities shall be applicable to the Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor and other Academic Staff as per UGC Regulations and norms issued by the Government of India & University from time to time.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 19

AWARD OF FELLOWSHIP, SCHOLARSHIPS, STUDENTSHIPS, MEDALS AND PRIZES

(Sections 6(1)(xiv) & 29 (1) (f) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

- 1. The University is empowered to award Fellowship, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes.
- 2. The University shall strive to provide for adequate number of Scholarships, Fellowships, Studentships and Free-ships, for financial help, and also provide for award of Medals and Prizes in order to encourage

meritorious and deserving students to pursue Programmes/Courses of studies and research under the approved scheme of Govt. of India/UGC.

- 3. There shall be Instituted Scholarships in every subject to be awarded to the Students of the University subject to availability of funds from Govt. of India and approved scheme of Govt. of India/UGC Rules for award of the same will be laid down in the Regulations.
- 4. All types of Scholarships and Freeships shall be administered at the University level by a Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.
- 5. The University shall also award scholarships to the students of different courses of studies on all India basis under the central scheme, the procedure, quantum and number of which shall be decided by the Grants-in-Aid Committee.
- 6. There shall be Fellowships instituted in the University for Studies or Research based on availability of funds, as approved under the norms prescribed by the University from time to time.
- 7. There shall be a scheme to award medals/prizes to the meritorious students of the University for their Best Performance in various University Examinations/Competitions.
- 8. The University shall have power to institute endowments from time to time in accordance with the Central Sanskrit Universities Act, 2020. The Vice Chancellor shall constitute a Committee for administration of each endowment and to implement the objects of the endowment.
- 9. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 20

CONVOCATION

(Sections 6(1)(ii), 10(2) & 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 3(1), 31 & 39 of its First Statutes)

1. The University shall hold Convocation for the purpose of conferring Degrees/Diplomas on such date and place as may be decided by the Vice Chancellor with the approval of the Chancellor.

Provided that a special Convocation may be held at such time as may be decided by the Executive Council for the purpose of conferring Honorary Degrees in accordance with the procedure or for the purpose of conferring other Degrees under special circumstances on the recommendation of the Academic Council.

- 2. The University shall ensure that the Degree award date will be within 180 days of the date by which the students are expected to qualify become eligible for this.
- 3. The Chancellor shall, if present, preside over at the Convocations of the University held for conferring Degrees/Diplomas. In the absence of Chancellor, Vice-Chancellor will preside over at the Convocation.
- 4. The Vice Chancellor in consultation with the Chancellor may invite a distinguished person to deliver the convocation address at the convocation.
- 5. The Vice Chancellor shall present a report on the progress of the University at the Convocation.
- 6. Not less than two weeks notice shall be given by the Registrar for meetings of the relevant statutory authorities for the Convocation.
- 7. The Officer concerned shall, with the notice, issue to each member of the Convocation, a programme of the procedure to be observed there at.
- 8. The candidates who have passed their examinations in the years since the last Convocation shall be eligible to be admitted to the Convocation.

Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice -Chancellor shall be competent to authorize admission of successful candidates in the year to their respective Degrees/Diplomas in absentia and issue the degrees/diplomas on payment of prescribed fee.

- 9. A candidate for the Degree/Diploma must submit to the Officer concerned his/her application on or before the date prescribed for the purpose for admission to the Degree at the Convocation in person along with the prescribed fee.
- 10. Such candidates who are unable to present themselves in person at the Convocation shall be admitted to the Degree in absentia by the Vice-Chancellor and their Degrees shall be issued by the Controller of Examinations on their request and on payment of the prescribed fee.

- 11. The fee for admission to the Degree at the Convocation in person and in absentia shall be fixed by the University.
- 12. Honorary Degree/Title shall be conferred at Convocation/Special Convocation and may be taken in person or in absentia.
- 13. The presentation of the persons at the Convocation on whom Honorary Degrees/Titles are to be conferred shall be made by the Vice -Chancellor or by a person nominated by him.
- 14. Ceremonial Dress for Convocation:-
 - The University shall use handloom fabrics for ceremonial dresses prescribed for special occasions like Convocation etc.
 - II. Candidates to be conferred Degrees at the Convocation shall wear Academic Dress as prescribed by the University appropriate to their respective Degree. No candidate shall be admitted to the Convocation who is not in prescribed Dress.
- 15. The procedure to be followed at the Convocation shall be as laid down, by the regulations approved by the Vice Chancellor.
- 16. Degrees of the passed out students will be signed by the Vice-Chancellor and Honorary Degrees/Titles will be signed by the Chancellor.
- 17. The University shall also follow the instructions regarding Convocation issued by the UGC from time to time.
- 18. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

AWARD OF DEGREES (INCLUDING HONORARY DEGREES), DIPLOMAS, CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY

(Sections 6(1)(iv) & 29 (1) (b) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 28 & 39 of its First Statutes)

- 1. The University is empowered to award its Degrees (Including Honorary Degrees), Diplomas, Certificates and Certificates for Secondary, Primary and Elementary levels of Sanskrit Studies.
- 2. All the Programmes/Courses of study leading to award of respective Degrees/Diplomas/Certificates shall be conducted by the concerned Schools/Departments/Boards established by the University.
- 3. The University may award the degrees, diplomas and certificate to the students who have successfully completed the programme/course of study in each case in accordance with the requirements laid down by the Academic Council from time to time.
- 4. Duration of the Programmes
 - i. The duration of Programmes shall be three years spread over six semesters to the award of three years undergraduate degree.
 - ii. The duration of the Programmes shall be five years for integrated programmes spread over ten semesters with exit option after three years (six semesters) leading to the award of the Undergraduate Degree.
 - iii. The duration of Programmes shall be four years spread over eight semesters to the award of four year undergraduate degree.
 - iv. The duration of the Certificate/Diploma Programmes shall be as determined by the university and approved by the Academic Council from time to time.
 - v. The duration of Programmes shall be two years spread over four semesters for award of post graduate degree.
 - vi. The duration of Programmes shall be one year spread over two semesters for award of post graduate degree.
 - vii. Vidya Varidhi (Ph.D.)/Vidya Vachaspati (D.Litt.) Programmes shall be governed as per UGC regulations as amended from time to time.

- viii. A Student shall be required to attend at least 75% of the classes actually held in each subject to the satisfaction of the School/Department\Institution and such seminars, sessionals and practicals as may be prescribed.
- ix. Exit option shall be open for all Programmes as per UGC Regulations under NEP 2020.

Provided that the Vice Chancellor of the University on the recommendations of the Dean/Head of the Department/Head of Institution may condone the shortage in attendance as decided by the Academic Council from time to time.

Provided, further that students deputed by the University to take part in the extra co-curricular events be given a special concession of attendance, if necessary, in attendance requirement as provided above. Such concessions would be available for the days of actual participation in the event, including journey time with the prior approval of the Dean of the Students Welfare.

5. Conferment of Honorary Degrees\Titles

(1) The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members to the Visitor for the conferment of honorary degrees:

Provided that in case of emergency, the Executive Council may, on its own motion, make such proposals.

- (2) The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the Visitor, any honorary degree conferred by the University.
- (3) The Honorary Degrees as decided may be conferred upon a person on the ground that he/she is, by reason of eminent position and attainments or by virtue of his/her contribution to propagate the Sanskrit/allied subjects learning or eminent services to the cause of Education or Society, a fit and proper person to receive such Degree.
- 6. The University shall also felicitate any eminent personality with any title, who has contributed by his service for the cause of Sanskrit, as per the norms prescribed by the University.
- 7. Degrees, including Honorary Degrees/Titles, shall be conferred at convocation/special Convocation and may be taken in person or in absentia.
- 8. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 22

THE PROGRAMMES/COURSES OF STUDY FOR ALL THE DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY

(Sections 6 (1) (i), 6 (1) (vi) & 29 (1) (b) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes.)

1. There shall be Programmes/Courses of study for the award of degrees, diplomas & certificates in various Schools of Study through regular, part-time, online and distance mode as decided by the University from time to time. All the Programmes/Courses offered by the University will be governed as per the Regulations of the University.

Provided that the degree to be awarded by the University shall be in conformity with the degrees as specified under Section 22 (3) of the UGC Act 1956 and as approved by the Ministry of Education, Govt. of India as amended from time to time.

- 2. The University shall also offer its Programmes/Courses at school level as approved by the Ministry of Education, Govt. of India/Competent Body following the syllabi prescribed by the University from time to time.
- 3. In addition to the above, the Academic Council shall have the power to introduce, modify or discontinue a Programme/Course on the recommendations of the Board of Studies.
- 4. The percentage of marks as given in the minimum eligibility requirements and allotted seats shall be approved by the academic Council from time to time.
- 5. The minimum eligibility condition for admission to Degrees, Diplomas and Certificates shall be same as obtained from other Universities/Institutions /Boards, which have been recognized by the University.
- 6. Degrees/Diplomas shall be awarded under the School of Learning.

7. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 23

EOUIVALENCE COMMITTEE FOR RECOGNITION OF EXAMINATIONS/DEGREES

(Sections 6(1) (xxviii) & 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

1. There shall be an Equivalence Committee consisting of the following members:

i. Dean of the Academic Affairs - Chairman

ii. Two Deans of the Schools to be nominated - Member

by the Vice Chancellor

iii. One External Expert to be nominated - Member

by the Vice Chancellor

iv. One person nominated by the Academic Council - Member from amongst its members for a period of three years

v. Controller of Examinations - Secretary

- 2. The function of this Committee shall be:
 - i. To examine and recommend to the Academic Council equivalence of such examinations/degrees as may be referred to it from time to time including those of foreign Universities.
 - ii. To recognize and determine the weightage to be given to the examinations conducted by other Universities and other examining bodies.
 - iii. To decide equivalence of such examinations and qualifications as may be referred to it from time to time for the purpose of admission; and
 - iv. To examine and recommend to the Academic Council the withholding, suspension or cancellation/recognition to any examination/degree for such reasons and such time as it may deem fit
 - v. In special cases, the Vice Chancellor may, if he/she is satisfied, grant equivalence/recognition to any examination/qualifications of other Universities/Institutions for a period of one year and the action taken shall be reported to the committee which may consider for its continuation or otherwise.
 - vi. The Committee may invite a domain expert, wherever necessary, to assist it in its functioning.
 - vii. The Committee may determine the procedures for the transactions of its business. It shall formulate guidelines, for the purpose of determining equivalence and/or according recognition to examinations/qualifications, with the approval of the Academic Council.
 - viii. The Academic Council may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee.
- 3. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 24

STUDENTS DISCIPLINE

(Sections 6 (1) (xxiii) & 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 30 & 39 of its First Statutes)

- 1. The students of the University shall have to observe discipline which includes observance of good conduct and orderly behavior.
- 2. The following and such other Rules as framed by the University from time to time shall strictly be observed by the students of the University;
 - (i) Every student of the University shall maintain discipline and consider it his/her duty to behave decently at all places;

- (ii) No student shall visit places or areas declared by the University as "Out of Bounds" for the students;
- (iii) Every student shall always carry on his/her Identity Card issued by the competent authority;
- (iv) Every student, who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the University;
- (v) Any Student found guilty of impersonation or of giving a false name shad be liable to disciplinary action;
- (vi) The loss of the Identity Card, whenever it occurs, shall immediately be reported in writing to the competent authority; and
- (vii) If a student is found to be continuously absent from Classes without information for a period of 15 days in one or more Classes, his/her name shall be struck off the rolls. He/she may, however, be readmitted within the next fortnight by the University on payment of the prescribed re admission fee and other dues etc.
- (viii) The Vice Chancellor may consider readmission beyond the above prescribed period in special circumstances not exceeding one month.

3. Indiscipline shall include:

- (i) Irregularity in attendance, persistent idleness or negligence or indifference towards the work assigned;
- (ii) Causing disturbance to a Class or the Office or the Library, the auditorium and the Play Ground etc.;
- (iii) Disobeying the instructions of teachers or the authorities;
- (iv) Misconduct or misbehavior of any nature at the time of elections to the student bodies or at meetings or during curricular or extra-curricular activities of the University;
- (v) Misconduct or misbehavior of any nature at the Examination Centre;
- (vi) Misconduct or misbehavior of any nature towards a teacher or any employee of the University or any visitor to the University or security persons;
- (vii) Causing damage, spoiling or disfiguring to the property/equipment of the University;
- (viii) Inciting others to do any of the aforesaid acts;
- (ix) Giving publicity to misleading information or rumor amongst the students;
- (x) Mischief, misbehavior and/or nuisance committed by the residents of the hostels;
- (xi) Visiting places or areas declared as 'out of bounds' for the students;
- (xii) Not carrying the Identity cards issued by the Proctor;
- (xiii) Refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by the authorized Staff of the University;
- (xiv) Any act and form of sexual harassment, ragging or discrimination on the basis of caste, category, religion, race etc.;
- (xv) Engaging in unlawful activities that includes membership of banned organizations, organizing meetings and processions without due permission of the competent authorities; and
- (xvi) Any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.
- 4. Students found guilty of breach of discipline shall be liable to such punishment as deemed fit and as prescribed by the University from time to time.

However, no such punishment shall be imposed on an erring student unless he/she is given a fair chance to defend himself/herself. This shall not preclude the Vice-Chancellor from suspending an erring student during the pendency of disciplinary proceedings against him/her.

5. All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the student shall vest in the Vice-Chancellor. However, the Vice-Chancellor may delegate all or any of his/her powers as he deems proper to the competent authority or to the Discipline Committee as the case may be or any functionary of the University.

6.	(i) Pursuant to Statute 30, there shall be a Discipline Committee in each Campus/Ins	stitution
	comprising the following members:	

a) Senior most teaching faculty

- Chairperson

- to be nominated by the Director/

Head of Institution

b) Dean Students' Welfare or his nominee

c) Head of concerned Department in

MemberMember

Campus /Institution

d) One female teaching faculty

- Member

- to be nominated by the Director/

Head of Institution

e) One SC/ST/OBC representative

- Member

- to be nominated by the Director/

Head of Institution

f) Warden, who shall be invited, when the

- Special Invitee

matter concerning his/her Hall of Residence

is required to be placed before the Committee

for consideration

- g) Assistant Registrar/Section Officer (Admn.) (Member/Secretary)
- (ii) Subject to any powers conferred by the Act, and the Statute on the Vice-Chancellor, the Committee shall take cognizance of all matters relating to discipline and proper standards of behavior of the students of the University and shall have the powers to punish the guilty as it deems appropriate.
 - a) The said Committee shall, make such Rules as it deems fit for the performance of its functions and these Rules and any other Orders under them shall be binding on all the students of the University.
 - b) The recommendations of the Discipline Committee shall be submitted to the Vice-Chancellor whose decision will be final and binding. However, the Vice Chancellor, if he/she is of the opinion that the case merits' review, may refer the case back to the Discipline Committee for reconsideration.
 - c) Appeal against the decision of the Vice-Chancellor will be dealt in accordance with the provisions of Section 35 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020.
 - d) Half of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the said Committee.
- Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 25

GAMES AND SPORTS COMMITTEE

(Sections 6 (1) (xxviii) & 29 (1) (0) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 39 of its First Statutes)

- 1. (a) The University shall have Games and Sports Committees in each Campus /Institution consisting of the following members:-
 - (i) One senior teaching faculty

- Chairperson

- nominated by the Director/Head of Institution

(ii) Dean Students' Welfare or his nominee

- Member

(iii) One female teaching faculty

- Member

- nominated by the Director/Head of Institution

- (iv) One Outstanding Sportsman from among the students on rolls, nominated by the Director
- (v) Sports Teacher

- Ex-Officio Secretary
- (b) The tenure of the members other than the member at serial No. (iv) shall be three years. Member at serial No. (iv) shall be on the Committee for one year.

2. The Committee shall:

- (i) make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;
- (ii) frame the budget for games and sports;
- (iii) maintain the play-grounds, gymnasia, of the Campus /Institution and the University;
- (iv) hold contests, competitions, tournaments, athletic meets etc.;
- recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players and sportsmen to be nominated for admission
- (vi) perform such other functions, as may be assigned to it by the Academic Council from time to time; and
- (vii) Take measures to attract the sports talent available in the University.
- 3. The Committee shall hold its meetings at least once in six months under the supervision of the Director/Head of Institution.
- 4. Half of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.
- 5. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 26

RECOGNITION BY THE UNIVERSITY FOR COOPERATION/COLLABORATION WITH OTHER UNIVERSITY/AUTHORITY/INSTITUTION

(Sections 6 (1) (xii) & 29 (1) (k) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

1. Without prejudice to the provisions of the Act and Statutes, the University shall have the power to recognize and collaborate with other institutions of higher learning that have core competence in various branches of knowledge to enrich and strengthen instruction and research in such areas as are beneficial to the University in furtherance of its Objectives and also that the Institutions fulfill all norms and eligibility for such collaboration as per the guidelines laid down by the UGC/Govt. of India.

2. ELIGIBILITY FOR RECOGNITION

(i) Such institutions that have a proven excellence and academic competence in instruction and research and have proven track record of competence will be eligible for the purpose of recognition to collaborate with the University.

Provided that such institutions may be located anywhere in India and abroad and such bodies may be funded by the Government or private agencies.

- (ii) Proven excellence and academic competence shall be adjudged, among other things, on the following basis:
 - a. The institution should fulfill all norms and eligibility for such collaboration as per the guidelines laid down by the UGC and other apex bodies.
 - b. The Institution shall, have their own building with required laboratory facility Library for research purpose and the library shall have adequate number of research journals, reference books, advanced textbook along with internet facility or such modern equipment/facilities used in higher educational institutes/ universities in the country and abroad.
 - c. The Institution shall have sufficient financial resources to fund research activities.

3. PROCEDURE FOR RECOGNITION AND RENEWAL OF RECOGNITION

- (i) Any such institution that desires to be associated with the University shall express its intention to do so in writing to the University in the prescribed format with supporting documents in proof of para (ii) herein above.
- (ii) All such requests shall be received by the Registrar and placed before the Recognition Committee, which shall consist of the following and shall normally meet twice in a year:-

a. Vice Chancellor

- Chairman

b. All Deans of Schools

- Member

c. Head and all Professors of Department - Member

Concerned in whose area of instruction

the proposed collaboration is to be carried out

d. Registrar

- Member-Secretary

50% of the members shall constitute a quorum.

All decisions shall be taken by consensus of at least 75% of the members present.

- i. The above Committee shall consider the requests received and recommend a case for recognition to the Vice Chancellor who shall nominate a three-member committee to carry out physical inspection and verification of the facts claimed by the institute/University.
- ii. The Committee shall visit the institution by drawing upon the funds of the University and shall carry out physical verification of the institution to assess its case for recognition on the lines of the parameters at: para (ii) above. After doing so, it shall submit its report to the Recognition Committee who then make appropriate recommendation to the Vice Chancellor who, along with his opinion, place it before the Executive Council for decision in the matter.
- iii. Recognition granted shall normally not exceed five years and will be subject to a mid-term review, the manner and timing of which shall be as decided by the University.
- iv. Recognition may be extended after five years for subsequent terms of five years each.
 - a. Provided that the continuing instruction and research schedule shall not be disturbed for the reason of expiry of the term of recognition alone.
 - b. Provided further that normally no new registration for research or initiation of an instructional semester shall be initiated by the University during the last six months of the period of recognition.
- v. Request for re-recognition/renewal of recognition shall be received at least six months in advance from the date of expiry of the period and shall be examined as per the procedure already detailed above.
- vi. The University shall reserve the right to withdraw such recognition with immediate effect if any falsification of facts is found at a later stage or any fact comes to light that is damaging to the credibility or conduct of the institution in terms of academic credentials.
- viii. All legal disputes shall be subject to the jurisdiction of the courts at New Delhi.

4. MANNER OF COLLABORATION COOPERATION AND OTHER DETAILS

- i. The University may choose to collaborate with an institution for the purposes of either instruction or research or both.
- ii. Provided that in case of either of the above, the students shall be admitted and examined by the University as per extant rules and guidelines.
- iii. Fees shall be prescribed and collected by the University which may be equally shared by the institution after mutual agreement.
- iv. Guides/research supervisors shall be appointed/recognized by the University as per its rules and regulations as amended from time to time.
- v. The collaboration can also be for a part or paper of the course of study.
- vi. The timing of residence of a batch of students/research scholar(s) at the institution shall be decided by the Dean/Head of the Department concerned with the approval of the Vice Chancellor.
- vii. Any matter not specifically covered in the above shall be regulated as per the University Rules as amended from time to time.

5. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 27

MUKTASWADHAYAPEETHAM (MSP) - INSTITUTE OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION

(Sections 6 (1) (v) & 29 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 39 & 42 of its First Statutes)

- 1. In fulfillment of its objects, the University aims to project a global perspective of Sanskrit learning along with the modern scholarship and to make this system available to masses at larger level to create a better understanding in the Sanskrit based knowledge system, to develop new disciplines in Sanskrit Studies and to bring out the potential of the learning for the betterment of the modern society. It also strives to develop distance education system to impart the treasure of Sanskrit knowledge, to offer various traditional courses in distance education mode, which are being offered by the University in regular mode, to develop online courses for learners of India and abroad, to apply this methodology to achieve mandates of the University, to promote learning through multimedia/ICT and to undertake research and development and training projects/programmes.
- 2. Pursuant to the Regulations of University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes), 2020 and amended from time to time, the University shall undertake to impart Sanskrit Education by Distance Mode through the Mukta Swadhyaya Peetham (Institute of Open & Distance Education) to facilitate the interested learners of Sanskrit to continue the Higher Education in Sanskrit. For introduction of any course under Distance Mode, the University shall seek approval of Distance Education Bureau of UGC.
- 3. Eligibility conditions, Fee, Nomenclature & Duration of Course, Procedure for conducting the courses etc., shall be as prescribed by the University from time to time in consonance with the UGC norms.
- 4. There shall be a Director of the MSP to be appointed by the Vice Chancellor on the terms and conditions as prescribed by the University.
- 5. There shall be an Abhikalpa Samiti (Governing Council) for looking after the affairs of the MSP.
- 6. Composition of the Governing Council, duration thereof, conducting of meetings, duties and responsibilities etc., shall be as prescribed in the Regulations for MSP in the University.
- 7. MSP and its Study Centres shall be located both at Head Quarters of the University and in its constituent Campuses. The Directorate of MSP shall be located in Head Quarters at New Delhi.
- 8. The Organizational Structure of the MSP & Study Centres and provision of manpower therein shall be as prescribed in the Regulations for MSP in the University.
- 9. The MSP shall adopt the Credit system as per Guidelines of the UGC/Competent Authority, which shall be subject to changes by that Authority from time to time.
- 10. Arrangement of funds for functioning of MSP, procedure for collection and operation thereof shall be made as per the provisions prescribed in the Regulations for MSP in the University.
- 11. A Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) shall be established for the programmes in the Open and Distance Learning mode. Objectives, functions and activities etc., of the CIQA and ancillary components thereof shall be as prescribed in the Regulations for MSP in the University.
- 12. Besides, for promotion of Sanskrit at global level, the University shall continue to undertake Sanskrit learning programmes through its activities of Correspondence Course (CC) and Non-Formal Sanskrit Education (NFSE). Procedure of admissions, fee, duration etc., shall be as prescribed by the University from time to time.
- 13. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 28

DEAN OF RESEARCH

(Sections 6 (1) (i), 6 (1) (xxviii) & 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

1. There shall be a Dean of Research to be appointed by the Vice Chancellor from amongst Professors for a period of three years.

2. The Dean of Research shall be responsible to the Vice Chancellor and shall discharge his/her duties in addition to his/her own duties as Professor, and shall be entitled to such facilities as may be determined by the University.

Provided that in case the Dean of Research is absent on leave or duty, or is unable to perform his/her duties for any other cause, the Vice Chancellor may assign the duties of the office to a Professor or an officer of the University.

- 3. The Dean of Research shall:
 - i. recommend steps for the coordination of activities towards strengthening the Research efforts and initiatives of the University;
 - ii. advise the Vice Chancellor in the formulation of guidelines for the submission of research projects to funding agencies and the undertaking of consultancy projects by faculty groups & individual faculty members and perform such functions as may be assigned by the Vice Chancellor in respect of institutional support for and the monitoring of the progress of such research and consultancy projects;
 - iii. provide linkages with academic and research institutions, governmental, industrial and business concerns as well as research organizations for offering the expertise and facilities of the University for research and consultancy projects, and executing collaborative and sponsored programmes, including the strengthening of research facilities in the University with their support;
 - iv. provide advice and support to faculty members and researchers in the filling of patents and other aspects of the generation and protection of intellectual property rights;
 - v. take steps for promoting Technology Development Mission Projects, Technology transfer initiatives and organizing Specialised Workshops and Entrepreneurship Development courses or programmes for their benefit;
 - vi. generally provide advice and support in respect of the promotion of Research activities in the University.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 29

DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS

(Sections 6 (1) (xxviii), 9 (8), 12 & 29 (1) (0) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (xxii) & 39 of its First Statutes)

- 1. There shall be a Dean of Academic Affairs in the University.
- 2. The Dean of Academic Affairs shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of traditional subjects of the University. Provided that Professor so appointed would discharge the duties of the Dean of Academic Affairs in addition to his own duties as a Professor.
- 3. The term of Office of the Dean of Academic Affairs shall be as decided by the Vice Chancellor, but it shall not in any case exceed three years, and he shall be eligible for re-appointment.
- 4. The Dean of Academic Affairs shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf, from time to time, and shall also exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.
- 5. Powers and duties of Dean of Academic Affairs: -
 - (a) The Dean of Academic Affairs shall be entitled to be present at, and address, any meeting of School Board or Board of Studies, but shall not be entitled to vote thereat unless he/she is a member of such authority or body.
 - (b) The Dean of Academic Affairs shall supervise the academic activities of the University including designing new Academic Programmes in coordination with schools and departments. He/she shall also coordinate proper conduct of Online Programmes. He/she shall promulgate Academic Calendar.
 - (c) The Dean of Academic Affairs shall supervise the admission of students to various Programmes offered by the University. At the time of admission, he/she shall ensure that a signed declaration

from every student to the effect that he/she submits himself/herself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University, is obtained (Refer Statute 30(7)).

- (d) The Dean of Academic Affairs shall supervise conduct of Guest Lectures, Seminars, Workshops, Curricular, Co-Curricular, Extra-Curricular activities etc. in the University.
- (e) The Dean of Academic Affairs shall exercise general supervision over the Library and the Publication and Research Section of the University.
- (f) He/she shall arrange for Scholarships and Merit Awards to the students.
- 6. When the office of the Dean of Academic Affairs is vacant or when the Dean Academic Affairs is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- He/she shall also perform such duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor.
- 8. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 31

COUNCIL OF DEANS

(Sections 29 (1) (o) & 47 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (xxii) & 39 of its First Statutes)

- 1. The University shall constitute a Council of Deans of the University to be known as the Deans' Council.
- 2. The Deans' Council shall comprise the following:
 - (i) The Vice-Chancellor(ii) All Deans
- Members

- Chairperson

(iii) Dean, Academic Affairs

- -Member- Secretary
- 3. The functions of this council shall be;
 - a. to consider all academic matters relating to functioning of Schools and Departments;
 - b. to consider such matters as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of results, etc.;
 - c. to recommend deputation of teachers for International Conferences; and
 - d. to consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to it by the Vice-Chancellor.
- 4. The quorum of the Council shall be two third of the total number.
- 5. Council of Deans shall also function as Standing Committee of the Academic Council, whose resolutions shall be placed before the Academic Council for ratification.
- 6. The rules/procedure of conducting the meetings shall be as may be prescribed from time to time.
- 7. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 32

PROCTOR

(Section 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 30 (2), 30 (3) & 39 of its First Statutes)

- 1. There shall be a Proctor in the University.
- 2. The Proctor shall be appointed from amongst the Professors or from amongst such Associate Professors having a standing of not less than 2 years as Associate Professor in the University, by the Vice Chancellor and shall discharge his/her duties in addition to his/her own duties as teacher and shall be entitled to such allowances and facilities as may be determined by the Executive Council.
- 3. The Proctor shall hold the office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

- 4. When the office of the Proctor is vacant or when the Proctor is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- 5. The Proctor shall be responsible for maintenance of discipline amongst students in the University.
- 6. The Proctor shall:-
 - (a) monitor the discipline among the student community.
 - (b) take preventive steps such as issue of notices, warnings, instructions regulating certain acts, and other arrangements for the purpose of forestalling acts of individual or collective indiscipline.
 - (c) collect relevant facts about the incidents of indiscipline, evaluate the evidence and recommend the quantum of punishment to be imposed on the erring students to the Vice Chancellor.
- 7. The Proctor shall perform such other functions as the Vice-Chancellor may direct from time to time.
- 8. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 33

VISITING PROFESSOR

(Section 6 (1) (xvii) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (xviii) & 39 of its First Statutes)

- 1. The University is empowered to appoint Visiting Professor.
- 2. A visiting Professor should be an eminent scholar in his/her field. Generally a person who has held or is holding the post of Professor/Director of a research Institutes or equivalent or a person who has achieved distinction outside the University sector, should be considered for appointment as Visiting Professor.
- 3. The Visiting Professor will be appointed by the Vice-Chancellor within the overall sanctioned strength of the Professor in the University.
- 4. The maximum tenure of appointment of a Visiting Professor shall be two years and the minimum of not less than three months.
- 5. The University may appoint a person up to the age of 70 years as a Visiting Professor.
- 6. A Professor should not be appointed as a Visiting Professor in the same University in which he/she holds a post immediately before or after superannuation.
- 7. It is expected that when a serving person is appointed as Visiting Professor, the parent University would give him/her duty leave without pay.
- 8. If a person working abroad on a permanent basis is invited as a Visiting Professor, the University may meet the cost of international air travel from its own resources. Visiting Professor appointed may be paid travel expenses within India in accordance with the Rules of the University.
- 9. Lodging facility will be provided free of charge by the University, but charges on boarding facilities would be paid by the Visiting Professor.
- The tenure and honorarium in respect of a Visiting Professor shall be decided by the Vice Chancellor as per norms of the UGC.
- 11. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 35

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENTS

(Section 34 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 24, 25 & 39 of its First Statutes)

- 1. Every employee of the University shall be appointed on a written contract.
- 2. The prescribed format of the Contract to be entered will be as under:-

& SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF

SERVICE CONTRACT

	SERVICE CONTRACT
	ARTICLES OF AGREEMENT EXECUTED on the day of the year between
	WHEREAS the Central Sanskrit University (hereinafter referred in as "the University") has engaged the party of the first part as (Designation) and the party of the first part has agreed to serve the University on the terms and conditions hereinafter contained;
	Now these present witness and the parties here to respectively agree as follows:
1.	The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he/she may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty on (Date) subject to the terms and conditions herein contained.
2.	The party of the first part shall devote his/her whole time and attention efficiently and diligently to his/her duties and at all time obey the rules including the University employees Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he/she may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him/her from time to time.
3.	The party of the first part shall be of the Teacher's / Officer's rank and his/her status shall be that of
4.	The party of the first part shall be from the date of coming into force of these presents, be granted the salary in the Pay Scale as mentioned in the Offer of Appointment. He/She shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University / Govt. of India in force.
5.	The party of the first shall, during the period of this agreement earn leave according to the rules applicable to him/her.
6.	If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled to travelling allowance on the scale applicable to the Officers of his /his equal rank in the University.
7.	This agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.
8.	The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund / Pension / New Pension Scheme according to the rules applicable.
9.	The Party of the first part shall submit himself /herself for ACR /Self Appraisal PABS methodology as prescribed by the UGC/University as notified and amended from time to time.
10.	The first part understands that service in the University is of All India Cadre and is transferrable to any of its Campuses/Centres situated in different parts of the Country. The first part undertakes to abide by any such order of transfer.
11.	In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher/Officer/Employee in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under this agreement and the decision of the University as their applicability shall be final.
	IN WITNESS WHEREOF the party of the first part and the Registrar acting for and on behalf of and by the order and direction of the Executive Council, have hereunto set their hands on theday ofmonth year.

SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:						
IN THE PRESENCE OF:						
Witness: 1)						
REGISTRAR"						
2)						

3. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extraordinary issues.

ORDINANCE NO. 36

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER ITS JURISDICTION

(Sections 6 (1) (xxiii), 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (xxii) & 39 of its First Statutes)

- 1. Ragging is prohibited and punishable under the UGC Regulations on "Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (2009)" as issued and amended by the UGC from time to time.
- 2. The University shall take needful action for curbing the Menace of Ragging in University and Higher Education Institutions under its jurisdiction in line with the UGC Regulations in this regard.
- 3. There shall be Ragging Committees at University and Campus Levels. The Proctor shall be Chairman of the Ragging Committee at University level and Directors of Campuses shall be Chairman of the Ragging Committee at Campus Level.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 37

APPOINTMENT OF ADJUNCT FACULTY MEMBERS

(Sections 6 (1) (x), (xvii) & 29 (1) (o) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clause 39 of its First Statutes)

- Based on the recommendations of the Committee constituted as per the UGC Guidelines issued from time to
 time, the Vice Chancellor shall appoint adjunct faculty members at various Centres & Schools, who are
 serving or retired Academics, Professionals, Specialist, Skill training providers or Civil servant concerning
 with the Universities/reputed research institutions/organisations/Departments, PSUs, Statutory Bodies etc. to
 encourage interdisciplinary collaboration in research, teaching and service-related activities.
- 2. Such faculty should have the minimum qualifications as prescribed in concerned Regulations/Guidelines framed by UGC/respective statutory Councils from time to time or shall be a person of eminence with or without a Post Graduate or Ph.D qualifications. Such faculty shall also be an accomplished scholar in his/her area of specialization.
- 3. The period of empanelment of adjunct faculty members will vary from six months to three years.
- 4. The empaneled Adjunct Faculty shall undertake the roles and responsibilities in consonance with those prescribed in concerned UGC Guidelines issued from time to time.
- 5. The travel cost, accommodation and the honorarium will be paid as per UGC Guidelines issued from time to time in this regard.
- 6. The University will provide the empaneled Adjunct Faculty suitable office-space to facilitate their working and interaction with students and peers.
- 7. At the end of assignment, every Adjunct Faculty will submit a 'performance report' to the University with a copy to the University Grants Commission. The performance report may be considered for his continuation/renewal of next tenure.
- 8. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extraordinary issues.

ORDINANCE NO. 38

VISITING FELLOW

(Sections 6 (1) (xvii) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (xviii) & 39 of its First Statutes)

- 1. The University may appoint a Sanskrit scholar of eminence as Visiting Fellow.
- 2. Superannuated persons up to the age of 70 years may also be considered for appointment as Visiting Fellow. The minimum tenure of a Visiting Fellow should not be less than a week and maximum- up to three months.
- 3. Honorarium to the Visiting Fellow shall be regulated as per UGC guidelines.
- 4. Travel expenses may be met in accordance with the Rules of the University.
- 5. The parent institution will grant academic leave with pay and usual allowance for the duration of the appointment as Visiting Fellow.
- 6. Subject to availability, the University would provide accommodation to the Visiting Fellow in the Guest House of a Campus free of charge, but food charges would be paid by the Visiting Fellow.
- 7. The same person may not be invited as Visiting Fellow more than once in a year in the same University, but the period of 3 months can be split up as desired by the University within the period of one year.
- 8. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 39

MEDIUM OF INSTRUCTION OF CONDUCT OF EXAMINATIONS AND EVALUATION OF STUDENTS PERFORMANCE FOR THE PROGRAMMES/COURSES LEADING TO PRATHAMA (MIDDLE CERTIFICATE), PURVA MADHYAMA (SECONDARY CERTIFICATE), UTTAR MADHYAMA/ PRAK SHASTRI (SENIOR SECONDARY CERTIFICATE), SHASTRI (BACHELOR'S DEGREE)/ ACHARYA (MASTER'S DEGREE) & OTHER POST GRADUATE DIPLOMA /DIPLOMA /CERTIFICATE FOLLOWING THE ANNUAL/SEMESTER SYSTEM OF EXAMINATIONS OTHER THAN RESEARCH DEGREE PROGRAMMES/COURSES.

(Sections 2 (u), 6 (1) (ii), 29 (1) (c) & 29 (1) (g) of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 12 (2) (xix), 14 (a), 14 (e) & 39 of its First Statutes)

Applicability:

These Ordinances shall apply to all the Programmes/Courses launched by this University leading to Prathama (Middle Certificate), Purva Madhyama (Secondary Certificate), Uttar Madhyama/ Prak Shastri (Senior Secondary Certificate), Shastri (Bachelor's Degree)/ Acharya (Master's Degree) & other Post Graduate Diploma/Diploma/Certificate following the Annual/Semester system of Examinations other than Research Degree Programmes/Courses.

1. Medium of Instruction:

- i. The medium of instructions in respect of all the Programmes/Courses of Study offered by the Central Sanskrit University shall be as per the decision taken by the Academic Council.
- ii. Question Papers related to all the subjects of all the Programmes/Courses for Examinations of the University shall be set in Sanskrit or as per the requirement of the subject; except in case of examinations in Language(s)/Literature, where the question papers may be set and answered in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course and as per the decision taken by the Academic Council.

2. Examinations:

Definitions:-

- Academic Programmes/ Courses shall mean a programme/course containing various subjects and/or any other components leading to Prathama (Middle Certificate), Purva Madhyama (Secondary Certificate), Uttar Madhyama/ Prak Shastri (Senior Secondary Certificate), Shastri (Bachelor's Degree)/ Acharya (Master's Degree) & other Post Graduate Diploma /Diploma /Certificate.
- ii. **An Academic Year** is a period of nearly 12 months devoted by the students for completion of the requirements specified in the scheme of teaching and examinations and apportioned into 'terms' and 'breaks' etc.
- iii. Board of Studies shall mean the Board of Studies of a Department of the University.
- iv. Semester System is an academic term which divides the academic year in two parts.

- v. Subject means a component of the academic Programme/Course, carrying a distinctive code number and specific credits assigned to it. Code for the subjects shall be allocated in consultation with the Examination Division.
- vi. **External Examiner** shall mean a faculty member who is not from the institution to which the students are enrolled and appointed to set the end-term examination question papers/ moderator/ evaluation of answer sheets and/or act as a practical examiner in the University.
- vii. **Internal Examiner** shall mean an examiner who is from the same institution and assigned the responsibilities to set the question papers, evaluation of answer sheets, theory class test/conduct practical class tests and/or act as a practical examiner in the University.
- viii. **Student** shall mean a person enrolled in any of the School of the University/Campus/Affiliated Institution in an academic year for pursuing Programmes/Courses, to which this Ordinance is applicable.
- ix. University shall mean Central Sanskrit University, Delhi.
- CE/CCIA shall mean the Continuous Evaluation/Comprehensive Continuous Internal Assessment of the students.
- xi. **End-Semester Examination** shall mean the examination conducted by the University after completion of the semester.
- xii. **DCO** shall mean the Detailed Course Outline or lecture plan prepared by the concerned faculty member(s).

3. Academic Courses for Examinations

The University shall hold examinations for all such academic Programmes/Courses as are approved by the academic council and as it may notify from time to time for awarding degrees/diploma/certificate, as per the prescribed syllabi and Scheme of Teaching and Examination as are approved by the Academic Council.

4. Criteria for Examinations

- i. Examinations of the University shall be open to the students enrolled for a Programme/Course of study in the University, for a period specified for the course/subject of study in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination.
- ii. Provided that the Academic Council may allow any other category of candidates/students to take the University Examinations for any specified academic Programme/Course to the fulfilment of such conditions as may be laid down by the Academic Council from time to time.
- iii. Provided further that a student may be debarred from appearing in the examination on the grounds prescribed in the Ordinances or the Guidelines/Regulations prescribed by the University.

5. Course Content and Duration

- i. Programmes/Courses of Studies leading to Prathama (Middle Certificate), Purva Madhyama (Secondary Certificate), Uttar Madhyama/ Prak Shastri (Senior Secondary Certificate), Shastri (Bachelor's Degree)/ Acharya (Master's Degree) & other Post Graduate Diploma /Diploma /Certificate including certificate for short term course shall comprise of a number of subjects and/or other components as specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination of the concerned Programme/Course, as are proposed by the concerned Authority/Board of Studies and approved by the Academic Council. Each subject shall be assigned a weightage in terms of specified credits, wherever applicable. The minimum and/or maximum credits to be acquired for the award of degree/diploma/certificate shall be specified by the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination of the concerned Programme/Course.
- ii. The minimum period required for completion of a Programme/Course shall be the Programme/Course duration as specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the concerned Programme/Course.
- iii. The duration of a Programme/Course of Studies as well as maximum period allowed for completion of the same shall be as prescribed by the University from time to time.

6. Academic Year

i. An academic year shall be apportioned into two semesters for the Programmes/Courses of Studies where semester system is applicable. The duration of Programmes/Courses of Studies for Semester/Annual Systems shall be as determined by the University.

- ii. Wherever applicable, the break-up of the academic semesters devoted to instructional work shall be as prescribed by the University from time to time.
- iii. The Academic Calendar shall be notified by the Academic wing of the University each year, before the start of academic year.

7. Examination Fees

The University shall notify the fees payable by the students for various examinations after the same is approved by the Academic Council. A student who has not paid the prescribed fees prior to the examinations shall not ordinarily be eligible to appear in the examination. The Vice-Chancellor may at his/her discretion allow in certain cases of genuine hardship, an extension in the last date of payment of fees.

In exceptional circumstances, the Vice-Chancellor may waive off the fees and other charges, if any.

Subject to any modification by the competent authority of the University, the Examination Fee and other charges shall be applicable as per the Ordinance of the University in this regard and the same shall also be published in the Prospectus.

8. Attendance

- i. Attendance is an important component in the assessment and evaluation system of the University.
- ii. The criteria for allotment of marks for attendance shall be mentioned Detailed Course Outline [DCO] or lecture plan by concerned faculty member(s).
- iii. The teacher handling a course shall be responsible for maintaining a record of attendance of students who have registered for the course and shall send the monthly attendance record to the concerned Campus Director/Head of Institution.
- iv. For appearing in the University examinations, requirement of minimum attendance in a semester/academic year and condonation therein shall be as prescribed by the University from time to time.

For courses regulated by a statutory regulatory body, if the statutory body provides for any specific guideline for attendance, the same shall be applicable as approved by the Board of Studies of the concerned School /Competent Authority of the University.

v. Marks for attendance in a particular subject shall be given based on the attendance record submitted by the respective faculty member(s) concerned. The break-up of marks for Attendance shall be as per table given below:

Total marks for Attendance	Range of Attendance	Marks Allotted
5 (Five)	Greater than or equal to 75% and less than or equal to 80%	1
	Greater than 80% and less than or equal to 85%	2
	Greater than 85% and less than or equal to 90%	3
	Greater than 90% and less than or equal to 95%	4
	Greater than 95% and less than or equal to 100%	5

vi. Student who has been disallowed due to shortage of attendance shall be required to repeat ail the subjects of the said semester/academic year with the next batch of students. The University enrolment number of such student shall, however, remain unchanged and he/she shall be required to complete the course in a maximum permissible period as mentioned in clause 5(iii).

The concerned Campus Director/Head of Institution shall announce the names of all such students who are not eligible to appear in the semester term end examination/annual examination based on the attendance record, at least 5 calendar days before the start of the examination and simultaneously, intimate the same to the Controller of Examination.

vii. If a student remains absent from classes on medical grounds, he/she shall have to submit the "Medical Certificate" issued by a registered Medical Practitioner to the concerned Campus Director/Head of Institution within one week after returning to classes. After the end of stipulated time of one week, the Medical Certificate shall not be accepted and considered.

9. Conduct of Examination

- i. All examinations of the University (except the Entrance Examinations for admission in different Programmes/Courses of Study) shall be conducted and held at the University Campuses/Affiliated Institutions/Centres as decided by the University.
- ii. There shall be provision for conducting online examinations for specific Programmes/Courses.
- iii. The schedule of End-Semester/Annual Examinations of the Programmes/Courses of Study shall be prepared by the office of Controller of Examinations (CoE) and sent to all the Campus Directors /Heads of the Affiliated Institutions atleast 15 (fifteen) days prior to the commencement of the respective examinations.
- iv. The End-Semester/Annual Examinations of all the Programmes/Courses of Study of the University shall be conducted under the general supervision of the Controller of Examinations, who through the approval of Vice-Chancellor shall appoint Centre Superintendent (CS) and Deputy Centre Superintendent (DCS) for the conduct of these Examinations. The Standard Operating Procedures (SOPs) shall be formulated by the office of Controller of Examinations for conducting the same under approval of the Competent Authority.
- v. The Continuous Evaluation/Comprehensive Continuous Internal Assessments (CE/CCIAs) shall be conducted by the concerned faculty member as per guidelines of Assessment and Evaluation System of the University mentioned herein this Ordinance and as amended from time to time.
- vi. The concerned Campus Director/Head of Affiliated Institution shall ensure the conduct of CE/CCIA in a very smooth manner so that the students can be evaluated continuously as well as comprehensively as per the spirit of CE/CCIA.
- vii. Assessment of Attendance and Award of Marks against attendance shall be part of CE/CCIA.
- viii. Wherever deems appropriate, the University may prescribe projects/dissertation/field work/seminars/practical/internship/ training or any other techniques/methods for assessment for the Programmes/Courses to determine the level of performance of the students pursuing different Programmes/Courses.

10. Examination System

- 1. All Programmes/Courses of Study of the University shall be offered under Semester/Annual System and Examinations & Evaluation of students shall be done through Assessment and Evaluation System.
- 2. As a general principle, the Assessment and Evaluation System shall comprise the following components:
 - i. Continuous evaluation/internal assessment by the teacher(s) of the subject
 - ii. Evaluation through an End Semester/Annual Examination
- The guidelines for distribution of weightage for various components of evaluation and award of credit/marks in respective components shall be prescribed in the Guidelines/Regulations framed by the University.

11. Conduct of Continuous Evaluation/Comprehensive Continuous Internal Assessment

- i. The CE/CCIA in a theory course may comprise Written Test, Assignments, Presentations, Quizzes, Viva-Voce, Case Study, Group Discussion etc. as prescribed by the concerned Board of Studies (BoS) and School Board (SB) from time to time.
- ii. In a course consisting laboratory component, each practical performed by a student will be subjected to evaluation by the concerned faculty member(s). The evaluation will involve documentation of the Practical Exercise/Experiment, Precision in the performance of experiment, Viva-Voce Examination etc.
- In the case of Industrial Training/Project/Dissertation, the CE/CCIA will include periodical Progress Report.
- iv. In the case of fieldwork, the CE/CCIA will include Professional Development, Record Keeping, Use of Supervision, Regularity in Field Work, Participation in Individual & Group Conferences, Rural Camp, Behavioural Laboratory, Skill Laboratories etc. or/and as approved by the Board of Studies of the concerned subject or Programme/Course of Study.
- v. The concerned Campus/Affiliated Institution shall maintain the complete record in respect of the CE/CCIA of each student and display it on the notice board. The concerned Campus/Affiliated Institution shall submit the record of CE/CCIA to the office of Controller of Examinations (CoE) as per prescribed guidelines.

- vi. It shall be the duty of the concerned faculty members to evaluate all assignments, quizzes and other component of CE/CCIA.
- vii. A student pursuing a course of study shall be required to follow the criteria prescribed by the University for Completion of the course.

12. Conduct of End-Semester/Annual Examination

- i. The End-Semester/Annual examination for various subjects/courses will ordinarily be held in the month prescribed by the University. The students will appear in the examinations on completion of minimum period of study for the relevant subject/course.
- ii. The schedule of examination shall be notified by the Controller of Examination at least 21 days prior to the commencement of end semester/annual examinations.
 - However, the students, who take admission to some individual course as per the term of any MOU executed by the University with any other University or accredited institution, will be allowed to appear in the end semester/annual examination as per the schedule of the University as to enable them to complete the pre-requisite subject/course for their degree/diploma/certificate from the respective Universities/accredited Institutions.
- iii. The University may conduct the online examination for such courses as may be decided from time to time. The online examination will be conducted in the manner as may be laid down by the Regulations.
- iv. The End-semester/annual examination for the students who are enrolled in the various courses launched by the University under MOOCs will be conducted by the University or by the authorized institution as per laid down procedure.
- v. All semester/supplementary end semester/annual examination shall be conducted by the Controller of Examination with the approval of the Vice Chancellor.
- vi. For theory and practical examinations, the project report/dissertation/training report and any other term end evaluation component, all examiners shall be appointed with the approval of the Vice Chancellor.
- vii. For the courses being run by the University, recommendations for names of the external examiners shall be obtained from the concerned Board of Studies through the respective Head of Department and Dean of the School. Where there is an exigency and the Board of Studies cannot meet, the Dean of School may recommend the names, stating clearly why the meeting of Board of Studies could not be convened.
- viii. In emergent situations, where, for some reasons, the recommendations cannot be obtained from the Board of Studies as stipulated above, recommendations may be obtained from one of the Dean of School nominated by the Vice Chancellor.
- ix. The panel of external examiners received by the Controller of Examinations shall be approved by the Vice Chancellor.
- x. The paper setters appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice Chancellor, out of the approved panel for setting the Question papers, shall set the question papers. The question papers shall be set out of the entire syllabus of the course.
- xi. Question Paper-setting shall be done as per the guidelines/regulations decided by the University and as amended from time to time.
- xii. After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the moderators appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice-Chancellor.
- xiii. End Semester/Annual Examination answer scripts of students shall be evaluated by the teachers appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice Chancellor from the subject wise list of teachers. The approved subject wise list of teachers teaching the specific subject shall be maintained by the Controller of Examinations.
- xiv. The Syllabi and Scheme of Teaching and Examinations of a Programme/Course shall prescribe supplementary examinations for the course, if required.
- xv. End Semester/Annual practical examinations shall be conducted by a Board of Examiners for each subject The Board shall consist of one or more examiners appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice Chancellor.
- xvi. For any other type of examination, not covered by sub-clause (10.2 and 10.3) above, the mode of conduct of examination shall be as specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination

and in the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations with the approval of the Vice Chancellor on the recommendation of the Board of Studies concerned.

- xvii. The results of a semester/annual (including the teacher's continuous evaluation and semester/supplementary term end examination) shall be declared by the Controller of Examinations on the recommendation of the Examination Board and with the approval of the Vice Chancellor. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by the Controller of Examinations that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or in a particular subject, he/she may refer the matter to the Examination Board.
- xviii. The award list/term end mark-sheet containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations/Deputy Controller/Deputy Registrar (Exam)/ Assistant Director/Assistant Registrar (Exam) at the end of each academic semester/year, after the declaration of the result.

13. Criteria for Passing subjects, Marks, Promotion and Divisions

- 13.1 The details on the above is given as under:
 - i. The maximum marks in a subject of Programme/Course and the passing marks (sum of both the teachers 'continuous evaluation/internal assessment and end semester/annual examination) shall be as prescribed by the Regulations.
 - ii. To pass/qualify a subject, the student must appear in all components of the subject.
- 13.2 A student may apply for re-evaluation of his/her answer sheets of the specific subject on the payment of prescribed fees within four weeks from the date of the declaration of the result.

13.3

- i. In case of semester examination system, if a student obtaining less than passing marks assigned to a subject and failing in the subject, he/she shall be allowed to re-appear in end semester/annual examination of the subject, when the examination of such semester/annual is conducted subject to maximum permissible period as mentioned in clause 5 (iii).
- ii. A student who has to re-appear in a semester term end/annual examinations in term of clause 13.3 (i) above shall be examined as per the syllabus which will be in operation during the subsequent year(s). However, if there are major modifications in the syllabus which is in operation as compared to the syllabus which was applicable at the time of the students joining the concerned course, the examinations will be held in accordance with the old syllabus.
- iii. Students who are eligible to re-appear in a supplementary/ end semester/annual examination shall have to apply to the Controller of Examinations through online/concerned Campus Director/Head of Affiliated Institution and pay the examination fee prescribed by the University, to be allowed to re-appear in an examination.
- iv. The re-appearing student who secured less marks than equal to passing percentage [as described in 13.1(ii)] of maximum marks of teacher's continuous evaluation/internal assessment also have the option to repeat and improve the class test performance with regular batch of student. In such cases, the student will be required to apply for such improvement in the beginning of the said year, to- the Head of the Department concerned. The revised marks, received from the faculty concerned atleast seven days before the commencement of end semester examinations shall be considered; otherwise the previous marks already obtained by the student shall be taken into account without any modification. In such cases, where the student opts to improve the class test performance with the next batch of students, the marks obtained in the class test will be proportionately increase to include the component of assignment/group discussion/home test/projects /internships/viva-voce / additional test/ etc. If such students do not re-appear in the end semester examinations, the improvement in teacher's continuous evaluation/internal assessment shall not be taken into account for result declaration. No extra fee shall be charged from the students for repeating the teacher's continuous evaluation/internal assessment.
- v. Policy for promotion of students to the next academic year, academic/semester breaks/credits shall be prescribed in the Guidelines/Regulations framed by the University.
- vi. In course of studies governed by a statutory body, if the regulations/rules of the statutory body specify any promotion policy, the same shall be implemented by the Controller of Examinations under approval of the Vice Chancellor. Additional requirements may be added for promotion to the next academic year by incorporating the same in the Syllabi and Scheme of Teaching and examination for the concerned course.

14. Final Year Supplementary Term End /Annual Examinations

A supplementary examination shall be conducted after the declaration of the final year result, only for those regular students who do not have backlog upto the pre-final year subjects. That is, supplementary end semester/annual examinations to be held only for the subjects of the final year for the regular students who have failed only in subjects of the final year. The supplementary end semester/annual examinations shall be allowed only to students who have been offered one chance to appear in the examinations of the final year subject(s). The teacher's continuous evaluation/internal assessment components shall not change in these cases. The supplementary end semester/annual examinations shall be held for courses whose Syllabi and Scheme of Teaching and Examination specify this examination.

15. Transfer of Credits

- i. A student may be permitted to do certain subjects in another Institution/University subject to compatibility of subject content and assessment process with the prior approval of the Dean of the School concerned and the competent authority; and the University may allow transfer of credits of such subjects on the recommendation of the Dean of the School. Similar benefit could also be given, on the recommendation of the Dean of the school, if a student has successfully completed a subject, equivalent to a core subject of the Programme/Course for which the student has registered, in a recognised Institution/University prior to joining a Programme/Course of study.
- ii. The University shall give equivalent credit weightage to the students for credits earned through Online Learning Courses (in the category of Elective subjects] through SWAYAM platform in the credit plan of the Programmes/Courses of Study as per guidelines of UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulation, 2016 and as amended from time to time.
- iii. The maximum credits that can be accepted for transfer shall not exceed 25% of the total credits required for the completion of the Programme of Study in which a student has been admitted.
- iv. Only such subject(s) may be considered for acceptance of credit transfer, in which the student has secured minimum marks, as prescribed by the University. In case a student has earned more credits from other Universities/ Educational/ Research Institutions, the student may indicate his/her preference of subjects for credit transfer.

16. Grading System

After adding the teaching continuous evaluation/internal assessment marks to the end semester/annual examinations, the marks secured by a student from maximum 100 shall be converted into a letter grade. The grade points are the numerical equivalent of letter grade assigned to a student in the points scale as given below:-

Letter Grade	Letter Description	Grade point	Class Interval (in %)
0	Outstanding	10	90 and above
A+	Excellent	9	75 and < 90
A	Very Good	8	60 and < 75
B+	Good	7	55 and < 60
В	Above average	6	50 and < 55
С	Average	5	45 and < 50
P	Pass	4	40 and < 45
F	Fail	0	< 40
Ab	Absent	0	Absent

Grade P (grade point 4) shall be the subject passing grade unless specified otherwise by the fee Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the course. For grade(s) below the passing grade as defined in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, the associated grade points shall be zero. Both acquired marks and grades shall be reflected on the end semester mark-sheets.

Note:

- i. F = fail, and the students graded with 'F' in a programme or course shall be required to reappear in the examination.
- ii. Minimum qualifying marks for a subject is 40% or less than 45% i.e. 'P' grade.
- iii. 'C grade is 45% or less than 50%

- iv. 'B' grade is 50% or less than 55%
- v. 'B+' grade is 55% or less than 60%
- vi. 'A' grade is 60% or less than 75%
- vii. 'A+' grade is 75% or less than 90%
- viii. 'O' grade is 90% and above
- ix. Students shall have to qualify the sessionals (tests, assignments, attendance, presentation etc.) and end-semester examinations separately and the student failing to qualify either of the components shall not be considered as qualified in any case.
- Students shall be allowed to improve their grades during the maximum duration of the course of study.
- xi. There shall be no rounding of SGPA/CGPA
- xii. The SGPA/CGPA obtained by a student is out of a maximum possible 10 points.
- xiii. A student in order to be eligible for the award of the degree/diploma of the University must have obtained CGPA of 4 at the end of the course.
- xiv. Provided that students who are otherwise eligible for the award of the degree/diploma but have secured a CGPA less than 4 at the end of the permissible period of semesters may be allowed by the University to repeat the same subject of the same type in lieu thereof in the two extra semesters provided in clause 5.2 on "Duration of course".

University shall adopt the 10-points, grading system with the letter grades as given below. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) obtained by a student shall be classified into the following divisions:-

CGPA	Class/Division
10	Outstanding
9 and above, but less than 10	First Class with distinction
8 and above, but less than 9	First
7 and above, but less than 8	High Second
6 and above, but less than 7	Second
4 and above, but less than 5	Third
less than 4	Fail

In respect of components other than internal assessment and end semester examination, wherever prescribed, the level of attainment necessary to qualify for the award of degree/diploma/certificate will be prescribed in respect of each such Programmes/Courses of study separately by the academic council on the recommendation of the concerned Board of Studies.

- a. To qualify the award of master degree a candidate should obtain the prescribed credits relevant to the course.
- b. To qualify the award of bachelor's degree with a particular subject as honors, a candidate should obtain the prescribed credits including those in skill oriented subjects relevant to the course.
- c. To qualify the award of post-graduation diploma/diploma/certificate, a candidate should obtain the prescribed credits to the relevant course.

17. Ranking of Students

- i. One Student in each Programme/Course of Study shall be awarded Gold Medal and Certificate of Merit, subject to condition(s) that he/she [or as decided by the office of Controller of Examination from time to time):
- a. should have first position with more than 60% marks;
- b. should have passed all the Semesters of a Programme/Course of Study without any break;
- c. should have passed all the subjects in a Programme/Course of study without any back log meaning thereby that he/she has not been awarded 'F or T Grade in any subject;

d. should have exhibited good conduct and character during the period of a Programme/Course of study.

18. Unfair Means/Students' Grievance Committee

i. Use of Unfair Means

All cases regarding reported use of Unfair Means (UFM) in the examination during term end examinations shall be placed before an Unfair Means Committee/s to be constituted by the Vice-Chancellor for making decision in individual cases, and recommending penalties as specified in the ordinance, if any. The actions deemed as "Use of Unfair Means" shall be specified by the Examination Division and procedure for dealing with cases of suspected/alleged/reported use of unfair means shall be approved by the Vice-Chancellor. For UFM cases during teacher's continuous evaluation the Dean of the concerned school shall take appropriated necessary decision and communicate to the Examination Division.

ii. Students' Grievance Committee

In case of any written representation/complaints received from the students within seven days after completion of the examination regarding setting up of question paper etc. along with specific recommendations of the Dean of the School, the same shall be considered by the Students Grievance Committee to be constituted by the Vice Chancellor. The Vice-Chancellor shall take appropriate decision on the recommendations of the Students Grievance Committee, before the declaration of result(s) of the said examination.

19. Calculation of Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) in respect of semester examination system

- i. Performance in a semester will be expressed as Semester Grade Point Average [SGPA) and shall be rounded to two decimal digits.
- ii. Cumulative performance of all the semesters together will reflect performance in the whole programme and it will be known as Cumulative Grade Point Average [CGPA), and shall be rounded to two decimal digits.
- iii. The formula for calculating of SGPA and CGPA is given below: $SGPA = \sum CiGi / \sum Ci$

$CGPA = \sum \sum CniGni/\sum Cni$

Where:-

Ci - number of credits for the course

Gi - grade point obtained in the course.

Cni- number of credit of the course of the nth semester

Mni - marks of the course of the nth semester

Gni - grade points of the course of the nth semester

- iv. Audit papers (as per clause 4.4) shall not be accounted for in the calculation of SGPA and CGPA.
- v. The successful candidates as per clause 11.6 and having an overall CGPA higher than an equal to the minimum CGPA specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the award of the degree shall be awarded the degree and shall be placed in Divisions as below:
- a. CGPA of 4.00 4.99 shall be placed in the Third Division
- b. CGPA of 5.00 to 6.49 shall be placed in the Second Division.
- c. CGPA of 6.50 or above shall be placed in the First Division
- d. CGPA of 10 shall be placed in the Exemplary Performance. Exemplary Performance shall be awarded, if and only if, every subject of the course offered to the student is passed in the first chance of appearing in the paper that is offered to the student A student with an academic break shall not be awarded the exemplary performance.
- e. The CGPA x 10 shall be deemed equivalent to percentage of marks obtained by the student for the purpose of equivalence to percentage of marks.

20. Award of Degree/Diploma/Certificate

A student shall be awarded a degree/Diploma/Certificate if:

- he/she has registered himself/herself, undergone the Programme/Course of studies, completed the project/training report/dissertation specified in the curriculum of his/her Programme/Course within the stipulated time, and secured the minimum credits prescribed for award of the concerned degree.
- ii. there are no dues outstanding in his/her name to the University; and
- iii. no disciplinary action is pending against him/her.
- iv. he/she has acquired the CGPA higher than or equal to the minimum CGPA specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the award of the degree/diploma/certificate, wherever applicable.
- 21. Subject to the provisions of the Act, the statutes and the Ordinance such administrative issues as disorderly conduct in examinations, other malpractices, dates for submission of examination forms, issue of duplicate degrees, instructions to examiners. Superintendents Examination Centre, invigilators, their remuneration and any other matter connected with the conduct of examinations will be dealt with as per the guidelines approved for the purpose by the Vice-Chancellor.
- 22. Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by this Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice Chancellor may take a decision, after obtaining the opinion/advice of a Committee consisting of any or all of the Deans of the faculty. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

23. Appointment of Amanuensis:

- i. The rules and regulations pertaining to appointment of amanuensis shall be as follows:-
 - An amanuensis shall be allowed in case of:
 - Blind Candidates (visually handicapped); and
 - The candidates, who are disabled due to an accident or disease and are unable to write with their own hands,
 - Provided that the candidates under above shall have to produce a medical certificate issued from the competent authority.
 - ii. Candidates who are suffering with writing disabilities and cannot write with their own hands would be entitled to seek assistance of computers for purpose of typing only, subject to the conditions that the computers/laptops shall be provided by the University on advance intimation by the concerned candidate to the office of CoE at least two weeks prior to the commencement of End Semester/Annual Examinations.
 - Provided further that the University shall ensure that the computer provided to the candidate does not have any data stored in it which is relevant to the examination in which the candidate is appearing, and that it does not have Internet facility. Such benefits to the physically challenged persons shall be allowed on production of a medical certificate from the designated authority.
- iii. The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate at least two weeks before the commencement of End Semester/Annual Examinations, will arrange for the appointment of an amanuensis and shall inform the Examination Centre Superintendent of the concerned examination.
- iv. The amanuensis shall be a person of qualification not above 12th standard.
- v. The Examination Centre Superintendent of the Examinations shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoint a Special Invigilator from the list supplied by the office of the Controller of Examinations.
- vi. One extra hour will be given to the blind candidates for examinations of 3 hours of duration (i.e. 20 minutes per hour of examination).
- vii. An honorarium as approved by the Academic Council from time to time may be paid to the Amanuensis for the services provided.

24. Rates of Remuneration

The remuneration to be paid to the paper setters, moderators, examiners and evaluators of students answer scripts, projects, dissertation, thesis etc. shall be as approved by the Executive Council.

The remuneration to be paid to various categories of persons appointed for the conduct of examinations shall be as prescribed by the Executive Council from time to time.

25. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

ORDINANCE NO. 40

SCHOOL OF STUDIES AND DEPARTMENTS

(Section 2 (v), 12 & 29 of the Central Sanskrit Universities Act, 2020 read with Clauses 4, 17 & 39 of its First Statutes)

- 1. There shall be different Departments / Centres of Studies under the School of Studies in the University.
- 2. The School of Studies and Departments / Centres of Studies established in the University are specified hereunder:-

1. School of Veda-Vedanga & Vedic Sciences

- i. Department of Vyakarana Shastra
- ii. Department of Jyotisha Shastra
- iii. Department of Veda, Paurohitya & Karmakanda
- iv. Department of Vedang & Veda Bhashya
- v. Centre for Vedic Science

2. School of Shikshashastra (Education) & Kaushal Prashikshan (Skilling)

- i. Department of Shikshashastra (Education)
- ii. Centre for Faculty Development and Skilling

3. School of Languages, Literature and Culture

- i. Department of Sanskrit Sahitya
- ii. Department of Puranetihasa
- iii. Department of English
- iv. Department of Indian Languages
 - a. Hindi
 - b. Bangla
 - c. Odiya
 - d. Nepali
 - e. Dogri
 - f. Malayalam
 - g. Kannada
 - h. Marathi
 - i. Maithili

& any other regional languages.

v. Centre for Natya Shastra Studies

4. School of Shastric Knowledge Systems

- i. Department of Dharmashastra
- ii. Department of Manuscriptology & Paleography

5. School of Darshana

- i. Department of Bauddha Darshana & Pali
- ii. Department of Vedanta
- iii. Department of Nyaya
- iv. Department of Darshana
- v. Department of Jain Darshana & Prakrit
- vi. Department of Mimamsa
- vii. Department of Sankhya Yoga Darshana

6. School of Contemporary Knowledge Systems & Humanities

- Department of Social Science
 - a. Political Science
 - b. Economics
 - c. History
 - d. Sociology
 - e. Geography
 - & Any other Discipline
- ii. Department of Commerce, Business & Public Administration
- iii. Centre for Women's Studies
- iv. Centre for Leadership & Management Studies

7. School of Multidisciplinary Sciences & Technology

- i. Department of Computer Science & Natural Language Processing.
- ii. Department of Linguistics & Translation Studies;

8. School of Yogic Science & Holistic Health Practices

- i. Department of Yogic Sciences & Spirituality
- ii. Department of Ayurveda & Naturopathy
- 3. The University shall establish any other Departments and Centres and also emerging subjects therein as per requirement from time to time. However, for addition of any School of Studies and Departments in future, the University shall seek approval of the Ministry of Finance, Govt. of India through Ministry of Education.
- 4. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extraordinary issues.

Prof. RANJIT KUMAR BARMAN, Registrar I/c

[ADVT.-III/4/Exty./489/2023-24]